खण्ड-197, अंक-10
मंगलवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(9 सितम्बर, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 197 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ९ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री

मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर, (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री

विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इंडियन पेनल कोड की दफा १२४-ए का हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित होना

**१—श्री श्री षडगस्त पालीवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन पेनल कोड की दफा १२४-ए को अल्ट्रावायर्स करार दे दिया है ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–२ श्री लायकसिंह ने पूछे ।

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां ।

**२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—इस समय जो मुकदमे दफा १२४-ए के मातहत चल रहे हैं क्या सरकार उपर्युक्त फैसले के बाद उनको वापस लेने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के पश्चात् उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हाईकोर्ट इलाहाबाद ने १२४-ए धारा को कब गैरकानूनी घोषित किया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१६ मई, १९५८ ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १६ मई से आज तक अपील न होने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पहले सर्टिफिकेट आफ फिटनेस हाई कोर्ट से लेना पड़ता ह । उसके लिये दरख्वास्त दी गई और वह अब मिल गया है । अब उसके पश्चात् आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंग कि १२४-ए को जिस हाईकोर्ट न अल्ट्रावायर्स करार दिया वह हाईकोर्ट की सिंगिल अदालत थी या बेंच अदालत थी ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—फुल बेंच ।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिला पंचायत कार्यालय के दोषी क्लर्कों के स्थानान्तरण का आदेश तथा दो क्लर्कों के स्थायित्व पर आपत्ति

*१—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष आजमगढ़ जिला पंचायत कार्यालय में कुछ गड़बड़ी के कारण कोई ऐसा सरकारी आदेश भेजा गया था कि पंचायत कार्यालय में कार्य करने वाले कुछ क्लर्क (लिपिक) पंचायत विभाग से हटाकर अन्यत्र पशुपालन इत्यादि विभागों में कर दिये जायं ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां, ऐसा सरकारी आदेश भेजा गया था कि ऐसे समस्त कर्नचारियों को, जिनका तनिक भी सम्बन्ध जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ के गबन से हो अथवा लेखाओं की अनियमितता से हो, स्थानान्तरित कर दिया जाय । इस आदेश का पालन किया गया है ।

*२—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि आजमगढ़ पंचायत कार्यालय में जुलाई, सन् १९५७ से १५ दिसम्बर, सन् १९५७ तक कुल कितने लिपिक (क्लर्क) स्थायी किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस अवधि में जिला पंचायत कार्यालय आजमगढ़ में कोई लिपिक स्थायी नहीं किया गया । जिला पंचायत कार्यालय में स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले दो लिपिक, पंचायत निरीक्षक कार्यालयों के लिये स्वीकृत, अपने मूल पदों पर स्थायी किये गये हैं ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत कार्यालय में स्थानापन्न रूप स काम करन वाले २ लिपिकों को पंचायत निरीक्षक कार्यालय में क्यों स्थायी किया गया ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनको दो मूल पदों पर स्थायी किया गया है और उनके अलावा ८ निरीक्षक कार्यालय के लिपिक भी स्थायी किये गये, इस तरह से कुल १० को स्थायी किया गया है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त २ लिपिकों के बारे में जिला कार्यालय में काम करने की कोई स्वीकृति डायरेक्टर पंचायत राज, यू० पी० से ली गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

श्री रामस्वरूप यादव—संचालक पंचायत राज से स्वीकृति ली गई या इसकी आवश्यकता भी लेने की है इसके लिये तो नोटिस चाहिये, लेकिन जिला स्तर पर जो लोग पंचायत निरीक्षणकार्यालय में काम करते हैं उनको अतिरिक्त जिलाधीश अपने यहां काम के लिये बुला सकते हैं ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जिला नियोजन कार्यालय और पंचायत निरीक्षक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन अलग-अलग मदों से दिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अलग-अलग स्थानों का जो वेतन होता है वह तो उसके क्रम से दिया जाता है और जितने पूल आफिस के लोग होते हैं उनको उससे दिया जाता है और पंचायत निरीक्षक कार्यालय में जो लोग काम करते हैं वह अपनी मद से पाते हैं ।

श्री मुक्तिनाथराय—यह जो दो कर्मचारी स्थायी हुए हैं वे इस समय किस मद से वेतन पा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिस जगह वह काम कर रहे होंगे वहीं से पायेंगे, लेकिन वह पंचायत निरीक्षक कार्यालय में लिपिक की हैसियत से स्थायी किये गये हैं ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे कौन सी गड़बड़ियां थीं कि जिनकी वजह से यह सरकारी आदेश जारी किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां पर कुछ गबन हुआ था जिसकी जांच हो रही है, जिन क्लर्कों पर शक था उन का फौरन तबादला करने को कहा गया ।

आजमगढ़ जिले की गांव सभाएं

*३—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतों के प्रथम सामान्य निर्वाचन के समय आजमगढ़ जिले में कितनी-कितनी गांव सभायें थीं तथा द्वितीय सामान्य निर्वाचन के समय कितनी थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला आजमगढ़ में पहले पंचायतों के सामान्य चुनाव में १४१४ गांव सभायें थीं तथा दूसरे सामान्य चुनाव के समय गांव सभाओं की संख्या २८२८ हो गई ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पहले की गांव सभायें थीं उनके एकाउन्ट्स इस समय की समस्त गांव सभाओं के एकाउन्ट्स में ठीक से एडजस्ट किये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो आशा की ही जाती है कि एकाउन्ट्स एडजस्ट कर ही दिये गये होंगे, लेकिन डेफिनिट जवाब के लिये नोटिस चाहिए ।

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[२३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले के लिये लोहे की सप्लाई बढ़ाने की प्रार्थना

*५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या झांसी जिले के लिये लोहे के गर्डर, छड़ों व एंगिल आयरन का कुछ कोटा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—झांसी जिले के लिये लोहे के गर्डर, छड़ों व एंगिल आयरन का कोई निश्चित कोटा निर्धारित नहीं है । यह कोटा स्थानीय आवश्यकता एवं स्टाक की स्थिति देखकर निश्चित किया जाता है । अतः यह कोटा समय-समय पर बदलता रहता है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनका कोटा मुकर्रर है ? अगर हां, तो इसकी क्या वजह है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उनकी भी स्थिति इसी तरह की है कि समय-समय पर आवश्यकताओं को देखते हुए निश्चित कर दिया जाता है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी झांसी की अहमियत और वहां की डिमांड को देखते हुए वहां की सप्लाई बढ़ाने के लिये गौर करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सत्य बात तो यह है, श्रीमन्, कि इस समय आयरन और जिन चीजों का कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, एंगिल आयरन और खास तौर से छड़ (बार) आदि, उनकी बहुत कमी है और उसको देखते हुए किसी भी स्थान पर बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है । जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी वह भी बढ़ाया जायगा यह निश्चित ही है ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में कोई रोलिंग मिल है ? अगर हां, तो उसका कितना प्रोडक्शन है ?

श्री अध्यक्ष—आप मिल के बारे में पूछ रहे हैं ? प्रोडक्शन के बारे में तो प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—श्रीमन्, मैंने पूछा कि कितना प्रोडक्शन होता है झांसी की रोलिंग मिल में ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं तो इस समय बता नहीं सकता कि कोई रोलिंग मिल है या नहीं और उसका कोई कोटा है या नहीं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की वह कौन सी एजेंसी है जो वहां की आवश्यकता और कोटे को देख कर सरकार से कोटा बढ़ाने के लिये इजाजत मांगती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे मित्र, माननीय सदस्य, यदि लक्ष्मणराव कदम जी से पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अन्य जिलों में इसकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष—आप काहे की व्यवस्था पूछ रहे हैं ? झांसी के सिलसिले में सूचना प्राप्त हो सकती है, लेकिन दूसरे जिलों के बारे में आप पूछ रहे हैं, उनसे यह प्रश्न संबंधित नहीं है । यह झांसी तक सीमित है, मैं इजाजत नहीं देता ।

*६-८—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[२३ सितम्बर, १६५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६—श्री मुक्तिनाथराय—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण ७ अक्तूबर, १६५८ के प्रश्न संख्या ४ के अन्तगत स्थानान्तरित कर दिया गया ।]

*१०—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—[२३ अगस्त, १६५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले के कथित गेस्ट हाउस

*११—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कितने गेस्ट हाउस हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—एक भी नहीं ।

*१२—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मेहमान गृहों में सन् १६५७ और १६५८ ई० में कितने मेहमान ठहरे और कितने-कितने दिन रहे ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता ।

*१३—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मेहमान गृहों में प्रति मास कितना रुपया खर्च होता है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बंशीधर शुक्ल—पूछना यह था सरकार से कि जो हमारी तहसील निघासन में या लखीमपुर में जो मेहमान-गृह बने हुए हैं, यानी रेस्ट हाउस बने हुए हैं, लेकिन उसको 'गेस्ट हाउस' बना करके हमारा प्रश्न ही खराब कर दिया । अब हम पूछें क्या ? हमारा कुछ पूछना ही हमारा अपमान है और हम पूछना ही गलत समझते हैं ।

श्री अध्यक्ष—आपने क्या "रेस्ट हाउस" के बारे में पूछा था ?

श्री बंशीधर शुक्ल—हमने तो 'रेस्ट हाउस' लिखा था, जिसमें लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है व्यर्थ में । इसको "गेस्ट हाउस" कह करके प्रश्न ही गलत कर दिया है । हम क्या करें ?

श्री अध्यक्ष—उसमें उनका क्या दोष है ? जो उनके पास प्रश्न भेजा गया होगा, उसी के हिसाब से उन्होंने उत्तर दिया । मैं अभी पुछवाये देता हूं, अगर 'रेस्ट हाउस' लिखा होगा तो माननीय मन्त्री जी को अगले हफ्ते में उसका उत्तर देना होगा ।

(मूल प्रश्न देखने के उपरान्त)

मूल जो आपका प्रश्न आया है, अगर उसको देखें तो 'रेस्ट हाउस' किसी हालत में नहीं हो सकता । इसमें 'ग' साफ तौर से लिखा हुआ है और गेस्ट हाउस पढ़ा जाता है जिस पर आपके दस्तखत हैं, श्री बंशीधर शुक्ल जी के । यह गलती आपने की । अब यह दूसरे के ऊपर न लगाइये, यह उचित नहीं है आप के लिये ।

उन्नाव जिला बोर्ड के अध्यापकों को आम चुनाव में काम करने का भत्ता न मिलना

*१४—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में पंचायत के मंत्रियों और जिला बोर्ड के अध्यापकों को जिन्होंने १९५७ के आम चुनाव में कार्य किया है, मार्ग व्यय आदि का भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उन्नाव जिले में १९५७ के आम चुनाव के सिलसिले में किसी पंचायत मन्त्री की सेवाएं नहीं ली गई थीं इसलिये उनके मार्ग व्यय का कोई प्रश्न नहीं उठता। जिला बोर्ड के अध्यापकों में उन्नाव जिले के लगभग १,९०० अध्यापकों ने १९५७ के आम चुनाव में कार्य किया था जिनमें से केवल ४१४ अध्यापकों का मार्ग व्यय भुगतान होने को बाकी है। बाकी लोगों के बिलों का भुगतान किया जा चुका है।

इन अध्यापकों के बिल ६ माह से अधिक पुराने होने की वजह से एकाउण्टेण्ट जनरल उत्तर प्रदेश को पूर्व जांच (pre-audit) के लिये भेजे गए। परन्तु एकाउण्टेण्ट जनरल ने इनको इसलिये बिना पास किये लौटा दिया कि यह शुरू से ही नये सिक्के में तैयार किये गये थे जबकि कायदे के मुताबिक उनको पुराने सिक्के में तैयार करके उनका योग सिर्फ नये सिक्के में होना चाहिये था। इस वजह से इन बिलों का भुगतान अभी नहीं किया जा सका।

*१५—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रकार की कितनी धनराशि है जो मार्ग व्यय आदि के रूप में है और यह धनराशि जिले के कितने पंचायत मंत्रियों और जिला बोर्ड के कितने अध्यापकों को मिलना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उक्त बिलों की धनराशि ५,७९७ रुपये २५ नये पैसे है। यह धनराशि जिला बोर्ड के ४१४ अध्यापकों को मिलनी है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय न्याय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों के बिल बाकी हैं उन्होंने समय के अन्दर अपने बिल कार्यालय में दे दिये थे उसके बाद भी ये ६ महीने पुराने क्यों हो गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मेरे खयाल से शायद यह सही नहीं है कि वे बिल ६ महीने के अन्दर दे दिये गये थे, किन्तु ४१४ अध्यापकों की बात है, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष अध्यापक या कुछ अध्यापकों की बात पूछें तो कदाचित सूचना मिलने पर मैं उसका उत्तर दे सकूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ४१४ अध्यापकों के बिल प्रि-आडिट से अभी स्वीकार नहीं हुए हैं उनको दुरुस्त कराने के लिये वे क्या करने जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१०-१-५८ को वे बिल प्रि-आडिटिंग के लिये भेजे गये थे, लेकिन चूंकि वे वापस हुए इस लिये कोशिश यह की गयी कि उन बिलों को यहां फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से कहा जाय कि उस कायदे को हटा दिया जाय और जो नये और पुराने सिक्के की बात है उसके बारे में कुछ ढील दे दी जाय, लेकिन वह भी कायदे के अनुसार स्वीकार नहीं हो सका। तो एक विशेष क्लर्क को डेप्यूट किया गया है। वह बैठेगा और उन बिलों को कायदे के अनुसार पहले पुराने सिक्कों में लिखेगा और उसका योग नये सिक्कों में लिखेगा। उसके बाद वे सारे के सारे प्रि-आडिट हो कर उनका रुपया मिलेगा।

श्री भीखालाल—क्या यह बात सही है कि अध्यापकों ने बिल ६ महीने के अन्दर दे दिये थे, लेकिन दफ्तर में वे खो गये थे और फिर दोबारा मांगे गये इस वजह से देर हुई ?

श्री सैयद अली जहीर---यह गलत है। वाकया यह है कि जो बिल उन्होंने पहले दिये थे वे सादे कागज पर दिये थे, टी० ए० बिल फार्म पर नहीं लिखे थे। उसके बाद उनसे कहा गया कि सही तरीके से लिख कर भेजें। इसलिये देर हुई और ६ महीने से ज्यादा गुजर गये।

श्री संजीवनलाल (जिला उन्नाव)---क्या किसी एस० डी० एम० या तहसीलदार का भी भत्ता बाकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सूचना की आवश्यकता है, इस समय तो नहीं कह सकता।

घी, शक्कर, सरसों का तेल तथा डालडा के मूल्य में वृद्धि

*१६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, १६५८ को प्रदेश में घी, शक्कर, सरसों के तेल और बनस्पति के भाव क्या थे तथा जुलाई, १६५८ में क्या थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मई, १६५८ तथा जुलाई, १६५८ में इस प्रदेश के बाजारों में घी, चीनी, खांडसारी, सरसों के तेल तथा बनस्पति (डालडा) के भावों की तालिकायें सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८६५-८६६ पर)

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी सदन की जानकारी के लिये बतलाने की कृपा करेंगे कि इन चीजों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रतिशत गिनना कठिन है, लेकिन तालिका में यह दिया हुआ है कि चीनी की हमारे यहां १६ बड़ी मंडियां हैं उन में से किस-किस स्थान पर कितनी वृद्धि हुई है, जैसे सहारनपुर में ६० था तो ६५ रुपया हो गया। कहीं-कहीं वृद्धि हुई है, कहीं एक-से भाव रहे हैं और एक दो स्थानों पर कमी हुई है। इसी तरह से सरसों का तेल आदि चीजें हैं। उनमें भी थोड़ी-थोड़ी वृद्धि हुई, कहीं एक-से भाव रहे और कहीं कम हुए और इसी तरह से खांडसारी और डालडा के सम्बन्ध में और घी के संबंध में प्रायः थोड़ी-थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिशत गिन सकना संभव नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी, चूंकि माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं इसलिये तालिका भी अनुपस्थित है, इस बात को ध्यान में रखकर सदन की जानकारी के लिये उसे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह तालिका बहुत बड़ी है, ४ सफों की, इसलिये मैं इसके पढ़ने की इजाजत नहीं देता। आप देखना चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी के कमरे में जा कर देख सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी उन जगहों क नाम बताने की कृपा करेंगे कि जहां सरसों के तेल के दाम कम हुए ?

श्री अध्यक्ष---यह भी लिस्ट में से निकालना पड़ेगा। झोरे का सवाल है इसलिये मैं इजाजत नहीं देता।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब गन्ने का भाव निर्धारित था उस समय चीनी तैयार हुई थी तो बाद में चीनी के दाम क्यों बढ़ाये गये ?

नोट---तारांकित प्रश्न १६ श्री लायक सिंह ने पूछा।

श्री सैयद अली जहीर---दाम तो ज्यादा नहीं बढ़े। जो महंगाई का एवरेज है वह ९४ नये पैसे से बढ़ कर ९६ नये पैसे हो गया है।

श्री धर्मपालसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो भावों में वृद्धि हुई है उसका कारण क्या है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---महंगाई और उसका कारण जो है वह माननीय सदस्यों की जानकारी में है।

*१७---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)---[१७ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

प्रतापगढ़ जिले में गंगा के मानिकपुर घाट की नीलामी इलाहाबाद के अधिकारियों द्वारा होने पर आपत्ति

*१८---श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ के अन्दर तहसील कुन्डा में टाउन एरिया मानिकपुर में गंगा नदी का घाट है? यदि हां, तो उस घाट की नीलामी इलाहाबाद के अधिकारियों द्वारा क्यों होती है?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। मानिकपुर घाट सन् १९०० से भूतपूर्व जिला बोर्ड, इलाहाबाद के अधीन था तथा १९३९ में जिला इलाहाबाद तथा प्रतापगढ़ के मध्य के ७ घाटों को दोनों जिलों के जिला बोर्डों के बांटते समय उक्त घाट इलाहाबाद जिला बोर्ड को दिया गया था।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन घाटों का बटवारा किस आधार पर किया गया था?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि सन् १९०० से यह घाट इलाहाबाद जिले के थे और बाद में प्रतापगढ़ जिले से उन दिनों की सरकार को लिखा गया कि यह घाट प्रतापगढ़ के पास आ जाने चाहिये। सरकार ने यह किया कि आधी आमदनी वाले घाट इलाहाबाद को दे दिये और आधी आमदनी वाले घाट प्रतापगढ़ को और अभी तक उसी के अनुसार चल रहा है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब प्रतापगढ़ वालों ने यह प्रश्न उठाया था तो किस जांच के बाद यह बटवारा किया गया था?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि यह बटवारा होने के बाद आधे घाट प्रतापगढ़ को दे दिये गये और आधे इलाहाबाद को। उसके पहले इलाहबाद वाले ही प्रबंध करते थे और उसकी आमदनी वसूल करते थे।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार अब इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जिन घाटों पर प्रतापगढ़ जिले का अधिकार है और जिनकी आय पाने के वही अधिकारी हैं तो उन्हें इलाहाबाद जिले से लेकर फिर प्रतापगढ़ जिले को दे दिया जाय?

श्री रामस्वरूप यादव---यदि जिला परिषद्, प्रतापगढ़ से कोई ऐसा आवेदन-पत्र आवेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या इस मानिकपुर घाट पर किसी ग्राम सभा ने भी अपना क्लेम किया है?

नोट---तारांकित प्रश्न १८ श्री जंगबहादुर वर्मा ने पूछा।

श्री रामस्वरूप यादव---ग्राम सभा का क्लेम तो नहीं है, टाउन एरिया का है जैसा कि प्रश्न में ही है।

श्री नन्दराम---क्या सरकार को मालूम है कि यह मानिकपुर घाट मानिकपुर टाउन एरिया की सीमा के अन्दर है?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

श्री नन्दराम---क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करने की कोशिश करेंगे कि मानिकपुर घाट मानिकपुर टाउन एरिया को दे दिया जाय?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने उत्तर दे दिया कि अगर प्रतापगढ़ जिला परिषद् लिखेगा तो विचार किया जायगा।

*१६-२०---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---[स्थगित किये गये।]

*२१---श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)---[२३ सितम्बर, १६५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२२-२३---कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)---[स्थगित किये गये।]

हल्द्वानी तहसील में भूमिहीन हरिजनों को भूमि देने के सम्बन्ध में जानकारी

*२४---श्री प्रतापसिंह---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने जुलाई के प्रथम सप्ताह में हल्द्वानी तहसील में काबिज हरिजन भूमहीनों की जमीन का मौका मुआइना किया? यदि हां, तो क्या उस जमीन को भूमिहीन हरिजनों को देने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां। मैंने मौके का मुआयना दिनांक २६ जून, १६५८ को किया था और इस संबंध में यह आदेश दे दिये गये हैं कि ऐसी भूमि को छोड़कर जो वृक्षोत्पादन और मिट्टी के कटान को रोकने तथा ऐसी भूमि जो हल्द्वानी नगर के विस्तार व विकास के लिये आवश्यक है, शेष भूमि को जो इस क्षेत्र में कृषि के लिये उपयुक्त है, वास्तविक भूमिहीन हरिजनों को प्रदान किया जा सकता है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी भूमि वर्तमान अनधिकृत अधिकार करने वालों को ही दी जाय।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय उपमंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने मौका मुआयना किया था या मंत्री जी ने किया था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस प्रश्न के नीचे मंत्री जी के हस्ताक्षर हैं तो "मैं" का तात्पर्य मंत्री जी से है मुझसे नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी ने अपने मौका मुआयने में हरिजनों के मकान बने हुये और खेत जुते हुये देखे?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, कुछ छोटे-छोटे मकान बने हुये थे और कुछ खेत भी जुते हुये मालूम होते थे, लेकिन ज्यादातर हिस्सा ऐसा था जो खेती के काबिल बिल्कुल नहीं था।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि हरिजन ६ साल से वहां खेती करते आ रहे हैं, वह जमीन उनको देने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर---इसमें तो उसूल का सवाल शामिल है, क्योंकि हरिजनों ने बिना किसी से पूछे जबर्दस्ती इस जमीन पर कब्जा कर लिया है। अगर हम इस तरह से इजाजत दे दें तो यह सवाल इतना बढ़ जायगा कि सरकार की बहुत मुसीबत बढ़ जायगी और दूसरी जगह यह चीज मिसाल के तौर पर पेश की जायेगी। इसलिये हमें गौर करना है कि किस तरह से क्या किया जाय।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि जिस जमीन पर हरिजनों का कब्जा है उसमें न तो फारेस्ट का कोई कीमती पेड़ है और न दूसरे किसान का नुक्सान है, इस पर गौर करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---वह सब बातें रख दी गयी हैं जिनका खयाल किया जायगा।

श्री भीखालाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन्होंने कब्जा कर लिया है वह भी भूमिहीन हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, यह तो तहकीकात की जायगी तो पता चलेगा।

*२५---श्री पहलवानसिंह चौधरी (जिला बांदा) ---[२३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२६---श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)---[२३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२७-२८---श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---[२३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---[१७ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३०-३२---श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---[२३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिगणित जाति के ओवरसियर्स

*३३---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने हरिजन ओवरसियर सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्य कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल---सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस समय परिगणित जाति के कुल ७ ओवरसियर कार्य कर रहे हैं।

*३४---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---उनमें कितने स्थायी और कितने अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल---इन ७ परिगणित जाति के ओवरसियर्स में से एक स्थायी ओवरसियर है और ६ अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---इन ७ ओवरसियरों को इस स्थान पर कितना समय हुआ अर्थात् उनकी सर्विस कितनी है ?

श्री गिरधारीलाल---जिसको कन्फर्म कर दिया गया है उसकी नियुक्ति १९४६ में हुई थी इसके अलावा एक की नियुक्ति १९४९ में हुई, बाकी पांच की नियुक्ति १९५८ में हुई है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---जो ६ ओवरसियर अस्थायी हैं उनको कब तक स्थायी किया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---जिस समय परमानेंट केडर में वेकेन्सीज खाली होंगी उस समय और भी बहुत से टैम्पोरेरी ओवरसियर्स हैं, उनके साथ उनका भी विचार किया जायगा।

लखनऊ में सस्ते अनाज की दूकानें

*३५---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के किन-किन मुहल्लों में सस्ते गेहूं की दूकानें खोली गई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---लखनऊ नगर में जिन-जिन मुहल्लों में सस्ते गेहूं की दूकानें खोली गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६७-८६८ पर)

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में कुल कितनी सस्ते गल्ले की दूकानों की मांग थी और कितनी खोली गयीं ?

श्री सैयद अली जहीर---मांग का तो कोई सवाल नहीं है। लखनऊ चूंकि कवाल टाउन्स में शामिल है लिहाजा यहां जितनी जरूरत होगी उतनी खोली जायंगी। इस वक्त पर ११० खोली जा चुकी हैं। बाकी फैमिली कार्ड बन रहे हैं, जब बन कर तैयार हो जावंगे तब पता चलेगा कि कितनी जरूरत है और उतनी खोल दी जायंगी।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दारुलशफा के आसपास कोई दूकान खोलने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---क्या आप एम० एल० एज० के लिये पूछना चाहते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे खयाल में दारुलशफा के आसपास कोई न कोई दूकान जरूर होगी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी ने जो ११० दूकानें खोली हैं क्या वह बतायेंगे कि किस जांच के बाद उनको खोला गया ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं समझा नहीं, क्या मतलब है सवाल का ।

श्री प्रताप सिंह---क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ११० दूकानें जो खोली गई हैं वह किस आधार पर खोली गयी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---उनकी जरूरत थी इसलिये उनको खोला गया।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि जैसी जरूरत होती है वैसी दूकानें खोल दी जाती हैं, तो यह जरूरत उनको कैसे मालूम होती है ?

श्री सैयद अली जहीर---ऐसे मालूम होता है कि क्या आबादी है वहां, कितने गरीब आदमी बसते हैं, कितना हमारे पास अन्न है। इन सब बातों को देख कर फैसला किया जाता है कि फलां जगह पर कितनी दूकानें खुलेंगी। इसी तरह से लखनऊ में किया गया।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गरीबों की गणना कैसे लगायी है ?

श्री सैयद अली जहीर---उसूल यह रखा गया है कि जिसकी १५० रुपये से कम आमदनी हो उसको जरूर अनाज मिले।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब जांच उन्होंने की थी तो कितनी दूकानों की लखनऊ में आवश्यकता थी जिसमें ११० खोली गयी हैं?

श्री सैयद अली जहीर---मैंने यह बताया कि यहां तो फैमिली कार्ड बन रहे हैं। वह जब बन जायेंगे तो उस वक्त मालूम होगा कि यहां पर कितनी दूकानों की जरूरत है। अमूमन जहां ५ हजार की आबादी ह वहां पर एक दूकान, उस हलके में खोल दी जाती है। लेकिन उसके बाद इसका अन्दाजा किया जाता है कि वाकई कितनी दूकानों की जरूरत है। उसके हिसाब से दूकानें वहां पर खुलती हैं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तोपखाना बाजार छावनी के पास नयी बस्ती में जो ३ हजार हरिजन रहते हैं उनके लिए सस्ते गल्ले की दूकान की मांग की गयी थी?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे याद पड़ता है कि उनकी मांग आयी थी, लेकिन इस वक्त याद नहीं कि उस पर क्या फैसला हुआ।

*३६---श्री नन्दराम---[२३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

नगरपालिकाओं के निलम्बित अध्यक्षों की उच्च न्यायालय से बहाली

*३७---श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९५३ से लेकर ३१ जुलाई, १९५८ तक कितनी नगरपालिकाओं के अध्यक्ष निलम्बित किये गये और उनमें से कितने उच्च न्यायालय द्वारा पुनः बहाल किये गये?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---१३ अध्यक्ष तथा १ स्थानापन्न अध्यक्ष निलम्बित किये गये। इनमें से दो उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम रूप से बहाल किये गये जिनमें से एक ने बहाल होने पर त्याग-पत्र दे दिया। दूसरे जो स्थानापन्न अध्यक्ष थे के बहाल होने के उपरान्त नगरपालिका अवक्रान्त की गई। इसके अतिरिक्त ६ अध्यक्ष उच्च न्यायालय के निर्णय पर बहाल हुए तथा एक का मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

*३८-३९---श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)---[२३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

फारेस्ट कालेज, देहरादून में टेहरी-गढ़वाल जिले के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित स्थान रखने की प्रार्थना

*४०---श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह जिला टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण के पूर्व की भांति इस जिले के अभ्यर्थियों के लिये फारेस्ट कालेज, देहरादून में कुछ स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी-गढ़वाल के विलीनीकरण से पूर्व की भांति इस जिले के अभ्यर्थियों के लिये फारेस्ट कालेज, देहरादून में कुछ स्थान सुरक्षित क्यों नहीं किये जाते हैं?

श्री सैयद अली जहीर---इस कालेज में जिले के हिसाब से तालिबइल्म नहीं जाते हैं, उसके लिये तो पूरे सूबे की तादाद मुअय्यन है कि इतने तालिबइल्म जायेंगे। जहां-जहां से मिलते हैं वहां भेजे जाते हैं।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि विलीनीकरण के उपरान्त टेहरी-गढ़वाल के कितने व्यक्ति वन विभाग की सेवा में नियुक्त किये गये हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*४१-४३---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---[स्थगित]

एस० डी० ओ०, बलरामपुर, जिला गोंडा के विचाराधीन चुनाव याचिकायें

*४४---श्री दशरथप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के एस० डी० एम० बलरामपुर के यहां कितने ग्राम प्रधानों के विरुद्ध पेटीशन चल रहे हैं और कितने दिनों से चल रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---एस० डी० एम० बलरामपुर के यहां किसी प्रधान के विरुद्ध पेटीशन नहीं चल रहे हैं।

श्री दशरथप्रसाद---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अन्तिम पेटीशन कब तय हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---चुनाव याचिका एस० डी० एम० के यहां नहीं हुआ करती, ऐसा कानून है। एस० डी० ओ० के यहां हुआ करती है। इस तरह की ६ चुनाव याचिकायें अभी तक चल रही हैं।

प्रतापगढ़ जिला अन्तरिम परिषद् की कार्य समिति का हाथ उठाकर चुनाव

*४५---श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रतापगढ़ जिला अन्तरिम परिषद् की कार्य-समिति के चुनाव के अवसर पर चुनाव हाथ उठाकर किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

*४६---श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि कुछ सदस्यों के इस पर एतराज करने और गुप्त रूप से चुनाव की राय देने पर भी जिलाधीश द्वारा नहीं सुना गया और न विरोध ही नोट किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---सदस्यों के एतराज तथा सुझाव पर विचार-विमर्श करके हाथ उठाकर मतदान का निर्णय किया गया, अतः एतराज न सुनने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्दराम---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नियम के अनुसार गुप्त मतदान होना ही सही था ?

श्री रामस्वरूप यादव---अन्तरिम जिला परिषद् के नियमों में हाथ उठा कर ही चुनाव होना चाहिये था।

श्री नन्दराम---क्या इस मतदान में बहुत से सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था और उन्होंने वोट दिया ?

नोट---तारांकित प्रश्न ४५-४६ श्री जंगबहादुर वर्मा ने पूछे।

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा तो नहीं सोचा जा सकता कि जिन्ह वोट का अधिकार नहीं था उन्होंने वोट दिया हो । सरकारी कर्मचारियों ने वोट दिया या नहीं इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी उन तमाम चुनावों को जिनमें गुप्त वोट डाला गया है अवैधानिक घोषित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा न्यायसंगत नहीं होता है । अगर गुप्त डाला गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अवैधानिक हो सके । नियम है कि हाथ उठाकर भी हो सकता है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—हाथ उठाकर वोट देना नियम के अन्तर्गत है या गुप्त मतदान नियम के अन्तर्गत है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर बिलकुल शाब्दिक अर्थ किया जाय तो हाथ उठाकर ही नियम के अन्तर्गत है, लेकिन जहां सर्वसम्मति से गुप्त मतदान के लिये तय किया जाय वहां भी कोई आपत्ति नहीं है ।

पी० डब्लू० डी० रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ के अन्वेषण कार्य

*४७—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ P. W. D. Research Institute ने गत वर्ष १९५७ व इस वर्ष १९५८ में अब तक क्या अन्वेषण किये एवं उसमें क्या व्यय पड़ा ?

श्री गिरधारीलाल—पी० डब्लू० डी० रिसर्च इन्टीट्यूट, लखनऊ में १९५७ और १९५८ (जुलाई तक) में जो अन्वेषण कार्य हुआ उसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

इन कार्यों पर क्या व्यय हुआ यह बताना संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८६९ पर)

श्रमदान द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी-डावर रोड की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*४८—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री कृपा कर जिला आगरा में श्रमदान द्वारा पक्की बनाई गई फतेहपुर सीकारी-डावर रोड (जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है तथा जो अब सार्वजनिक निर्माण विभाग में ले ली गई है) की शीघ्र मरम्मत कराने का विचार करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—इस वित्तीय वर्ष में इस सड़क के लिये १०,००० रुपये का अनुदान इस सड़क की देख-भाल तथा आवश्यक मरम्मत के लिये स्वीकृत किया जा चुका है ।

*४९—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (अनुपस्थित)—क्या इस सड़क को लगभग २ मील और सिरौली ग्राम (राजस्थान की सीमा) तक बढ़ाने का विचार हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

नोट—तारांकित प्रश्न ४८-४९ श्री सुरथबहादुर शाह ने पूछे ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सड़क कितनी लम्बी है ?

श्री गिरधारीलाल—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस सड़क को कब लिया ?

श्री गिरधारीलाल—मेरे खयाल से सन् १९५६ में ली गई।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसे इस शर्त पर लिया था कि शीघ्र से शीघ्र इसे पक्की करा दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—हां, उस वक्त से शीघ्र से शीघ्र पक्की कराने की कोशिश की जा रही है। पहले वर्ष बजट में १०,००० रुपया इस सड़क के लिये रखा गया था जिससे गिट्टी वगैरह इकट्ठी की गई और दोनों ओर की पटरियों पर पहले मील में कुछ काम हुआ। पिछले वर्ष बजट देर से पास होने के कारण उसके ऊपर काफी पैसा खर्च नहीं हो पाया। इस वर्ष उस पर पूरा काम हो रहा है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस सड़क की अहमियत इसलिये भी ज्यादा है कि डावर पत्थर की बहुत बड़ी कान है ?

श्री गिरधारीलाल—अहमियत है, तभी तो इसे श्रमदान द्वारा बनाया गया और विभाग ने इसे लिया।

श्री सुरथबहादुरशाह—जब मंत्री जी उसकी अहमियत स्वीकार करते हैं तो इसे अभी तक क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—न बनाने की कोई बात नहीं कही गई। चार मील के टुकड़े पर काम हो ही रहा है।

अतारांकित प्रश्न

पंचायत कर की वसूली

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच सालों में पूरे प्रदेश में प्रति साल कितना पंचायत टैक्स लगाया गया और उसमें से कितना वसूल हुआ तथा प्रति साल बकाया कितना रहा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८७० पर)

प्रश्न संख्या ४१–४३ के संबंध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में दिया है

"*The effect of orders of the Tribunal.*—Every order of the Tribunal under section 98 or section 99 shall take effect as soon as it is pronounced by the Tribunal."अपील का राइट दूसरी चीज है। "It will take effect immediately," यह दिया हुआ है। इसलिये मैं जांच कर लूं कि ऐसा फैसला हुआ है या नहीं अगर इसी तरह का फैसला हुआ है तो ये प्रश्न नहीं लिये जावेंगे वरना अगले सप्ताह में इनके उत्तर दिये जावेंगे।

सदन के परिसर की परिभाषा तथा दीर्घाओं में दर्शकों के प्रवेश पर रोक के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज आपके यहां के सचिव का एक पत्र श्री राजनारायण जी के पास गया, उसमें यह लिखा हुआ है—

"सदन के परिसर (प्रेसिंक्ट्स आफ दि हाउस) में, जिसका तात्पर्य सभा मंडप, लाबीज, विधान सभा सचिवालय के कमरे, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कमरे, पुस्तकालय, कमेटी रूम, पार्टियों के कमरे तथा उन तक पहुंचने के सभी रास्तों से है, नहीं आ सकते हैं।"

श्रीमन्, इसके पहले भी १९ दिसम्बर को श्री राजनारायण जी को इस सदन से निलम्बित किया गया था। उस समय जो आदेश गया था वह इस प्रकार था—

"उपरोक्त निश्चयानुसार आप सभा मंडप, लाबी, विधान सभा सचिवालय के कार्यालय के कमरे, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कमरे, पुस्तकालय, कमेटी रूम तथा पार्टियों के कमरों में नहीं जा सकते परन्तु यदि आप चाहें तो अपनी पार्टी के कमरे में जा सकते हैं।"

इस सम्बन्ध में जहां तक हमारी प्रक्रिया नियमावली का सम्बन्ध है उसमें लिखा हुआ है 'सदन' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के विधान मंडल के किसी सदन से है। इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं है इसलिये इन दोनों पत्रों में दो प्रकार के भाष्य इसके किये गये। एक में तो आपने अपनी पार्टी के कमरे में जाने की इजाजत दे दी लेकिन अब जो आदेश आपका गया है उसके अनुसार श्री राजनारायण अपने पार्टी के कमरे में भी नहीं जा सकते। मान लिया कि उनको सरकार के किसी सदस्य से मिलना है अथवा डिपार्टमेन्ट के किसी आदमी से मिलना है, जिसका विधान सभा और विधान परिषद् की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो अगर वह यहां आना चाहें तो क्या वह गगन से कूद कर यहां आयेंगे? तो मैं श्रीमन् से यह पूछना चाहूंगा कि "प्रेसिंक्ट्स" का अर्थ क्या है?

श्री अध्यक्ष—मैंने कल ही इसके बारे में फैसला दे दिया था। इस बारे में काफी ऊहापोह होकर यह तय किया गया कि 'प्रेसिंक्ट्स' क्या होंगी। उसके बारे में एक व्याख्या तैयार की गयी। उसके अनुसार ही वह पत्र है जो कल माननीय राजनारायण को भेजा गया है। पिछला जो निर्देश है वह उसके पिछले दिसम्बर की बात है और यह जुलाई में जो 'प्रेसिंक्ट्स' के बारे में फैसला हुआ था, उसी के अनुसार यह आदेश दिये गये हैं। पहला जवाब जो दिया गया था, उस समय तक जुलाई का फैसला नहीं हुआ था इसलिये अंदाजे से जो 'प्रेसिंक्ट्स' समझे गये, वही जवाब में दे दिया गया था। अब यह जो फैसला जुलाई में हो गया है वही लागू रहेगा। अब केवल यह तो हो सकता है कि मैं कोई एक्जेम्पशन दे दूं। उस वक्त भी अपनी पार्टी के कमरे में आने का श्री राजनारायण को एक्जेम्पशन दे दिया गया था और वह आज भी दिया जा सकता है, यदि किसी विशेष परिस्थिति में माननीय राजनारायण जी उसके लिये प्रार्थना करें। लेकिन सचिव ने जो आज्ञा भेजी है वह 'प्रेसिंक्ट्स' की व्याख्या के ही अनुसार है। वही अमल में आयेगी जब तक कि उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, जो रास्ते इसमें आते हैं वह तो मंत्रियों के कमरों के भी हैं। इससे तो वे वहां भी नहीं आ सकते।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये खास इजाजत लेकर वह आ सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—तो क्या मंत्रियों के कमरे भी इसमें शामिल हो गये?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---हमारे रास्ते 'कामन' हैं लेकिन उसकी वजह से मैं किसी व्यक्ति को ऐसा मौका नहीं दे सकता कि वह किसी प्रकार से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाये। इसीलिये इस तरह की व्याख्या की गयी है। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को सांस लेने से भी रोक दिया जाय और दूसरे काम न करने दिये जायं। अगर वे मंत्री जी के पास जाना चाहते हैं तो उनको वैसी इजाजत मिल सकती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी, लेकिन यह होगा इजाजत लेकर ही। लेकिन उससे यह भी नहीं हो सकता कि कोई इजाजत लेकर माननीय मंत्री जी के कोरीडोर में घूमे और फिर किसी तरह की गड़बड़ी सदन में पैदा करे।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, आज जब हम इस सदन में आये तो कुछ लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुये थे। उनके पास 'पास' था इसलिये उन्हें वहां बैठने का अधिकार था, लेकिन उनको हटा दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उनको किस के आदेश से हटाया गया? आज किसी भी दीर्घा में कोई दर्शक दिखायी नहीं दे रहा है तो यह कहां तक उचित और संसदीय परम्परा के अनुकूल है?

श्री अध्यक्ष---दर्शक दीर्घा में खासतौर से हमारे दफ्तर से इजाजत लेकर आ सकते हैं, लेकिन मुझे यह अधिकार है इस विषय में कि अगर मैं परिस्थिति ऐसी देखूं जिसमें कि यहां के वाद-विवाद के सिलसिले में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है तो उसे कुछ दिनों के लिये बन्द कर सकता हूं कि दर्शक न आवें और हम लोग शांतिपूर्वक विचार-विनिमय करते रहें। चूंकि कल इस तरह की गड़बड़ी हुई तो मैंने कह दिया कि दर्शकों को यहां से चले जाना चाहिये, वे चले गये। और आज के लिये भी मैंने यह आज्ञा दी थी कि जितने पासेज अगर आज के लिये जारी हो गये हों, उनको कैंसिल कर देना चाहिये। मैं दो एक रोज देखूंगा, शायद कल के लिये भी ऐसी चीज हो। मैं देखूंगा कि विवाद शांतिपूर्वक होता है तो फिर मैं दूसरी आज्ञा दे दूंगा कि वे फिर आना शुरू कर दें। लेकिन मेरी आज्ञा से यह हुआ है और वैधानिक है क्योंकि नियमों के अनुसार मुझको इस विषय में अधिकार है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---एम०एल०सी० के लिये भी बन्द है?

श्री अध्यक्ष---सबके लिये बन्द है क्योंकि अगर मैं उनके लिये इजाजत दे दूं तो इसमें लोगों को डिस्क्रिमिनेशन मालूम होगा। हर एक को पहचान-पहचान कर अन्दर करना इस गड़बड़ी की परिस्थिति में मैंने उचित नहीं समझा।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---क्या कल दर्शकों ने कुछ गड़-बड़ी की?

श्री अध्यक्ष---इधर उधर का प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। मैंने जो उचित समझा उसके लिये आज्ञा दी। अब मैं थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---श्रीमन्, कल आपने आज्ञा दी थी कि जो लोग घसीटे गये थे उनके बारे में आप लिख कर दे दें.....

श्री अध्यक्ष---आप जरा खामोश रहें, फिर आप कहें। पहले मैं कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम के अनुसार सदन को सूचना देना चाहता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री ब्रजनारायण तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जुडिशियल आफिसर पडरौना ने यह लिखा है ---

"Sri Brij Narain Tiwari M. L. A. has to-day been arrested under section 111 I. P. C. and 107/117 Cr.P. C. at Kasiya in Deoria District at about 1300

hours. He has addressed a public meeting at Salempur on 30th August, 1958 in which he had instigated the public to loot government grain godowns. A case was registered against him under section 117, I. P. C. at P. C. Lar. He has been lodged in District Jail, Deoria. Letter follows."

तो श्री ब्रजनारायण तिवारी की गिरफ्तारी इसलिये हुई कि उन्होंने सलेमपुर में ३० अगस्त को स्पीच दी थी जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने दूकानों को लूटने के लिये लोगों को भड़काया। उनके खिलाफ दफा ११७ का केस रजिस्टर्ड हुआ इसलिये उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया है। यह सूचना मेरे पास आयी है।

दीर्घा में सेक्रेटरियों के बैठने पर आपत्ति

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं और वह यह है कि जब आपने यह आदेश दे दिया था कि दर्शक गैलरी में कोई नहीं बैठेगा, यहां तक कि एम०एल०ए० और एम०एल०सी० भी नहीं बैठेंगे तो क्या यह उचित है कि सेक्रेटरी लोग उसमें बैठें ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो सेक्रेटरी लोग यहां बैठे हों, या और कोई आफिसर हों, वे सब कृपा करके गैलरी से चले जायं।

(दीर्घा खाली हो गयी।)

श्री राजनारायण तथा अन्य १२ सोशलिस्ट सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कल के रोज श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के लिये सूचना दी थी। मैंने उनसे कहा था कि पहले हिस्से में श्री राजनारायण सिंह के विरुद्ध जो बात उन्होंने कही है उसके लिये तो कार्यवाही हो गई। लेकिन दूसरे के बारे में अगर वह नोटिस देंगे कायदे से तो उसके ऊपर प्रश्न उठाया जा सकता है। उन्होंने एक विशेषाधिकार की शिकायत इस विषय में की है, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की इजाजत मुझ से मांगी है। वह इस प्रकार है—

"आज मैंने अध्यक्ष महोदय विधान सभा को सूचित किया था 'इत्यादि'।" मैं यह जानना चाहता हूं पहले कि क्या आपने इसकी सूचना श्री राजनारायण जी को भी भेज दी है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—जी हां।

श्री अध्यक्ष—वह उनको मिल गई है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जी हां।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि चूंकि सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं तो मैं इसे पढ़ के तो सुना दूंगा। लेकिन जब वह सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं, यह उचित होगा कि उनकी मौजूदगी में यह प्रश्न उठाया जाय, क्योंकि वह १५ रोज तक यहां नहीं आयेंगे तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उसको स्वीकृति दे दी है। श्री राजनारायण की बात सुनने के बाद अगर उन्हें इसमें कोई आक्षेप है, उसको सुनने के बाद मैं यह फैसला दूंगा कि यह 'इन आर्डर' है या नहीं, प्राइमाफेसी विशेषाधिकार की अवहेलना होती है या नहीं।

मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। प्रस्ताव बहुत लम्बा है। सिर्फ उसमें जो चार्जेज माननीय सदस्य ने लगाये हैं उनको मुख्तसर में सुना देता हूं क्योंकि आज इसको विचार में लेना

[श्री अध्यक्ष]

नहीं है, इसलिये बहुत लम्बे प्रस्ताव को पढ़ने की मैं जरूरत नहीं समझता और कई और प्रस्ताव भी मेरे पास आये हैं, इसलिये मैं सदन का समय बचाना चाहता हूं ।

"माननीय राजनारायण सिंह आदरणीय अध्यक्ष की आज्ञा की परवाह न करते हुये बहुत समय तक सदन में बलपूर्वक उपस्थित रहे ।

माननीय अध्यक्ष के आदेश के बावजूद तथा मार्शल के कहने पर भी वह सदन के बाहर नहीं गये बल्कि अनर्गल अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुये नारे लगाते रहे और स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को अस्वीकार करने की घोषणा की ।

तीसरे वह अपने स्थान से उठकर सदन के माननीय अध्यक्ष के लिये निर्धारित स्थान पर आकर खड़े हो गये और वहां से ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा भाषण देने लगे जिसमें उन्होंने अत्यन्त अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया ।

चौथे मार्शल को यह आज्ञा मिल जाने के पश्चात् कि वह अन्य सहायक अधिकारियों की सहायता से माननीय राजनारायण जी को सदन के बाहर करें मार्शल ने अन्य अधिकारियों सहित श्री राजनारायण सिंह को सदन से बाहर करने की चेष्टा की तो उन्होंने अपने अन्य १२ साथियों सहित एक गोल बना लिया और एक दूसरे को पकड़ लिया जिससे कि श्री राजनारायण सिंह को सदन से बाहर न किया जा सके । उन्होंने हिंसापूर्ण व्यवहार किया और बल का भी . . ."

एक सदस्य---गलत है ।

श्री अध्यक्ष---अभी आप बैठें ।

"प्रयोग किया जिसके कारण मार्शल और उनके साथियों के लिये बहुत समय तक यह सम्भव नहीं हो सका कि वह श्री राजनारायण सिंह को सदन के बाहर ले जा सकें । अन्त में मार्शल तथा उनके साथी बहुत कठिनाई से श्री राजनारायण सिंह को सदन से बाहर कर सके ।

इस प्रकार श्री राजनारायण सिंह ने अपने उद्दंड, उच्छृंखल , अपमानजनक एवं हठपूर्ण व्यवहार के द्वारा सदन के कार्य में बाधा डाली, सदन के अधिकारियों के कर्त्तव्यपालन के मार्ग में भी बाधा एवं रुकावट डाली तथा सदन का अवमान किया ।"

तो यह मुख्य-मुख्य बातें मैंने आपको मुख्तसर में सुना दीं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, एक सूचना जानना चाहता था । यह जो बातें इस समय कही गई हैं क्या यह श्रीमन् के बैठे हुये में जब आप उपस्थित थे यहां तब हुईं या आपके चले जाने के बाद में हुई ?

श्री अध्यक्ष ---यह तो मैंने पहले ही सुना दिया कि मेरे जाने के बाद यह घटना हुई, यह सब चीजें जब मैंने सदन को स्थगित कर दिया, उसके बाद की बातें हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---व्यवस्था का प्रश्न श्रीमन्, यह आता है कि उस समय हाउस बैठा हुआ नहीं था । तो यह विशेषाधिकार का सवाल कैसे आ सकता है ?

श्री अध्यक्ष---दूसरा सवाल श्री शिवराजसिंह उठाना चाहते हैं वह यह है :---

"मैं सूचित करना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण के अतिरिक्त सदन के निम्न सदस्यों ने अपने अपमानजनक, उद्दंडतापूर्ण एवं दुराग्रहपूर्ण व्यवहार से सदन का अवमान किया है जिससे सदन के अधिकारियों के कार्य में बाधा और रुकावट पड़ी है । मैं उसका नियमित आरोप उपस्थित करूंगा ।"

"१---श्री अवधेश सिनहा, २---श्री टीकाराम, ३---श्री देवनारायण भारतीय, ४---श्री मूलचन्द, ५---श्री नन्दराम गुप्त, ६---श्री रामसिंह चौहान, ७---श्री बलवानसिंह,

८—श्री रामस्वरूप वर्मा, ९—श्री मोतीलाल अवस्थी, १०—श्री जंगबहादुर वर्मा, ११—श्री अभयराम यादव, १२—श्री नत्थाराम रावत।"

क्या माननीय शिवराजसिंह जी ने इन सदस्यों को नोटिस दे दिया है? मैं यह उनसे जानना चाहता हूं और माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी से भी।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि १२ सदस्यों को नोटिस देनी थी लेकिन केवल ६ के पास ही सूचना जा पायी और ६ माननीय सदस्य नहीं मिल सके।

श्री अध्यक्ष—[illegible] तो ठीक है। लेकिन आपको १२ सदस्यों को नोटिस देनी थी जिनमें से ६ को सूचना नहीं मिली। तो मुझे अधिकार है कि उस प्रश्न को उस रोज तक न लूं जब तक सदन में सदस्य मौजूद न हों या उनको नोटिस न मिल जाय।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कई सदनों में यह रिवाज रहा है कि अध्यक्ष को अधिकार है कि जब तक संबंधित सदस्य को नोटिस नहीं मिला है तब तक मामला न उठाने दें। यह रिवाज एक तरह से कर्टसी का है कि जब तक सदस्य को नोटिस नहीं मिला तब तक कोई प्रश्न उनके खिलाफ सुना न जाय, या उसके बारे में प्रस्ताव वैध होने का फैसला भी न किया जाय। हां सदन के सामने ही जब कोई विशेषाधिकार की अवहेलना होती है तो तत्काल भी उक्त प्रश्न को विचार में लिया जा सकता है। क्योंकि यह चीज सदन के बैठे हुये सामने नहीं हुई लिहाजा सदस्यों को नोटिस मिलने पर ऐसा मौका उन्हें मिल जाना चाहिये जिसमें उन्हें तैयार होकर आने का समय मिले और अगर कोई उनको आक्षेप करना हो कि उक्त सवाल लिया जा सकता है या नहीं तो वह कर सकें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या श्रीमान् को नोटिस मिला था?

श्री अध्यक्ष—जी हां, कल ही आ गया है। कल ही की तारीख में कमप्लेंट है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ६१ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अंग्रेजी में आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं—

"61. Except where the breach of privilege is committed in the actual view of the House or of a Committee, the House shall at some proper stage of the proceedings before the sentence is passed give an opportunity to the persons charged to be heard in explanation or exculpation of the offence complained against him:"

मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमान् को पूर्ण अधिकार है कि श्रीमान् यह आज्ञा दें कि जब तक उन सब पर नोटिस सर्व न हो जाय तब तक न लिया जाय। लेकिन इस नियम के अनुसार और वैसे श्रीमान् को यह भी अधिकार है कि आज भी उसको ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं अपने अधिकार को कहां सीमित कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि कर्टसी यह है जब तक उनको नोटिस नहीं पहुंचता है तब तक मामला न उठे। मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम ४४ की ओर दिलाना चाहता हूं।

"44. A breach of privilege, either of a member or of the House or of a Committee thereof, may, with the consent of the Speaker, be brought to the notice of the House."

यानी मेरी कन्सेन्ट से ही सदन के नोटिस में मामला लाया जा सकता है, तो मैं नोटिस में तो मामले को लाता हूं लेकिन आगे रूल ४७ में आप देखें उस में दूसरी बात यह दी है कि "If the Speaker gives his consent under rule 44, the member making the complaint shall, after questions and before the list of business is entered upon,

[श्री अध्यक्ष]

read his complaint and may make a short statement relevant thereto. If the complaint is founded upon a document it shall be read by the member complaining or, if so directed by the Speaker, by the Secretary. The Speaker, after hearing any other member, if necessary, shall decide whether the complaint is in order or not ;"

इसके बाद भी वह "इन आर्डर" है या नहीं यह फैसला मैं बाद में दे सकता हूं । जब तक वह माननीय सदस्य यहां न हों, उन को सुने बगैर मैं यह फैसला नहीं करूंगा ।

दूसरी चीज यह है कि "इन आर्डर" हो भी जाय तब भी बगैर संबंधित माननीय सदस्य को सुने हुये कोई बात की जाय यह कहां तक उचित होगी । इसलिये मैं इस चीज को अभी नहीं लेता हूं और जब तक उन्हें नोटिस न मिल जाय तब तक मैं इसे विचार में नहीं लूंगा और जिन सदस्यों पर वह आरोप है जब तक वह सदन में न आ जायं तब तक इस विषय में कार्यवाही नहीं हो सकती ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—अध्यक्ष महोदय, उन में से जो माननीय सदस्य आज विराजमान हैं क्या उन पर इस समय का यह नोटिस काफी माना जायगा या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—वह काफी माना जायगा, लेकिन कर्टसी यही है कि सब को नोटिस मिल जाय तभी यह प्रश्न लिया जाय ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या इसके पढ़ने के माने मैं यह न लगाऊं कि आपने नियम ४४ के अन्तर्गत कम से कम इसको हाउस के नोटिस में लाने की इजाजत दे दी है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो दे दी है लेकिन "इन आर्डर" होने की नहीं दी है । केवल १२ सदस्यों के बारे में यह प्रश्न उठाया गया है । वह यह है कि उनके खिलाफ सदन ने कोई कार्यवाही नहीं की, निकालने के बारे में या हटाने के बारे में या निलंबित करने के बारे में, उनका संबंध तो मार्शल के काम में बाधा डालने में ही आता है, मार्शल की रिपोर्ट उस के लिये होना चाहिये, मार्शल रिपोर्ट करता है तो मानी हुई संसदीय प्रथा यह है कि सचिव विधान सभा उस शिकायत को अध्यक्ष के पास शिकायत की तरह भेजते हैं, वह नियम ५४ में दिया हुआ है कि—

"When the Secretary has to make a report complaining a breach of privilege, the Speaker shall, if he gives his consent, acquaint the House of it. The Secretary shall then read his report to the House. The House may take the report into consideration at once or at some future time within which the report may be printed and supplied to members."

तो अभी मैंने केवल माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वही पढ़ा है ।

अब मेरे पास इस सम्बन्ध में सेक्रेटरी की भी शिकायत आ चुकी है माननीय १२ सदस्यों के विरुद्ध कि उन्होंने मार्शल के कार्य में बाधा डाली है । उसके लिये मैं कन्सेन्ट तो देता हूं लेकिन "इन आर्डर" होने का निर्णय मैं बाद में करूंगा । सचिव विधान सभा कृपया उस कम्पलेन्ट को पढ़कर सुना दें ।

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष, आज (८ अगस्त) जिस समय सदन में घोर अशान्ति थी, उस समय माननीय अध्यक्ष ने सदन को १० मिनट के लिए स्थगित कर दिया था और मार्शल को श्री राजनारायण को सदन से हटाने के लिए आदेश दिया था । मार्शल ने श्री राजनारायण को सदन से हटाने के लिए काफी प्रयत्न किया और उनसे उसके लिए बार बार कहा भी, किन्तु श्री राजनारायण सदन से बाहर नहीं गये और अपने साथियों के साथ जोर-जोर से बोलते रहे और शोर मचाते रहे । यही नहीं वे सदन के मंच पर जाकर भाषण करने लगे और इस प्रकार सभा मंडप में अशान्ति बढ़ती ही गयी । जब मार्शल ने मंच पर जाकर उनसे वहां से हटने के लिए कहा तो वे वहां से भी न हटे और वहीं लेट गये और नारे आदि

लगाते रहे। जब माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से उनको हटाने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ी, उस समय निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी सभा मंडप में शोर मचाना अथवा नारे लगाना शुरू कर दिये और कुछ ने श्री राजनारायण की बांह में बांह डालकर उनको बाहर ले जाने में बाधा डाली और कुछ ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। इस तरह से निम्नलिखित सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष व सदन के आदेश का पालन करने में मार्शल तथा उनके साथियों के कार्य में घोर बाधा डाली और इस प्रकार सदन का अवमान किया है।

१--श्री अवधेश सिनहा, २--श्री टीकाराम, ३--श्री देवनारायण भारतीय, ४--श्री मूलचन्द, ५--श्री नन्दराम गुप्त, ६--श्री नत्थाराम रावत, ७--श्री रामसिंह चौहान, ८--श्री बलवानसिंह, ९--श्री मोतीलाल अवस्थी, १०--श्री रामस्वरूप वर्मा, ११--श्री जंगबहादुर वर्मा, तथा १२--श्री अभयराम यादव।

माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से उपरोक्त सदस्यों को भी पुलिस की सहायता से बाहर करना पड़ा, क्योंकि उनको हटाये बिना श्री राजनारायण जी को सदन से बाहर हटाना असम्भव था। माननीय अध्यक्ष कृपया मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १२७ को देखने का कष्ट करें जिसमें लिखा है : "Resisting the Serjeant at Arms, or his officers or others acting in the execution of the orders of either House in the execution of their duty and (ii) otherwise obstructing persons entrusted with the execution of the orders of either House is a contempt of the House."

अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ५४ के अन्तर्गत मैं माननीय अध्यक्ष की सूचनार्थ एवं उचित कार्यार्थ उपरोक्त प्रश्न को सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--आज तो इन सदस्यों को इसकी सूचना भेजी जायगी और वह सूचना मिलने पर इस विषय पर भी मैं फैसला बाद में ही दूंगा कि इसको 'इन आर्डर' में मानता हूं या नहीं मानता हूं।

सदन से सदस्यों को हटाते समय पुलिस द्वारा अधिक शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब दूसरे किस्म की शिकायतें हैं मेरे पास। कल बलवानसिंह जी ने प्रश्न उठाया था कि जो ज्यादतियां पुलिस ने सदस्यों को उठाने में की हैं उनका उन्होंने जिक्र किया था और कहा था कि क्या यह उचित है या नहीं? दो, एक ज्यादतियों का उन्होंने जिक्र भी किया था। मैंने कहा था कि आप लिखित मेरे पास शिकायतें भेजें, तो श्री शिवप्रसाद नागर, श्री मलिखानसिंह, श्री अवधेशप्रतापसिंह, और रामस्वरूप वर्मा जी ने विशेषाधिकार के रूप में शिकायतें की हैं कि ये ज्यादतियां हुई हटाने में।

मैं पहले यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार मार्शल कोई फिजिकल फोर्स जिसको कहते हैं, शारीरिक शक्ति का उपयोग करके अपना कर्तव्य पालन करता है।

एक सदस्य--श्रीमन्, पढ़कर सुना दें, जिस प्रकार सेक्रेटरी महोदय की रिपोर्ट पढ़ी गयी।

श्री अध्यक्ष--वह नियम के अनुसार नहीं हैं और कोई प्रिविलेज का सवाल उसके द्वारा नहीं उठता। अगर शक्ति के उपयोग में अतिरेक हुआ हो तो वह शिकायत क रूप में मेरे पास आ सकता है और जो कार्यवाही मुझे करनी है, मैं जांच करक करूंगा। जैसा कि इसमें जिक्र किया गया है मैं थोड़ी सी कथित ज्यादतियों का बाद में संकेतात्मक रूप से जिक्र कर दूंगा। पूरी शिकायतें तो इस समय नहीं पढ़ूंगा और जांच करने के बाद जिन लोगों ने ज्यादतियां कीं उनके खिलाफ ऐक्शन ले सकता हूं, लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न जब कि कर्तव्य करने में किसी से कोई ज्यादती होती है उसमें उस पर कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न या सदन के अवमान का प्रश्न नहीं उठता है। वह तो उस समय सदन की आज्ञा से ही कार्य कर रहे थे, उसमें जजमेंट उनकी ही हो सकती है कि कितनी शक्ति कम से कम उन्हें उपयोग में लानी होगी, किन्तु शक्ति का उपयोग करना यह दो व्यक्तियों के सम्बन्ध का सवाल है। यदि मैं जिद्द करके अड़ जाता हूं यहां पर और आप मुझे हटाते हैं, तो मैं कितनी ताकत इस्तेमाल करता हूं न हटने में और आप कितनी ताकत मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं हटाने में, उसके लिये हटाने में कितनी ताकत की आवश्यकता है, यह मेरी और आपकी तुलनात्मक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है और जिस आदमी को हटाने की आज्ञा दी जाती है वही अन्दाजा लगा सकता है, दूसरा नहीं लगा सकता है। आप दूर से बैठ कर देखें कि फलां आदमी नहीं हट रहा है और उसको हटाया जा रहा है, तो आप नहीं समझ सकते कि उसको हटाने के लिये कितनी शक्ति की आवश्यकता है। भीड़ भड़क्के में बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि यह पता ही नहीं लगता कि किसने क्या किया। अगर १०-२० आदमी घेरे हों और उसमें से किसी ने जो वैध आज्ञा से शक्ति का प्रयोग कर रहा हो उसको घूंसा मार दिया हो तो उसको भी गुस्सा आ सकता है और वह भी घूंसा दे सकता है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--श्रीमन्,....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठें, बीच में मत बोलिये।

मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिसे शक्ति का उपयोग करके हटाने की आज्ञा दी जाती है उसे यह सब बातें कही जाती हैं कि अधिक शक्ति मत इस्तेमाल करो, कोई बुरा शब्द न कहो, लेकिन अगर वह अधिक शक्ति अपने डिस्क्रीशन के अनुसार इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर विशेषाधिकार का सवाल नहीं आ सकता। यदि ऐसा नियम न हो तो एक सदस्य जिसको सदन आज्ञा दे कि वह सदन से बाहर चला जाय वह मार्शल को चार-पांच डंडे भी मार सकता है और उल्टे चढ्ढी यह गांठे कि तुम्हारे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न लाया जायगा, क्योंकि तुमने अधिक बल का प्रयोग किया। लाठी तो खुद मारा और उसके जवाब में अगर किसी ने घूंसा मारा तो उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न आ जाय यह अनुचित होगा और ऐसी हालत में कोई भी कर्मचारी अपने कर्तव्य के पालन के लिये अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिये विशेषाधिकार के प्रश्न में यह शिकायत नहीं आती, बल्कि अगर उसने अतिरेक किया है तो अध्यक्ष, जिसने आज्ञा दी है और सदन की तरफ से आज्ञा दी है वह उसकी जांच करेगा और अगर ज्यादती हुई है तो चूंकि हर एक सदस्य की प्रतिष्ठा का और उसके मान और सम्मान का भी अध्यक्ष को खयाल है, इसलिए उसको दण्डित करने की भी कार्यवाही अध्यक्ष ही करेगा। तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता इसलिये मैं इन प्रस्तावों को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--"कर्तव्य" की भी यदि आप व्याख्या कर दें तो बड़ी कृपा हो। मैं बहुत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप तो चले गये थे, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप के सेक्रेटेरियट ने और विशेषकर श्री रूपचन्द्र जी ने जो पैंतरे यहां पर दिखाये हैं वे सरकारी काम करने के हेतु नहीं थे.....

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—सूचना के लिये जानना चाहता हूं कि जिस वक्त राजनारायण जी को उठाया जा रहा था तो मार्शल से मैंने खुद कहा कि क्या आप यह सब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि जी हां, उन्होंने कहा है कि जितने सदस्य बैठे हैं सब के विरुद्ध कार्डन डाला जाय और डाक्टर अवधेश सिनहा को वहां से उठा कर फेंक दिया गया। मार्शल यहां हैं, उनसे पूछ लिया जाय, उन्होंने कहा कि अगर अध्यक्ष महोदय ने मना कर दिया है तो इट इज स्ट्रेन्ज। अध्यक्ष महोदय अगर यह कहते हैं कि सदस्यों को घसीटा न जाय, उनके चारों तरफ कार्डन न डाला जाय, जबर्दस्ती न की जाय तो यह स्ट्रेन्ज है।

श्री अध्यक्ष—आज मैं जांच नहीं कर रहा हूं।

श्री बलवानसिंह—उन्होंने कहा कि हम जो कुछ कर रहे हैं अध्यक्ष की आज्ञा से कर रहे हैं। आपने यह कहा कि राजनारायण जी को हटाने में जितनी आवश्यकता हो उसके लिये फोर्स इस्तेमाल किया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपकी शिकायत है कि उन्होंने अतिरेक किया। उनका कहना यह है कि हमने कोई अतिरेक नहीं किया। इन दोनों चीजों में जांच करने का मेरा काम है।

*श्री अवधेश प्रतापसिंह—श्रीमन्, मुझे जो अर्ज करना है उसे सुन लीजिये फिर आप जो चाहें कीजिये। मुझे आपके रूलिंग के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहना है और मैं उसके सम्मुख अपना सिर झुकाता हूं लेकिन, श्रीमन्, मेरा यह अधिकार तो आप सुरक्षित रखिये कि मैं निवेदन कर सकूं जो संविधान के अनुकूल हो और नियमों से संगत हो। मैं आप से यह निवेदन करता हूं कि यह प्रश्न नहीं है कि आपके मार्शल ने या उनके साथियों ने अपने अधिकारों को एक्सीड किया है। मैं कांस्टीटचूशन के आधार पर, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के आधार पर और आपके रूल्स के आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको कोई अधिकार नहीं था या उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उन्होंने किया है। लिहाजा मुझे अर्ज करना है और आप सुन लीजिये अगर मैं आपको कन्विन्स कर पाऊं .....

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आ कर कहें। मैं आप से यह बतलाना चाहता हूं कि यह प्रिविलेज का सवाल नहीं है। अगर शिकायत का सवाल है तो जांच के समय कह लीजिये।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान संविधान की धारा १९४ के पैरा ३ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि :—

"In other respects, the powers, privileges of a State and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this constitution."

इसके अलावा मैं आपके द्वारा दिये गये निर्णयों के पृष्ठ १३६ पर जो निर्णय ८ अक्टूबर, १९५२ को दिया गया, उसे पढ़ देना चाहता हूं कि :—

"विशेषाधिकार के बारे में सदन के वही अधिकार हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स के हैं।" मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि हाउस आफ कामंस में जिन मेम्बरों को सस्पेंड नहीं किया जाता है क्या उनको भी हाउस के बाहर कर के घसीटा जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

है ? हाउस आफ कामन्स का कौन-सा नियम एप्लाई किया गया जो १२-१३ आदमियों को इस तरह से घसीट कर निकाला गया। यह माना कि राजनारायण जी को निकाल दिया था, उनको बाहर किया जाना चाहिये था, लेकिन अन्य माननीय सदस्यों को नहीं निकाला जाना चाहिये था। मैं रूल जानना चाहता हूं कि जिसके आधार पर उनको घसीटा गया.....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप मानते हैं कि राजनारायण जी को बाहर निकालना चाहिये था.....

श्री प्रतापसिंह---जी हां, यह मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरह से निकाला गया उस तरह से नहीं।

श्री अध्यक्ष---अब आपका प्रश्न यह है कि हाउस आफ कामन्स का उदाहरण दूं। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी वहां के उदाहरण में आप यह बतला दें कि हाउस आफ कामन्स में लोग इस तरह से लेट गये हों, अध्यक्ष की सीट पर जाकर वहां पर एक लिंक बना कर बैठ गये हों। यदि इसका कोई उदाहरण होता तो मैं जवाब दे देता कि किस तरह से वहां निकाला गया। क्योंकि यदि दो, चार आदमी मिल कर ऊधम करते हैं, एक आदमी निकाला गया तो दूसरे आदमी अगर उसको न निकालने देने में उसे मदद करते हैं या उसमें बाधक होते हैं तो सब के सब निकाले जाते हैं, नहीं तो मतलब यह हो जायगा कि अगर किसी की दस-पांच आदमियों की पार्टी है तो वह चैलेंज कर सकता है कि हम नहीं निकलेंगे क्योंकि औरों के लिये निकाले जाने का आर्डर नहीं है, आर्डर सिर्फ एक के लिये है, इस प्रकार तो सदन बैठ ही नहीं सकता है। इसलिये यदि सदन के कार्य को ठप्प करने के लिये यह बात होती है और उसको आप पुष्टि करें तो इसका मतलब यह है कि फैसिज्म के लिये आप प्रोत्साहन देते हैं कि एक आदमी डिक्टेट करेगा कि सदन बैठेगा या नहीं और पांच-छः आदमियों की पार्टी बना कर वह ऐसा कह भी देगा और सदन का काम चलने नहीं देगा। इसलिए जो व्यक्ति वैध आज्ञा पालन कराने में बाधक हों वे एक-एक करके जब तक कि सदन में शान्ति न हो जाय तब तक के लिए फोर्स यूज करके निकाले जा सकते हैं, अगर कुछ लोग लिंक बना कर बैठ जायं। इसलिए नियम में स्पष्ट यह व्यवस्था दी है कि अगर कोई लोग आब्सट्रक्शन करते हैं तो उन सब को हटाया जा सकता है। आपके ही नियमों में है कि---

"The Speaker shall have full authority to carry out his order or the decisions of the House and may employ, or authorise the employment of necessary force, at any stage of the proceedings."

मेरे पास यह रिपोर्ट आयी थी कि श्री राजनारायण को हटाने में बाधा डालने के लिए बहुत से सदस्यों ने घेरा बना लिया है। उनके बारे में क्या किया जाय ? मैंने कहा कि जो लोग बाधक होते हैं श्री राजनारायण के साथ उन सब को हटाने के लिए आज्ञा देता हूं। इस सदन में आर्डर स्थापित करने के लिए जो मुझे आवश्यकता हुई, श्री राजनारायण को हटाने के लिए और उनको हटाने में जो बाधक हों उनको हटाने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता हो उसके इस्तेमाल की मैंने आज्ञा दी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यही होता है। कई आदमी गड़बड़ करते हों तो सब को हटा दिया जाता है। सदन के कार्य को गड़बड़ करके न चलने देने का किसी को अधिकार नहीं है।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं एक जानकारी चाहता हूं कि इस सदन में रेवाल्वर और लाठियां लेकर आने की आपकी आज्ञा ली गयी थी ?

श्री अध्यक्ष---यह चीज बिल्कुल जांच करने की है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---आई राइज आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या जब सदन सस्पेंडेड हो तो उस समय मार्शल या उनके कुछ साथी किसी माननीय सदस्य को विधान भवन से निकाल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---जी हां। सब को निकाल सकते हैं यही सिर्फ नहीं। अगर मैं चाहूं तो इस वक्त सदन स्थगित कर दूं और कुछ लोग यहां बैठे रहें और कुछ गड़बड़ करते रहें तो मुझे अधिकार है कि मैं बगैर किसी कुसूर के सदन से बाहर दूसरों को भी जाने की आज्ञा दूं। सदन का कार्य चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर कुछ लोग मेरे दस मिनट सदन स्थगित करने के बाद यहां बैठ रहें इसलिए कि दस मिनट के बाद सदन का कार्य फिर चलने नहीं देंगे तो मेरा कर्तव्य है कि उस बीच में उन लोगों को निकाल दूं। जब वे दस मिनट के बाद भी नहीं हटे और श्री राजनारायण को हटाने नहीं दिया तो मैंने आध या पौन घंटे के लिये और सदन को स्थगित कर दिया। सदन का इतना नुकसान हुआ। बल्कि इसके ऊपर उस शख्स के ऊपर कार्यवाही हो सकती है जिसे कि दस मिनट के अन्दर हटना था या जिसने श्री राजनारायण को नहीं हटाने दिया। मैंने यह भी किया कि गैलरीज के लोग भी हटा दिये जायं क्योंकि गड़बड़ी की अवस्था में वह भी बाधक हो सकते थे सदन के कार्य में।

मुख्य बात यह है कि सदन के कार्य संचालन का भार मुझ पर है। जो लोग गड़बड़ नहीं करते उनको भाषण का समय देना चाहिए और मैं देखता हूं कि कौन बहस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। सदन का कार्य संचालन करने के लिए जो आज्ञा मैं आवश्यक समझता हूं देता हूं। वह मेरा कर्तव्य है, वह मेरा अधिकार है।

(इसके उपरान्त श्री अवधेशप्रतापसिंह कुछ कहते हुए चले गये।)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष---मैं कोई प्वाइंट आफ आर्डर अब नहीं लेता हूं। मैं समझता हूं कि यह भी आब्सट्रक्शन का एक तरीका हो रहा है। मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपा करके बैठें।

श्री शिवप्रसाद नागर---जो मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठें।

श्री बलवानसिंह---मैं सूचना के लिए पूछना चाहता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर---एक, नियमावली के नियम का.....

श्री अध्यक्ष--- आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवप्रसाद नागर---बात यह है.....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। मैं आपको इजाजत नहीं देता।

श्री शिवप्रसाद नागर---यह तो मेरा संवैधानिक हक है।

श्री अध्यक्ष---कोई आब्सट्रक्शन के तरीके से अगर आप प्रश्न उठायेंगे तो आपको कोई अख्तियार नहीं है।

श्री बलवानसिंह---मैंने मार्शल साहब की बात कही उसके लिए आपने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष---मैं उसको भी इन्क्वायरी में लूंगा।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---वह आपका अख्तियार है।

श्री अध्यक्ष--मेरी आज्ञा से उनको बाहर करने का अख्तियार है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मैं एक विशेष व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

*श्री शिवप्रसाद नागर--मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १७६ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें मैं यह बताना चाहता हूं कि सदस्यों को बाहर चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति आपको है। उसमें अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेगा और किसी सदस्य को, जिसका व्यवहार उसकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, सभा से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकता है।

इसके बाद दूसरे नियम में यह दिया है कि यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरी बार बाहर चले जाने का निदेश दिया गया हो तो अध्यक्ष उस सदस्य को सदन के उपवेशन से बाहर जाने का निदेश दे सकता है, और उसे इंगित कर सकता है। उस समय सदन स्थगित कर दिया गया था और जो घटना यहां पर घटी वह दुनिया की पार्लियामेंट के इतिहास में नहीं मिल सकती।

इसके बाद नियम ४५ की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी दूसरी धारा में यह लिखा है कि प्रश्न किसी निश्चित अभिनव घटना के विषय तक निर्बद्ध रहेगा। तो जो विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने दिया है वह नियम ४६ के अन्तर्गत दिया है.....

श्री अध्यक्ष--मैं उस प्रश्न को बाद में लूंगा। इस विषय में जो आपकी शिकायत है वह भी बाद में लूंगा। मैं इस विषय में अपनी रूलिंग दे चुका हूं।

सदन से कुछ सदस्यों को हटाते समय पुलिस द्वारा अधिक शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री मलिखानसिंह ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है उसमें श्री रामसिंह चौहान और श्री अवधेशकुमार सिनहा के प्रति कुछ अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में शिकायत है। मैं समझता हूं जो चीज मेरे आर्डर से हुई है और उसमें कार्यकर्ताओं ने जो कुछ किया है उसमें बाधा डालने के लिये कुछ माननीय सदस्यों ने कार्य किया है और उसमें अड़चन डाली,है इसलिए कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता। जो विशेषाधिकार का प्रश्न आयेगा यदि यह कमेटी के सामने गया तो वहां पर इन बातों की सब जांच हो जायगी और जो कसूरवार पाया जायगा उसको उस कसूर के लिये, जो कमेटी की तजवीज होगी, वह होगी।

जहां तक पुलिस के सम्बन्ध में शिकायत की बात है उसकी जांच तो मैं करूंगा और जो भी व्यवस्था होगी वह मैं जांच करने के बाद ही दूंगा।

'स्वतंत्र भारत' के सह सम्पादक की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--इसके बाद श्री धर्मपालसिंह का एक कामरोको प्रस्ताव है जिसमें वह कहते हैं कि--

"कल दिनांक ८ सितम्बर, १६५८ को प्रातःकाल 'स्वतन्त्र भारत' के सह सम्पादक श्री रजनीकान्त मिश्र अपने एक वक्तव्य के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर लिये गये' जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को तो गिरफ्तार करने में बड़ी सक्रियता दिखाई पर आज तक एक भी जखीरेबाज व्यापारी नहीं गिरफ्तार किया गया। इस भांति यह सरकार विरोधी दलों के साथ सम्पादकों को भी कुचल कर देश की सच्ची स्थिति को दबाना चाहती है; इत्यादि"।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं समझता हूं कल माननीय मुख्य मंत्री ने जो स्पष्टीकरण यहां पर दिया कि स्थानीय शासन को अपने कायदे और कानून के हिसाब से किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का अख्तियार है। उसके पश्चात् यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता ।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---यह तो स्टेटवाइज हो रहा है। केवल एक स्थान पर ही ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग पकड़े जाते हों। तो जब तक सारे प्रदेश के लिये ऐसे आदेश न हों तो ऐसा नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---अगर प्रान्त भर में कानून शिकनी होती है तो प्रान्त भर में स्थानीय शासन के अधिकारियों को यह कानूनी अधिकार है कि हर जगह कार्यवाही कानून तोड़ने पर करेंगे। तो सारे प्रान्त में कोई आन्दोलन कर दे अगर और हर जगह कानून तोड़े तो कार्यवाही स्थानीय ही होगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं.....

(किसी सदस्य ने जोर से 'बैठ जाइये' कहा तथा डेस्क पीटी)

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---प्वाइंट आफ आर्डर। अभी माननीय सदस्य ने जो डेस्क पीटी और कहा कि बैठो-बैठो, तो यह करने का क्या उनको अधिकार है? मैं इसको सदन की मान और मर्यादा का प्रश्न समझता हूं और इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। यह अनुचित है। आप लोग जरा शान्ति से सुनें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--- मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--- पहले कामरोको प्रस्ताव समाप्त हो जाय उसके बाद आप कहियेगा।

संगीपुर, जिला बाराबंकी में डकैती तथा कत्ल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव है श्री भगवती प्रसाद वर्मा का। वह इस प्रकार है कि---"७-८ सितम्बर की रात को ग्राम सन्गीपुर, थाना फतेहपुर, जिला बाराबंकी में खरगा बकसोर के घर भीषण डकैती हुई। डाकुओं का मुकाबला करते हुए ग्राम का हरिभजन कुर्मी मारा गया। इससे दो दिन पहले दो कत्ल तहसील फतेहपुर में हुए जिसकी सूचना सदन को दी जा चुकी है। इस प्रकार तहसील फतेहपुर-बाराबंकी में अराजकता और पुलिस की असमर्थतता तथा लापरवाही से जिले में विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है..."। तो यह एक वाकये के बारे में है और मैं समझता हूं कि इससे और सरकार से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। वहां एक स्थानीय कत्ल हुआ और उस पर यह प्रस्ताव है तो इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव के लिए महत्व का विषय नहीं हो सकता।

श्री भगवतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---वहां बड़ी अशान्ति है। डकैतियां हो रही हैं और जनता में संतुलन कम हो रहा है.....

श्री अध्यक्ष--- आप उसके बारे में सवाल करें।

विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---एक धर्मदत्त जी वैद्य का विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में प्रस्ताव था। मैंने पहले उनका नाम नहीं लिया था लेकिन वह भी जगदीशशरण जी के प्रस्ताव जैसा ही है। तो उसके लिये भी वही निर्णय लागू होगा और वे सब एक साथ लिये जावेंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—मेरा दूसरा है और वह तो केवल राजनारायण जी क लिय था।

श्री अध्यक्ष—वह सब एक ही प्रकार के हैं।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल्स आफ प्रोसीजर के पृष्ठ १३ में नियम ४६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसम स्पष्ट है कि :

"The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions:

(i) not more than one question shall be raised at the same sitting ; and

(ii) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence."

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे दो लायक दोस्तों ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है और उधर से भी कुछ न उठाया ह। तो क्या ३, ४, ५ या ६ प्रश्न या १० आदमियों के खिलाफ यह विशेषाधिकार के प्रश्न इस रूल के हिसाब से उचित होंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसमें से एक कायम रहेगा। लेकिन कौन-सा कायम रहेगा यह उस समय निश्चित होगा कि जिस समय मैं इनको इन आर्डर ह या नहीं, यह तय करूंगा। इस वक्त तो मैंने नोटिस ले लिया। मैंने उसकी जांच नहीं की। उसके बाद मैं एक ही को कायम रखूंगा। एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही प्रश्न रह सकता है एक ही विषय का। तो अभी मैंने चूंकि इन आर्डर रूल नहीं किया इसलिये यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था वह तो सेक्रेटरी और पुलिस वालों के खिलाफ दिया था। वह एक व्यक्ति के खिलाफ कैसे आयेगा ? मार्शल का बर्ताव तो फिर कुछ शिष्टतापूर्ण था, लेकिन सेक्रेटरियों ने बड़ी अशिष्टता का बर्ताव किया और उनका कहना था .....

श्री अध्यक्ष—आप यह किस नियम के अनुसार बोल रहे हैं ? बिला मुझ से पूछे हुए आप कैसे बोल रहे हैं ? यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। यहां आप सिर्फ बयान देना चाहते हैं। तो मैं समझता कि आप यहां की व्यवस्था तोड़ने का इरादा कर के आये हैं और सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं। मैं इसको बरदाश्त नहीं करूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं माफी चाहता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि जिस अप्रजातांत्रिक तरीके से इस माननीय सदन में और बाहर हम सदस्यों का अपमान किया जा रहा है उसको देखते हुए उसके विरोध में हम इस मानसून सत्र का बायकाट करते हैं। यह सूचना मैं आपको देना चाहता हूं।

(प्रजा समाजवादी दल के लोग उठ कर सदन से चले गये।)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, इस पर आप पुनर्विचार करेंगे।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, हम लोग कल से देख रहे हैं कि एक ओर तो प्रदेश की जनता पर भुखमरी का बड़ा भारी संकट पड़ा है दूसरी ओर हमारे विरोधी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह जी, जनसंघ के नेता माननीय यादवेन्द्रदत्त जी, तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये हैं। इस भुखमरी की समस्या पर हम प्वाइंट आफ आर्डर उठाकर, कामरोको प्रस्ताव लाकर, कई प्रकार से जनता के कष्टों पर विचार करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट उनके बारे में इतनी टालमटोल कर रही है कि हमने यह अब निश्चय किया है कि हम लोग इस सदन की कार्यवाही में भाग न लें। क्योंकि हम अब इस सदन में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं और यह सदन जनता को भावनाओं का दर्पण है लेकिन हम उनको जनता का दर्पण बनाने में असमर्थ हो रहे हैं। इसलिये हमारा दल इस सत्र के लिये इस सदन की कार्यवाही का वहिष्कार करता है।

श्री अध्यक्ष--मुझे आशा है आप इस पर पुनर्विचार करेंगे और जब आपको यह मालूम होगा कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर जनता की सेवा कर सकते हैं, तो आप लौट कर आयेंगे।

(सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन छोड़कर गये।)

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--श्रीमन्, हम दूसरी पार्टियों की सहानुभूति में सदन का परित्याग करते हैं।

श्री अध्यक्ष--मुझे आशा है कि हम लोग फिर मिलेंगे।

(स्वतंत्र प्रगतिशील धारा सभाई दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

*श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने देखा होगा कि जनसंघ विधान सभाई दल ने जो भी काम किया वह आपकी आज्ञा के अनुसार ही किया और हर प्रकार से हमने आपकी प्रतिष्ठा को कायम रखने का प्रयास किया। हमारी ओर से कभी भी कोई कठोर शब्द नहीं कहा गया और अगर कहा भी गया तो उसका अफसोस जाहिर कर दिया गया। इसके साथ ही साथ हमारे दल के द्वारा गवर्नमेंट ने जो भी काम अच्छे किये उनकी प्रशंसा की गई। जो भी जनहित के विधेयक उधर से आये हमारी तरफ से उनके लिये सहयोग प्रदान किया गया। लेकिन अब जो स्थिति पैदा हो गयी है उसमें हम इस सदन का त्याग करना चाहते हैं और एक महीने के लिये तो उस बीच में कुछ लोग उधर के इधर बैठें और कुछ लोग उधर तभी यहां मजा भी आ सकता है। हम इसलिये जा रहे हैं कि यहां रह कर गरीबों की हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--आप जाना चाहें तो जा सकते हैं लेकिन इसके लिये मैं आपको अनुचित अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं कहना चाहता हूं कि प्रान्त की खाद्य स्थिति बहुत खराब हो रही है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, हमने घोषणा कर दी कि हमारी पार्टी गल्ला नहीं लूटेगी, गल्ला गोदामों पर छापा नहीं मारेगी। हमारे और विरोधी दल के लोग हमसे इस बारे में नाराज भी हो गये लेकिन इस सरकार ने हिटलर को भी मात कर दिया। आज सरकार के कृत्यों को देख कर मुसोलिनी की आत्मा खुश हो रही होगी।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठे और भाषण न दें, उसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, अब हम सदन छोड़ रहे हैं और गरीब और भूखी जनता के बीच में जाते हैं, जिसने हमको चुना है, अब उसके सामने फैसला होगा क्योंकि यहां तो बहुमत दल को उसका कोई खयाल रहा ही नहीं है। इसलिये हम इस सदन का परित्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्यगण सदन छोड़ कर चले गये।)

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि बावजूद कई बार आपकी आज्ञा होने के भी माननीय गोविन्दसिंह विष्ट नहीं बैठे और बोलते रहे। इसलिये उसके बारे में प्रिविलेज का प्रश्न उठाये जाने की मैं सूचना देता हूं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

*श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, मैं देखता हूं कि इस सरकार की हठ-वादिता की नीति से प्रदेश की खाद्य स्थिति दिनों दिन खराब होती चली जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों और विरोधी पक्ष के अनेक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—आप ज्यादा लम्बा भाषण न दें।

श्री भोखालाल—सरकार ने सब के साथ मिल कर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न भी नहीं किया। जब कि प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा कि विरोधी दलों से मिल कर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाय लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी हठवादिता पर अड़ी हुई है और मिल कर समस्या को हल करना नहीं चाहती और इस प्रकार से प्रधान मंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रही है और देश की जनता की भी अवहेलना कर रही है। इसलिये हम समझते हैं कि इस प्रकार की तानाशाही में इस सदन में बैठना मुनासिब नहीं है। इसलिये हम इस सदन का त्याग करत हैं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके सुनें। मैं ने आपका भाषण सुना तथा और लोगों का भी सुना। आप चाहते हैं कि मिलकर इस समस्या को हल किया जाय लकिन आपके और साथियों में से किसी ने ऐसी इच्छा प्रकट नहीं की। मुझे आशा है कि आप इसके लिये प्रयत्न करेंगे और सरकार के साथ मिलकर इस समस्या को हल करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं साझता हूं कि वह रास्ता निकलेगा और आप फिर लौट कर यहां आयेंगे।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) नियमावली, १९५८†

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) नियमावली, १९५८ को उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उपधारा (१) के अनुसार सदन की मेंज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७—(क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, उस पर विचार जारी होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापी नहीं गई।

*८ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

खंड २

परिभाषाएं २—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में,

(१) "विज्ञापन" (Advertisement) से तात्पर्य है दीप्तियुक्त (illuminated) अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना (model), चिन्ह, विज्ञापन फलक (placard board), नोटिस युक्ति (device) अथवा प्रतिरूप (representation) जो विज्ञापन, घोषणा (announcement) या निर्देश (direction) के प्रकार (nature) का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिय पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती (hoarding) तथा इसी प्रकार के अन्य ढांचे (structure) हैं जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त होते हों या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिये अनुकूलित कर लिये गये हों ;

(२) "नियत दिन" (Appointed day) से, किसी नगर के संबंध में तात्पर्य है वह दिन जिस पर उक्त नगर के लिये निगम का यथावत् संगठन गजट में विज्ञापित कर दिया जाय;

(३) "विधान सभा की सूचियां" (Assembly Rolls) से तात्पर्य ऐसी निर्वाचक सूचियां जो रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अधीन और अनुसार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये तैयार की गई हों;

(४) "नानबाई की दूकान या नानबाई गृह" (Bakery or bake-house) से तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान जिसमें विक्री या लाभ के लिये किसी भी रीति से रोटियां (bread), बिस्कुट या लैमजूस आदि मिठाइयां (confectionery), सेंकी, पकायी या तैयार की जाती हों ;

(५) "बजट अनुदान" से तात्पर्य है ऐसी कुल धनराशि जो नियमों द्वारा विहित किसी मुख्य शीर्षक (major head) में बजट के तखमीनों के व्यय के अन्तर्गत दिखाई गई हो तथा निगम द्वारा अंगीकृत हो और उसके अन्तर्गत कोई ऐसी धनराशि भी है जिसके द्वारा ऐसा बजट अनुदान इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के अनुसार अन्य शीर्षकों से, या को, स्थानान्तरित (transfer) करके बढ़ाया या घटाया जाये ;

(६) "भवन" के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष (out-house), अस्तबल, छादक (shed) झोपड़ी तथा अन्य घिरा हुआ स्थान (enclosure) या ढांचा (structure) है, चाहे वह पत्थर (masonry), ईंट, लकड़ी, मिट्टी (mud), धातु से, या अन्य किसी भी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिये, या अन्यथा प्रयुक्त होता हो, और इसके अन्तर्गत बरामदे, स्थिर चबूतरे (fixed platforms), मकानों की कुर्सियों (plinths), दरवाजे की सीढ़ियां (door-steps), दीवालें तथा हातों की दीवालें (compound-walls) और मेंड़ (fencing)

तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा ही अन्य वहनीय अस्थायी ढांचा (portable temporary structure) नहीं है;

(७) "भवन पंक्ति" (building line) से तात्पर्य है वह पंक्ति जो "सड़क रेखाकरण" (street alignment) के पृष्ठ भाग में हो, तथा जिस तक सड़क से लगी हुई भवन की मुख्य दीवाल वैधरूप से बढ़ायी जा सकती हो (और जिसके आगे भवन का कोई भाग बढ़ाया न जा सकता हो, सिवाय उस दशा के जो भवन संबंधी नियमों में विहित की गयी हों),

(८) "उपविधि" से तात्पर्य है इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि ;

(९) "मलकूप" (Cesspool) के अन्तर्गत कोई ऐसी भराव वाली टंकी (settlement tank) या अन्य टंकी है जो भवनों से निकलने वाली गलीज (foul matter) को ग्रहण करने या उसके निस्तारण (disposal) के लिये हो;

(१०) "नगर" से तात्पर्य है कोई ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो धारा ३ के अधीन नगर के रूप में संगठित किया गया हो ;

(११) किसी नगर के संबंध में "डिवीजन के कमिश्नर" से तात्पर्य है उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें उक्त नगर स्थित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त कमिश्नर भी है जिसे कमिश्नर ने इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य प्रतिनिधानित कर दिये हों ;

(१२) "घनाकार स्थान "(Cubical contents) से जब उसका प्रयोग किसी भवन की माप के प्रसंग में किया गया हो तात्पर्य है वह स्थान (space) जो उसकी दीवालों और छत के वाह्य (external) धरातलों तथा उसके सब से नीचे के खंड (storey) के फर्श के ऊपरी (upper) धरातल के या, यदि भवन केवल एक ही खंड (storey) का हो तो उसके फर्श के ऊपरी धरातल में समाविष्ट हों,

(१३) "दुग्धशाला" (Dairy) के अन्तर्गत ऐसा कोई फार्म (farm), पशुशाला (cattle-shed), दूध गोदाम दूध की दूकान या अन्य ऐसा स्थान है जहां से विक्रय के लिये दूध दिया जाता हो (supplied) या जहां बेंचन के प्रयोजनों के लिये दूध रक्खा जाता हो, या जहां बेचने के लिये दूध से मक्खन, घी पनीर (cheese), दही या सुखाया हुआ अथवा जमाया हुआ (dried or condensed) दूध तैयार किया जाता हो और ऐसे स्वामी ग्वाले (dairyman) के सम्बन्ध में, जिसके अध्यासन में दूध बेचने के लिये कोई स्थान नहीं है, दुग्धशाला के अन्तर्गत ऐसा स्थान है जहां वह दूध बेंचने के लिये प्रयुक्त अपना पात्र (vessel) रखता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी कोई दूकान या अन्य स्थान नहीं है जहां केवल यहां पर ही उपयोग के लिये दूध बेचा जाता हो ;

(१४) "ग्वाला" (Dairyman) के अन्तर्गत गाय, भैंस, बकरी, गधी (ass) या अन्य पशु का, जिसका दूध मनुष्यों के उपयोग (consumption) के निमित्त बिक्री के लिये प्रस्तुत किया जाता हो या प्रस्तुत किया जाना अभिप्रेत हो, रक्षक (keeper) और दूध लाकर जुटाने वाला (purveyor) तथा दुग्धशाला का अध्यासी (occupier) भी है ;

(१५) "दुग्धशाला के पदार्थ" (Dairy produce) के अन्तर्गत दूध, मक्खन, घी, दही, मट्ठा (butter milk), पनीर (cheese) तथा दुग्ध जन्य सभी पदार्थ हैं ;

(१६) "भयानक रोग" (Dangerous disease) से तात्पर्य है, हैज़ा, ताऊन (plague) चेचक (small-pox) या अन्य कोई ऐसा संक्रामक (epidemic) तथा संसर्ग जन्य (infectious) रोग, जिससे मनुष्यों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और जिसे निगम समय-समय पर सार्वजनिक नोटिस द्वारा भयानक रोग घोषित करे ;

(१७) "निर्वाचन संचालक" (Director of Elections) से तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ नियुक्त कोई पदाधिकारी और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त निर्वाचन संचालक अथवा निर्वाचन उप-संचालक (Additional Deputy Director of Elections) के रूप में नियुक्त ऐसा पदाधिकारी भी है जिसे निर्वाचन संचालक ने अपने समस्त या किन्हीं कृत्यों को लिखित रूप में प्रतिनिधानित (delegate) कर दिया हो ;

(१८) "जिला जज" के अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त जिला जज भी है जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला जज का कोई कृत्य हस्तांतरित किया गया हो ;

(१९) "नाली" (Drain) के अन्तर्गत नाला (sewer), सड़क के नीचे की नालियां (tunnel), पाइप खांई (ditch), जलमार्ग (gutter) अथवा प्रणाली (channel), जलकुंड (cistern), फ्लश टंकी (flush-tank), मल टंकी (septic-tank) या, कोई अन्य युक्ति (device) जो मल इत्यादि या दुर्गन्धित पदार्थ (sewage or offensive matter), दूषित-जल (polluted water) कूड़ा-करकट (sullage), बेकार जल नाली के जल अथवा उपभूमिगत जल (sub-soil water) को ले जाने अथवा उसके बहाने के लिये प्रयुक्त होते हों, तथा उनसे संसक्त (connected) कोई पुलिया, संजीवन दंड (ventilation shaft), या पाइप अथवा अन्य उपकरण या संघायन (fittings) हैं। नाली के अन्तर्गत किसी स्थान से मल इत्यादि अथवा दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को उठाने, एकत्र करने, निकालने अथवा हटाने के लिये प्रयुक्त कोई निष्कासक (ejector), दबी हुई हवा से युक्त प्रणाली

(compressed air mains), मल इत्यादि के मुहर बन्द प्रणाल (sealed sewage mains) तथा कोई विशेष यन्त्र अथवा उपकरण भी हैं ;

(२०) "भोजनालय" (Eating house) से तात्पर्य है कोई ऐसा भू-गृहादि (premises), जहाँ जनता अथवा जनता का कोई वर्ग (section) जा सकता हो और जहां वहीं अथवा अन्यत्र किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उक्त भू-गृहादि का स्वामी हो अथवा उसमे कोई स्वत्व (interest) रखता हो, या उसका प्रबन्ध करता हो, लाभ अथवा फायदे के लिये किसी प्रकार का भोजन तैयार या सम्भरित (supplied) किया जाता हो;

(२१) "निर्वाचक" से, किसी कक्ष (ward) के संबंध में, तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसका नाम तत्समय उस कक्ष की निर्वाचक सूची में दर्ज हो ;

(२२) "आवश्यक सेवायें" (Essential services) से तात्पर्य है वे सेवायें जिनमें निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से नगर-पालिका का कोई पदाधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति नियोजित हो, तथा जो सेवायें नियमों में निर्दिष्ट हों ;

(२३) "फैक्ट्री" (Factory) से तात्पर्य है इंडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ में पारिभाषित कोई फैक्ट्री (factory);

(२४) "गलीज" (Filth) के अन्तर्गत मल इत्यादि, विष्टा तथा अन्य दुर्गन्ध युक्त पदार्थ हैं ;

(२५) "वित्तीय वर्ष" (Financial year) से तात्पर्य है, पहली अप्रैल से आरम्भ होने वाला वर्ष ;

(२६) "भोजन" (Food) के अन्तर्गत भेषजों (drugs) अथवा जल से भिन्न ऐसी प्रत्येक वस्तु है जो मनुष्य द्वारा खाने अथवा पीने के काम में लायी जाती हो तथा ऐसी कोई वस्तु भी है जो सामान्यतया मनुष्यों का भोजन तैयार करने अथवा बनाने में डाली जाती हो अथवा प्रयुक्त होती हो तथा उसके अन्तर्गत मिठाइयां, स्वादिष्ट बनाने तथा रंगने की वस्तुयें, मसाले एवं चटनी (condiments) भी हैं;

(२७) "ढांचे पर बने भवन" (Frame buildings) से तात्पर्य ऐसा भवन, जिसकी बाहर की दीवालें लकड़ी अथवा लोहे के ढांचे की बनी हों तथा जिसका स्थायित्व उस ढांचे पर निर्भर करता हो ;

(२८) "गृहनाली" (House drain) से तात्पर्य है वह नाली जो एक या एकाधिक भवनों या भू-गृहादि की नाली हो और उसके जल निस्तारण के लिये प्रयुक्त होती हो, और जो केवल नगरपालिका की नाली (municipal drain) से मिलाने क प्रयोजन के लिये बनाई गई हो ;

(२९) "गृह-पथ" अथवा "सेवापथ" (House gully or service passage) से तात्पर्य है ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी (strip of land) जो नाली के रूप में उपभोग में लाये जाने, अथवा किसी संडास, मूत्रालय, मलकूप अथवा गलीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुंचने के लिये नगरपालिका कर्मचारियों के अथवा उपर्युक्त संडास इत्यादि की सफाई करने अथवा वहां से उक्त पदार्थ हटाने के कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहां तक पहुंचने के लिये मार्ग देने के लिये निर्मित की गई हो अलग कर दी गई हो, अथवा उपयोग में लायी जाती हो ;

(३०) "कुटी" (Hut) से तात्पर्य है कोई ऐसा भवन जो मूलतः लकड़ी , मिट्टी पत्तियों , घास कपड़े अथवा फूस आदि से निर्मित किया गया हो तथा उसके अन्तर्गत किसी भी आकार का कोई ऐसा अस्थायी ढांचा अथवा किसी भी सामान से निर्मित कोई ऐसा छोटा भवन भी है, जिसे निगम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "कुटी" घोषित कर दें ;

(३१) "निवासी" (Inhabitant) से किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र में सामान्य या निवास अथवा कारबार करता हो अथवा वहां अचल संपत्ति का स्वामी या अध्यासी हो ;

(३२) "न्यायाधीश" (Judge) से तात्पर्य है प्रविन्शियल स्माल. काज कोर्ट ऐक्ट, १८८७ के अधीन नगर में क्षेत्राधिकार रखने वाले लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) का जज ;

(३३) "भूमि" के अन्तर्गत ऐसी भूमि जिस पर कोई निर्माण हो रहा हो, अथवा निर्माण हो चुका हो, अथवा जो पानी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, जमीन से संलग्न, अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई वस्तुयें, और वे अधिकार हैं, जो किसी सड़क के संबंध में विधान (legislative enactments) द्वारा सृजित हुये हों ;

(३४) "अनुज्ञप्त नल-मिस्त्री" (Licensed plumber), "अनुज्ञप्त भू-मापक" (licensed surveyor) "अनुज्ञप्त वास्तुशास्त्री" (licensed architect), "अनुज्ञप्त इंजीनियर"", "अनुज्ञप्त ढांचा निर्माता" (structural designer) तथा "अनुज्ञप्त निर्माण लिपिक" (clerk of works) से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन निगम ने क्रमशः नल–मिस्त्री, भू-मापक, वास्तुशास्त्री, इंजीनियर ढांचे का निर्माता (structural designer) अथवा निर्माण लिपिक के रूप में अनुज्ञप्त किया हो ;

(३५) "निवास गृह" (Lodging House) से तात्पर्य है कोई भवन अथवा भवन का कोई भाग, जहां कि धन के प्रतिफल (monetary consideration) में भोजन अथवा अन्य सेवाओं क सहित अथवा रहित निवास की व्यवस्था की जाती

हो, और इसके अन्तर्गत भवनों का ऐसा समुदाय (collection) अथवा कोई भवन, अथवा भवन का भाग भी है जो धन देकर अथवा अन्यथा तीर्थयात्रियों अथवा यात्रियों को ठहराने के लिये प्रयुक्त होता हो ;

(३६) "बाजार" (Market) के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान है जहां पशु-धन अथवा पशुओं के लिये खाद्य-पदार्थ, अथवा मांस, मछली, फल, साग-सब्जी मनुष्यों के भोजन के लिये अभिप्रेत पशु अथवा मनुष्यों के भोजन के अन्य पदार्थ चाहे वे कुछ भी हों, के विक्रय के लिये अथवा विक्रयार्थ प्रदर्शित करने के निमित्त लोग ऐसे स्थान के स्वामी की अनुमति से अथवा बिना उसकी अनुमति के एकत्रित होते हैं, चाहे वहां क्रेताओं तथा विक्रेताओं के एकत्र होने के संबंध में कोई सामान्य विनियमन न हो, और चाहे उस स्थान के स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा "बाजार" के कारबार पर अथवा बाजार में आने-जाने वाले व्यक्तियों पर कोई नियंत्रण रखा जाता हो अथवा न रखा जाता हो,

(३७) "पक्का भवन" (Masonry building) से तात्पर्य है अथवा कुटी से विभिन्न कोई भवन अथवा इसके अन्तर्गत ऐसा ढांचा (structure) भी है जिसका पर्याप्त भाग ईंट, पत्थर, अथवा फौलाद अथवा लोहा या अन्य किसी धातु से बना हुआ हो ;

(३८) "निगम का सदस्य" से तात्पर्य है कोई एल्डरमैन या कौंसिलर और जब तक इसके प्रतिकूल कोई बात व्यक्त न की गई हो, इसके अन्तर्गत डिप्टी मेयर तथा मेयर भी होंगे चाहे वह पदेन ही निगम का सदस्य हो ;

(३९) "म्युनिसिपल कमिश्नर" से तात्पर्य है धारा ५७ के अधीन नियुक्त नगर का म्युनिसिपल कमिश्नर तथा इसके अन्तर्गत धारा १०६ के अधीन नियुक्त डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर तथा असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर भी है ;

(४०) "नगरपालिका नाली" से तात्पर्य है निगम में निहित कोई नाली ;

(४१) "नगरपालिका बाजार" से तात्पर्य है कोई बाजार जो निगम में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जाता हो ;

(४२) "नगरपालिका बधशाला" से तात्पर्य है कोई बधशाला जो निगम में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जाता हो ;

(४३) "नगरपालिका कर" से तात्पर्य है कोई लाभकर (impost) जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लगाया गया हो ;

(४४) "नगरपालिका जल-कल" से तात्पर्य है वह जल-कल जो निगम का हो अथवा उसमें निहित हो ;

(४५) "अपदूषण" (Nuisance) के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य, कार्यलोप (omission), स्थान या वस्तु है जिससे कि चक्षु, प्राण अथवा श्रवण की इंद्रियों को क्षति, संकट, उद्वेजन अथवा कष्ट पहुंचे या पहुंचने की संभावना हो, अथवा जो जीवन के लिये संकट उत्पन्न करने वाली हो या हो सकती हो, अथवा जो स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिये हानिकारक हो ;

(४६) "अध्यासी" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी भमि अथवा भवन का, जिसके संबंध में किराया दिया जाता हो अथवा देय हो ; तत्समय उसके स्वामी को कोई किराया अथवा उसका कोई भाग दे रहा हो अथवा उसके लिये देनदार हो;

(ख) स्वामी जो अपनी भूमि या भवन में रह रहा हो अथवा अन्य प्रकार से उसे प्रयोग में ला रहा हो ;

(ग) किराया मुक्त किरायेदार या काश्तकार (tenant);

(घ) किसी भूमि अथवा भवन का अध्यासी अनुज्ञप्तगृहीता (licensee); तथा

(ङ) कोई भी व्यक्ति जो किसी स्वामी को किसी भूमि अथवा भवन के अध्यासन अथवा प्रयोग के लिये क्षतिपूर्ति (damages) का देनदार (liable) हो ।

(४७) "दुर्गन्धयुक्त पदार्थ" के अन्तर्गत पशुओं की लाशें, गोबर, धूल तथा मल इत्यादि से भिन्न दुगन्धित सड़े अथवा सड़ाने वाले (putrid or putrifying) पदार्थ हैं ;

(४८) "निगम का पदाधिकारी" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो तत्समय इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सृजित अथवा जारी रखे गये किसी पद पर आसीन हो, किन्तु उसके अन्तर्गत निगम अथवा उसकी किसी समिति के सदस्य न होंगे ;

(४८-क) "सरकारी गजट" से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रचारित गजट ;

(४९) "आज्ञा" से तात्पर्य है वह आज्ञा जो सरकारी गजट में अथवा विहित रीति से प्रकाशित की गई हो ;

(५०) "स्वामी" से तात्पर्य है :—

(क) किसी भू-गृहादि के संबंध में प्रयुक्त होने पर वह व्यक्ति जो उक्त भू-गृहादि का किराया लेता हो अथवा उक्त भू-गृहादि किराये पर उठाये जाने की दशा में उसका किराया लेने का अधिकारी हो तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(१) कोई अभिकर्ता अथवा न्यासी जो स्वामी के लिये किराया प्राप्त करता हो ;

(२) कोई अभिकर्ता अथवा न्यासी जो धर्मोत्तर अथवा दानोत्तर प्रयोजनों के लिये समर्पित (devoted) किसी भू-गृहादि का किराया लेता हो अथवा जिसे उक्त भू-गृहादि सौंपा गया हो या जिसका संबंध उक्त भू-गृहादि से हो ;

(३) कोई आदाता (Receiver), व्यवस्थापक (sequestrator) अथवा प्रबन्धक, जिसे सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय ने उक्त भू-गृहादि को अवधायन (charge) में [लेन] लेने अथवा उसके स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो ;

(४) भोग-बन्धकी (mortgagee-in-possession);

(ख) किसी पशु, वाहन अथवा नाव के संबंध में प्रयोग किये जाने पर इस (स्वामी) के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो तत्समय उक्त पशु, वाहन अथवा नाव का अवधायक (incharge) हो ;

(५१) "भवन का भाग" के अन्तर्गत कोई दीवाल, भूमिगत कमरा या मार्ग (underground room or passage), बरामदा स्थिर चबूतरा, कुर्सी, जीना या दरवाजे की सीढ़ी है जो किसी वर्तमान भवन से सम्बद्ध हो या उसके अहाते के भीतर बनी हो जो ऐसी भूमि पर बनी हुई हो जो प्रस्तावित (projected) भवन का स्थल (site) या अहाता होने वाली हो ;

(५२) "भू-गृहादि" के अन्तर्गत हैं, निवास, कार्यालय आदि (messages), भवन और किसी पट्टे के भूमि खंड चाहे वे खुले हुये हों या घिरे हुये, निर्मित हों या अनिर्मित और सरकारी हों या निजी ;

(५३) "विहित" से तापर्त्य है इस अधिनियम द्वारा अथवा तदन्तर्गत बने निगम या आज्ञा द्वारा या किसी अन्य विधायन द्वारा या उसके अधीन विहित;

(५४) "विहित प्राधिकारी" से तात्पर्य है कोई पदाधिकारी या निगमित संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्त की गयी हो, और यदि कोई ऐसा पदाधिकारी या निगमित संस्था नियुक्त न की जाय, तो उस डिवीजन का कमिश्नर, जिसमें वह नगर स्थित हो;

(५५) "पेट्रोलियम" से तात्पर्य है इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट, १८९९ में पारिभाषित पेट्रोलियम;

(५६) "निजी सड़क" से तात्पर्य है कोई सड़क जो सार्वजनिक सड़क न हो;

(५७) "संडास" (Privy) से तात्पर्य है वह स्थान जो शौच निवृत्ति या लघुशंका निवृत्ति या दोनों के लिये अलग कर दिया गया हो, और इसमें वह ढांचा, जिससे यह स्थान बनाया गया हो, उसके भीतर शौच के लिये रक्खा गया बर्तन तथा उससे उससे संसक्त संधायन (fittings) और उपकरण, यदि कोई हों, सम्मिलित होंगे । इसके अन्तर्गत शुष्क प्रकार का नाबदान, जल-संडास (aqua privy), शौचालय तथा मूत्रालय भी है ;

(५८) "सार्वजनिक स्थान" के अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या उद्यान या कोई मैदान (ground) है जिसमें जन-साधारण जा सकते हों या उन्हें वहां जाने की अनुमति हो;

(५९) "सरकारी प्रतिभूतियां" (Public securities) से तात्पर्य है—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियां;

(ख) प्रतिभूतियां, सम्भार (Stocks), ऋण-पत्र (debentures) या अंशक (shares) जिन पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने ब्याज संरक्षित किया हो ;

(ग) धन के ऋण-पत्र (Debentures) या अन्य प्रतिभूतियां, जिन्हें किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से भारतीय गणतंत्र के किसी भाग में तत्समय प्रचलित किसी विधायन द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर के जारी किया गया हो ;

(घ) प्रतिभूतियां, जो किसी ऐसी आज्ञा द्वारा स्पष्टतः प्राधिकृत की गयी हों जो सरकार एतदर्थ दे ;

(६०) "सार्वजनिक सड़क" से तात्पर्य है कोई सड़क—

(क) जो अब तक नगरपालिका की निधियों या अन्य सार्वजनिक निधियों से समतल की गई हो, जिसमें खड़ंजा लगाया गया हो , जो पक्की की गयी हो, जिसमें नालियां बनायी गयी हों, नाले लगाये गये हों या जिसकी मरम्मत की गयी हो , (levelled, paved, metalled, channelled, sewered, or repaired); अथवा

(ख) जो धारा २८७ के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक सड़क घोषित की जाय या जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन सार्वजनिक सड़क हो जाय ।

(६१) (क) कोई व्यक्ति किसी निवास-गृह में "रहने वाला" (reside) समझा जाता है जिसे या जिसके कुछ भाग को वह सोने के कमरे के रूप में कभी-कभी प्रयोग करता है—चाहे व्यवधानों के साथ (interruptedly) या निरन्तर ; और

(ख) किसी व्यक्ति के संबंध में केवल इस कारण से यह न समझा जायगा कि उसने किसी निवासगृह "में रहना छोड़ दिया है" कि वह उसमें अनुपस्थित है या उसके पास दूसरे स्थान पर दूसरा निवास गृह है जिसमें वह रहता है , यदि वह किसी भी समय उसमें लौट आने के लिये स्वाधीन हो और उसमें लौट आने के अभिप्राय का परित्याग न किया गया हो ;

(६२) "कूड़ा-करकट" (Rubbish) के अन्तर्गत धूल , राख, टूटी हुई ईंटें, बजरी (mortar), टूटे हुए शीशे , उद्यान अथवा अस्तबल का कूड़ा-करकट और किसी प्रकार का कूड़ा-करकट , जो दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या मल इत्यादि न हो, हैं;

(६३) "नियम" से तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन बनाये गये नियम ;

(६४) "अनुसूची" से तात्पर्य है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ;

(६५) "अनुसूचित जातियां" से तात्पर्य है कांस्टीट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर, १९५० में निर्दिष्ट जातियां ;

(६६) "अनसूचित बैंक" (Scheduled Bank) पद का वही अर्थ होगा जो अर्थ उसका रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ में किया गया है ;

(६७) "निगम का सेवक" से तात्पर्य है कोई व्यक्ति जो निगम से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हो ;

(६८) "मल इत्यादि" (Sewage) से तात्पर्य है, विष्टा (nightsoil) और नाबदानों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, मलकूपों अथवा नालियों में पड़ी हुई अन्य वस्तुयें (contents) और गन्दगी, गलीज आदि के स्थानों (sinks) स्नानघरों, अस्तबलों , पशु-शालाओं तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों से निकला हुआ दूषित जल और इसके अन्तर्गत व्यापारिक प्रवाहयुक्त पदार्थ और सब प्रकार के कारखानों से निकलने वाले तरल पदार्थ भी हैं ;

(६९) "आकाश चिह्न" (Sky-sign) से तात्पर्य है कोई शब्द वर्ण, नमूना (model) , चिह्न युक्त या अन्य प्रतिरूप (representation) जो विज्ञापन , घोषणा (announcement) या निर्देशन (direction) के रूप में हो और जो किसी भवन या ढांचे पर या उसके ऊपर पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे (post), बल्ली (pole), ध्वज खंड (standard), चौखट या अन्य किसी अवलम्ब (support) के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो (supported or attached) और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल में पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) उक्त अवलम्ब का प्रत्येक भाग ; और

(ख) कोई गुब्बारा, हवाई छतरी (parachute) अथवा ऐसी ही अन्य कोई युक्ति (device) जो पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञापन या घोषणा के प्रयोजनों के लिये काम में लायी गयी हो और जो किसी भवन, ढांचे या किसी प्रकार के निर्माण (erection) पर या उसके ऊपर हो या जो किसी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर या उसके ऊपर हो ;

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं समझे जायेंगे—

(१) ध्वजस्तम्भ (flagstaff), बल्ली, वायु दिग्दर्शन पंख (weathercock) या वायु-दिशा सूचक

यंत्र (vane), जब तक कि वे पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञापन या घोषणा के लिए अनुकल्पित या प्रयुक्त न किये गये हों;

(२) किसी ऐसे पटल (Board), चौखट या अन्य प्रारूप (contrivance) पर जो किसी भवन की दीवाल या भित्ति (parapet) के सब से ऊपरी भाग (top) पर, किसी कारनिस या दीवाल से सट कर बने हुये भागों (blocking course) पर, या किसी छत के किनारे (ridge) पर सुरक्षित रूप से लगाया गया हो यदि उक्त प्रारूप एक ही अटूट सतह पर बना हो और खुला-कार्य (open work) न हो और उक्त दीवाल, भित्ति या किनारे के किसी भाग के ऊपर तीन फीट से अधिक ऊंचाई तक न हो; या

(३) कोई प्रतिरूप (Representation) जो केवल इंडियन रेलवेज ऐक्ट, १८९० में पारिभाषित (defined) रेल प्रशासन के कारबार से संबंध रखता हो और जो पूर्णतः उक्त रेल-प्रशासन के किसी रेलवे स्टेशन के चत्वर (yard) प्लेटफार्म अथवा स्टेशन के सन्निकट स्थान (approach) पर या उसके ऊपर या ऐसे भू-गृहादि पर उसके ऊपर रक्खा गया हो या और जो इस ढंग से रक्खा गया हो कि वह किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर न गिर सके;

(७०) "विशेष निधि" (Special fund) से तात्पर्य है धारा १३६ के अधीन संगठित कोई निधि:

(७०-क) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार;

(७१) "सड़क" (Street) के अन्तर्गत कोई राजमार्ग, पुलियों-पुलों की ऊंची सड़कें (causeway), पुल, मार्गसेतु (viaduct), मेहराब, पथ (road), गली, पगडंडी (footway), उपमार्ग, आंगन (court),सकरी-गली (alley), घुड़सवारी का मार्ग या रास्ता---चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या न हो, जिसके ऊपर जन-साधारण को आने जाने या प्रवेश का अधिकार हो या जिसके ऊपर जन-साधारण लगातार बीस वर्षों से आते-जाते अथवा प्रवेश करते रहे हों और यदि किसी सड़क में पगडंडी और वाहनमार्ग दोनों ही हों तो सड़क के अन्तर्गत दोनों ही होंगे;

(७२) "सड़क रेखाकरण" (Street alignment) से तात्पर्य है वह रेखा (line) जो किसी सड़क में सम्मिलित और उसका भाग बनी हुई भूमि को पार्श्ववती (adjoining) भूमि से अलग करती हो ;

(७३) "मिठाई की दकान" से तात्पर्य है कोई भू-गृहादि या किसी भूमिगृहादि का वह भाग जो किसी आइसक्रीम, अथवा अन्य किसी प्रकार की मिठाइयों को, चाहे वह किसी के लिये भी अभिप्रेत हों और चाहे उनका जो भी नाम हो और चाहे वे भू-गृहादि में या उसके बाहर उपभोग के लिये हों, बनाने,

व्यवहृत करने या बिक्री के लिये संग्रह करने (manufacture, treatment or storage for sale) अथवा थोक का या फुटकर विक्रय के निमित्त प्रयुक्त होता हो ;

(७४) "प्रेक्षागृह-कर" (Theatre tax) से तात्पर्य है मनोविनोदों अथवा मनोरंजनों (amusements or entertainments) पर लगाया गया कर ;

(७५) "व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ" (Trade effiuent) से तात्पर्य है कोई तरल पदार्थ, चाहे उसमें अन्य पदार्थों के कारण घुले मिले हों या न हों, और जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापारिक भू-गृहादि (trade premises) में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग में उत्पादित होती हो ; और किसी व्यापारिक भू-गृहादि के संबंध में इसका तात्पर्य है उपर्युक्त प्रकार का कोई तरल पदार्थ जो उक्त भू-गृहादि में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग में उक्त प्रकार से उत्पादित होता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू मल इत्यादि नहीं हैं;

(७६) "व्यापारिक भू–गृहादि" (Trade premises) से तात्पर्य है कोई भू-गृहादि जो किसी व्यापार या उद्योग संचालन के लिये प्रयुक्त किये जाते हों या प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत हों;

(७७) "व्यापारिक कूड़ा-करकट" (Trade refuse) से तात्पर्य है और इसके अन्तर्गत सम्मिलित हैं किसी व्यापार, निर्माण (manufacture) या कार-बार का कूड़ा-करकट;

(७८) "वाहन" (Vehicle) के अन्तर्गत है यान (carriage), गाड़ी (cart), परिवहन (van), ठेलागाड़ी (dray), मोटर ठेला (truck), हाथ से चलायी जाने वाली गाड़ी, बाइसिकिल, ट्राइसिकिल, मोटरकार तथा पहियेदार, ऐसा प्रत्येक वाहन, जो सड़क पर प्रयुक्त किया जाता हो या प्रयुक्त किया जा सकता हो;

(७९) "कक्ष" (Ward) से तात्पर्य है ऐसा कक्ष जिसकी व्यवस्था धारा ३१५ के अधीन परिसीमन आज्ञा (Delimitation Order) द्वारा की गयी हो;

(८०) "नाबदान" (Water closet) से तात्पर्य है ऐसा नाबदान, जिसमें जल निस्सारण प्रणाली संसक्त कोई पृथक स्थिर पात्र (fixed receptacle) लगा हुआ हो और जिसमें यंत्र द्वारा या स्वयं चालित (automatic) रूप में स्वच्छ जल से धोये जाने की पृथक व्यवस्था हो;

(८१) "जल सम्बन्ध" (Water connection) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) कोई टंकी (Tank), जलकुण्ड (cistern), पानी निकालने का बम्बा (hydraul), बम्बा (stand-pipe), मीटर अथवा नल (tap) जो किसी निजी संपत्ति पर स्थिर हो और निगम के किसी जल-प्रणाल (water main) अथवा पाइप से मिलता हो; और

(ख) पानी का पाइप जो उक्त टंकी (tank), जलकुण्ड, पानी निकालने के बम्बे, बम्बे, मीटर अथवा नल को उपर्युक्त जल-प्रणाल अथवा पाइप से मिलाता हो;

(८२) "जलमार्ग" (Water course) के अन्तर्गत कोई नदी, सोता (stream) अथवा गूल (channel) है, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम;

(८३) "घरेलू प्रयोजनों के लिये जल" के अन्तर्गत ऐसा पानी नहीं है जो ढोरों अथवा घोड़ों के लिये हो अथवा वाहनों (vehicles) को धोने के लिये हो, जब उक्त ढोर, घोड़े अथवा वाहन बिक्री या किराये के लिये रखे जाते हों अथवा सम-वाहक (common carrier) के पास हों और इस के अन्तर्गत किसी व्यापार, निर्माण (manufacture) अथवा कारोबार अथवा भवन के प्रयोजनों के लिये अथवा बागों अथवा सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिये अथवा निर्झर (fountains) अथवा अन्य किसी सजावट या यांत्रिक प्रयोजनों के लिये जल सम्मिलित नहीं है;

(८४) "जलकल" (Waterworks) के अन्तर्गत कोई झील, सोता (stream), झरना (Spring), कुयें का पम्प (well-pump), जलाशय (reservoir), जलकुण्ड (cistern), टंकी (tank), प्रणाली (duct) चाहे वह ढंकी हुई हो अथवा खुली हुई, बांध (sluice), मुख्य पाइप (main pipe), पुलियां (culvert), इंजिन (engine), जल-वाहन (water-tank), पानी निकालने के बम्बे (stand pipe), जल ले जाने की अन्य कोई व्यवस्था (conduit) और यंत्र आदि (machinery) तथा भूमि, भवन अथवा वस्तु है जो जल-संभरण के लिये हों अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होती हों अथवा जल-संभरण के स्रोतों (sources) की सुरक्षा के लिये प्रयुक्त होती हों;

(८५) "कारखाना" (workshop) से तात्पर्य है कोई भवन, स्थान अथवा भूमि-गृहादि अथवा उसका कोई भाग, जो फैक्टरी न हो और जहां अथवा जिसके ऊपर, वहां काम करने वाले व्यक्तियों के नियोजक (employer) को प्रवेश करने तथा उन पर नियंत्रण करने का अधिकार हो और जहां अथवा जिनके अहातों अथवा घर (compound or precinct) के भीतर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किसी प्रक्रिया (process) में सहायता देने के लिये, अथवा उसके प्रासंगिक रूप में शारीरिक श्रम करने वाले लोग नियोजित हों अथवा प्रयुक्त होते हों—

(१) कोई वस्तु अथवा उसका कोई भाग बनाना ; अथवा

(२) कोई वस्तु परिवर्तित करना, उसकी मरम्मत करना, उसकी सजावट करना अथवा उसे अंतिम रूप देना ; अथवा

(३) किसी वस्तु को बिक्री के लिये अंगीकार करना ।

श्री अध्यक्ष--इस पर श्री शिवराज बहादुर, श्री मुनीन्द्रपाल सिंह तथा श्री भगवती सिंह विशारद जी के संशोधन हैं लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी से कहूंगा कि चूंकि विरोधी दल का कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं है, (श्री जगन्नाथ लहरी के खड़े होने पर) सिर्फ एक मौजूद हैं, लेकिन सब के संशोधनों को वे स्वीकार नहीं कर सकेंगे, तो जो संशोधन माननीय मंत्री जी स्वीकार करना चाहते हों, उनको मैं यह मौका दे दूंगा कि वे किसी दूसरे सदस्य से उसे उपस्थित करा दें। विरोधी दल के सदस्यों ने जो संशोधन दिये हैं उनको वे उपस्थित कर सकते हैं ताकि कोई संशोधन जो आवश्यक हों, वे बाकी न रहें और काम भी हो जाय।

तो क्या कोई उनके संशोधन को उपस्थित करना चाहता है ?

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--जी हां, मैं उनके संशोधन को उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--क्या आपने उपस्थित करने की इनसे इजाजत ले ली है ?

श्री जगन्नाथ लहरी--मैंने इजाजत तो नहीं ली है।

श्री अध्यक्ष--इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

सदस्यगण--कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--तो आप उपस्थित कर सकते हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री शिवराज बहादुर, श्री मुनीन्द्रपाल सिंह तथा श्री भगवती सिंह विशारद द्वारा उपस्थित संशोधन को प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वह इस तरह से है--

खंड २ के उपखंड (६) के पश्चात् ६--(क) निम्न प्रकार से रख दिया जाय :

"६-(क) आयोग से तात्पर्य लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार बनाये गये स्वायत्त शासन लोक सेवा आयोग से है"।

अध्यक्ष महोदय, शासन की इस मशीनरी को चलाने के लिये जहां हमें सुयोग्य कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता होती है वहां इस बात का भी नितान्त ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि वे अधिकारी या कर्मचारी पक्षपात रहित पूर्ण तरीके से निर्वाचित किये जायं या लिये जायं। इस देश के सभी प्रान्तों में चाहें भारत सरकार के अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र मांगे जायं या प्रादेशिक सरकार के लोक सेवा आयोग द्वारा उन प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र पर विचार करके उनको उस अधिकारी के लिये, उस सेवा के लिये नियुक्त किया जाता है। लोक सेवा आयोग के प्रति विशेष आस्था है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, और देश के सभी वर्ग लोक सेवा आयोग में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं और यह कहा जाता है कि लोक सेवा आयोग एक ऐसा आयोग है जो कि पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर है, जिसके ऊपर राजनीतिक पार्टियों का कोई दबाव या प्रभाव नहीं है। लोक सेवा आयोग के सदस्य चाहे किसी भी दल को हों, चाहे जिस सरकार द्वारा नियुक्त किये जायं लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त हो जाने के बाद वे उस आयोग की पुनीत परम्परा को कायम रखने के लिये पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठ जाते हैं। इसी दृष्टिकोण से देखते हुये जो नगर निगम विधेयक हम बनाने जा रहे हैं, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये हमारे कुछ साथियों द्वारा खंड २ के उपखंड (६) में यह संशोधन किया गया है कि लोक सेवा आयोग के साथ-साथ स्वशासन लोक सेवा आयोग के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय। अभी तक लोक सेवा आयोग द्वारा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की ही नियुक्ति की जाती है लेकिन लोकल बाडीज जो कि अर्द्ध-सरकारी संस्थायें कही जाती हैं उनके लिए लोक सेवा आयोग द्वारा किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं होती। न लोकल

बाडीज़ के किसी कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। आज जब कि हम अपने प्रदेश के पांच बड़े-बड़े नगरों में नगर निगम स्थापित करने जा रहे हैं, उसके संचालन के लिए एक विधेयक सदन के सम्मुख उपस्थित है, उस समय सदन की यह मांग है कि यद्यपि सदियों से अभी तक इन लोकल बाडीज़ को उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग की सीमा से बाहर रखा गया था, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति इन के द्वारा नहीं की जाती थी, लेकिन जिस लोक सेवा आयोग पर देश की सभी जनता सभी वर्ग की पूर्ण आस्था है, उसके लिए आज यह समय की मांग है कि हम लोकल बाडीज़ ऐक्ट में भी ऐसा संशोधन करें। लेकिन क्योंकि लोकल बाडीज़, म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया वगैरह का ऐक्ट इस समय हमारे सामने उपस्थित नहीं है, नगर निगम विधेयक हमारे सामने है, इसलिए यह एक सामयिक मांग है कि हम लोग समय को देखते हुये कम से कम स्वशासन लोक सेवा आयोग की स्थापना करें जो कि नगर निगम के अधिकारियों की नियुक्ति करे जहां पर कि अधिकांश अधिकारी १०० रुपये से अधिक के ही होंगे ताकि उनकी नियुक्ति पार्टी पालिटिक्स के आधार पर न हो। आज आमतौर पर यह कहा जाता है कि "दे सोर्ड आफ डेमोक्रेसी इज़हैंगिंग अपान दोज़ हू आर इन लोकल बाडीज़ सर्विसेज"। लोकल बाडीज़ में जो भी कर्मचारी होते हैं चाहे वह उसका एग्जीक्यूटिव आफिसर ही क्यों न हो उसके ऊपर हर समय बहुमत की तलवार लटकती रहती है और बहुमत के आधार पर किसी भी अधिकारी को चाहे जब निकाला जा सकता है। आज स्वशासन संस्थाओं का यह हाल है जो कि जनता की चुनी हुई प्रथम इकाइयां हैं, जिनके हाथ में कि नगर और कस्बों का प्रबन्ध है, उनके अधिकारियों की यह दशा है कि उनकी सेवाओं में स्थायीपन की गारंटी नहीं। आज एक एग्जीक्यूटिव आफिसर, जो कि वर्तमान बहुमत के साथ में काम करता है, अगर किसी तरह से उस पार्टी का बहुमत खत्म हो जाता है और विरोधी पार्टी का बहुमत हो जाता है तो सबसे पहले उसको उनका शिकार होना पड़ेगा। उसको सस्पेंड किया जाता है, उसके विरुद्ध तरह तरह के चार्जेज़ फ्रेम किये जाते हैं और कोशिश यह की जाती है कि यह व्यक्ति जो उनके रास्ते का कांटा है उसको किसी तरह से अलग किया जाय। इस प्रकार देखा जाता है कि स्वशासन संस्थाओं के अधिकारियों को सदा मेम्बरों और चेयरमैनों की खुशामद में लगे रहना पड़ता है जिससे वह नगर की सही सेवा नहीं कर सकते। यदि इन अधिकारियों की नियुक्ति, इनका निर्वाचन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता और उनकी भी नियुक्ति उसी तरह से की जाय जैसे कि और सरकारी अधिकारियों की जाती है तो ये अधिकारी सही मानों में अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं और जनता की सही मानों में सेवा कर सकते हैं।

मुझे मालूम है, मैंने अपने छोटे से जीवन में देखा है, फीरोजाबाद म्युनिसिपैलिटी में कई एग्जीक्यूटिव आफिसर जो अपनी योग्यता के लिए लिए प्रसिद्ध थे, उनको केवल इसी कारण निकाल दिया गया कि उनकी पार्टी चली गई, दूसरी पार्टी के हाथ में शासन हुआ, उसके व्यक्ति वह नहीं थे, उनको निकाल दिया गया। तो श्रीमन्, ऐसी स्थिति में जब कि नगर निगम विधेयक हम बना रहे हैं, उसके अधिकारों की भी सीमा बढ़ा रहे हैं, उनकी कार्य-क्षमता बढ़ायी जा रही है उस समय इस बात की नितांत आवश्यकता है कि नगर निगम के उन अधिकारियों की सेवाओं के लिये गारन्टी करे जो निस्संकोच और बिना किसी डर और पक्षपात के अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर की सेवा कर सकें। लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है जब उनके लिये इस बात की गारन्टी कर दी जाय की जिस पार्टी का शासन होगा वह उनके अधिकार से बाहर रहेंगे और यह तभी हो सकता है जब उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की जाय। इसलिए मैं इस संशोधन का, जो यहां पेश किया गया है, समर्थन करते हुए सदन से प्रार्थना करता हूं, यद्यपि विरोधी पक्ष के लोग उपस्थित नहीं हैं, लेकिन यह ऐसा आवश्यक संशोधन है जिससे अधिकारियों की श्रद्धा आपके प्रति होगी और नगर की भलाई होगी। इसलिये मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करें तो भला होगा।

श्री लक्ष्मी नारायण बंसल (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय लहरी जी ने पेश किया है मेरी राय में आउट आफ़ आर्डर है क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट नामक कोई ऐक्ट मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर उनका मतलब लोकल ऐक्ट से हो तो यह संशोधन किसी पर्टीक्यूलर ऐक्ट को मेंशन न करने के कारण आउट आफ़ आर्डर है। जो बातें मेरे लायक दोस्त ने अपनी स्पीच में कही हैं उनका समाधान, यदि वे खंड १०६ इस बिल का देखेंगे तो, उसमें मिल जायगा जिसके अनुसार २०० रु ये से ज्यादा की जो नौकरियां हैं उनके लिये म्युनिसिपल कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि सूबे के लोक सेवा आयोग से सलाह लेकर उनका एप्वाइंटमेंट करें और बाकी एप्वाइंटमेंट्स के लिए सेलेक्शन कमेटी का प्रावीजन किया गया है। इसलिये यह संशोधन अनावश्यक है और जिस वक्त हम खंड १०६ पर आयेंगे उस समय इस पर भी विचार कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन की भावना है उससे मैं इत्तफाक करता हूं। लेकिन सूबे में सिर्फ ५ कारपोरेशन्स बनायी जा रही हैं उनके अन्दर इतने कम आदमियों का एप्वाइंटमेंट होगा कि अगर उसके लिये सेपरेट आयोग बनायें तो खर्चीला होगा। फिलहाल इस काम को हम प्रदेश के लोक सेवा आयोग से लेना चाहते हैं और जब उसमें सब म्युनिसिपैलिटीज के लिये उनकी सर्विसेज को प्राविन्श्यलाइज कर लें तब शायद अलग आयोग बनाने की आवश्यकत होगी और उस समय कारपोरेशन को भी इनक्लूड कर लिया जायगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--(माननीय जगन्नाथ लहरी से) क्या आप कोई जवाब देना चाहते हैं ?

श्री जगन्नाथ लहरी--नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (६) के पश्चात् ६ (क) निम्न प्रकार से रख दिया जाय--

"६--(क) आयोग से तात्पर्य लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट तथा उसक अधीन निर्मित नियमों के अनुसार....."

तो यह चीज बिल्कुल आउट आफ़ आर्डर है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट न होने की वजह से जो हिस्सा इस संशोधन का आउट आफ़ आर्डर है उसको नहीं लेता हूं।

"६--(क) आयोग से तात्पर्य नियमों के अनुसार बनाये गये स्वायत्त शासन लोक सेवा आयोग से है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं कि खंड २ के उपखंड (१७) में शब्द :

"निर्वाचन संचालक (Director of Elections)" के स्थान पर "निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय) [Director of Elections (Local Bodies)]" रख दिये जायं।

श्रीमन्, कोई बड़ा संशोधन नहीं है। केवल इसमें यह मांग की गई है कि डायरेक्टर आफ़ इलेक्शन के बजाय डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स (लोकल बाडीज) कर दिया जाय। अतः अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१७) में शब्द :

"निर्वाचन संचालक (Director of Elections)" के स्थान पर "निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय) [Director af Elections (Local Bodies)]" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (४२) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (४२–क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(४२–क)—"नगरपालिका के कार्यालय" से तात्पर्य है 'निगम का कार्यालय'।

इस में जरा सी गलती हो गई है, शब्द "म्युनिसिपैलिटी" प्रयोग किया गया है वहां "कारपोरेशन" होना चाहिये, उसी को ठीक करने के लिये यह जोड़ा जा रहा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—एक बात पर इसी वक्त विचार हो जाय तो ठीक होगा। श्री जगदीश शरण अग्रवाल की आखिर में एक सूची है उस में आप ने "निगम" की जगह "नगरमहापालिका" शब्द रखा है.....

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इस समय यह स्वीकार हो गया, तो इसके आधार पर सब जगह ठीक कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है. आखिर में आप एकदम रख देंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसका अर्थ यह है कि जहां पर नगर निगम आफिस आना चाहिये वहां पर पहले से नगरपालिका का आफिस लिखा गया है, यह आगे मेन ऐक्ट में आया है, वहां सब जगह नगरपालिका का अर्थ होगा "नगर निगम" यहां पर परिभाषा में ही हम ठीक किये दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तो तभी ठीक करेंगे जहां पर यह आयेगा, उस जगह पर तैयार हैं तो इस को लाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर यहां ठीक नहीं करेंगे तो अशुद्ध रह जायगा।

श्री अध्यक्ष—तो जहां आप रखेंगे वहां "निगम कार्यालय" रखेंगे तो फिर इसकी जरूरत ही क्या रह जाती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यहीं पर तो यह कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—इसमें जो ४२ है उसमें लिखा है कि "नगरपालिका वधशाला" से तात्पर्य है कोई वधशाला जो निगम में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जाता हो तो इस में तो "निगम" शब्द है फिर.....

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—श्रीमन्, इसका आशय यह है कि यह एक नया उपखंड, खंड २ के ४२ उपखंड के आगे और जोड़ा जा रहा है (४२–क) के रूप में.....

श्री अध्यक्ष—आप जोड़ना चाहते हैं तो ठीक है। जोड़ दीजिये।

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (४२) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (४२–क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

(४२–क)—"नगरपालिका के कार्यालय" से तात्पर्य है 'निगम का कार्यालय'।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ के उपखंड (४८) की पहली पंक्ति में शब्द "निगम का पदाधिकारी" के पश्चात् शब्द "तथा नगरपालिका का पदाधिकारी" बढ़ा दिये जायं ।

जैसा संशोधन मैंने अभी पेश किया था उसी के आधार पर "म्युनिसिपैलिटी" की जगह पर "कारपोरेशन" रखने की आवश्यकता है, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, यह मंजूर है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (४८) की पहली पंक्ति में शब्द "निगम का पदाधिकारी" के पश्चात् शब्द तथा नगरपालिका का पदाधिकारी" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (६७) की पहली पंक्ति में शब्द "निगम का सेवक" के पश्चात् "तथा नगरपालिका का कर्मचारी" बढ़ा दिये जायं ।

श्री बिचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (६७) की पहली पंक्ति में शब्द "निगम का सेवक" के पश्चात् "तथा नगरपालिका का कर्मचारी" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३ व ४

इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्रों को नगर घोषित करना ।

३---(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को नगर के रूप में संगठित कर सकती है जो विज्ञप्ति में उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत आता हो और उक्त नगर को ऐसा नाम दे सकती है जिसे वह निर्दिष्ट करे ।

(२) राज्य सरकार निगम के परामर्श से सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर उन सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है जो उप-धारा (१) के अधीन किसी नगर के लिये निर्दिष्ट की गयी हों, जिससे उसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र, जो निर्दिष्ट किया जाय, सम्मिलित किया जा सके अथवा अपवर्जित किया जा सके ।

(३) इस धारा के अधीन विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार पूर्व-प्रकाशन की शर्त के अधीन होगा ।

प्रत्येक नगर के लिए निगम ।

४---प्रत्येक नगर के लिये एक निगम होगा जो "(नगर का नाम) का नगर निगम" के नाम से एक निगमित संस्था (body corporate) होगी और जिसका सतत उत्तराधिकार (perpetual succession) तथा सामान्य मुद्रा होगी और जो उक्त नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा उसके विरुद्ध उक्त नाम से वाद प्रस्तुत किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५

५—प्रत्येक नगर के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के हेतु निम्नलिखित नगरपालिका प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे— नगरपालिका के प्राधिकारी ।

(क) निगम ;

(ख) निगम की कार्यकारिणी समिति ;

(ग) निगम की विकास समिति ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन निगम के लिए नियुक्त एक म्युनिसिपल कमिश्नर; तथा;

(ङ) ऐसी स्थिति में जब निगम विद्युत्-सम्भरण अथवा सार्वजनिक गमनागमन उपक्रम (electricity supply or public transport undertaking) अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं स्थापित अथवा अर्जित करे तो निगम की ऐसी अन्य समिति अथवा समितियां जिन्हें निगम राज्य सरकार की पूर्व-स्वीकृति से उनके लिए स्थापित करे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६, ७ तथा ८

निगम का संगठन ।

६—(१) निगम एक मेयर, तथा

(क) कौंसिलरों, जिनकी संख्या उतनी होगी, जितनी राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, परन्तु जो ९० से अधिक न होगी ; और

(ख) एल्डरमैनों, जिनकी संख्या खंड (क) के अधीन नियत कौंसिलरों की कुल संख्या के यथासम्भव नवें भाग के निकट होगी,

से मिलकर बनेगा ।

(२) एल्डरमैन कौंसिलरों द्वारा चुने जायंगे तथा कौंसिलर कक्ष निर्वाचनों (ward elections) में चुने जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों के लिये रक्षण (reservation) ।

७—(१) धारा ६ के अधीन नियत कौंसिलरों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों के लिये ऐसी संख्या रक्षित होगी जिसका अनुपात कुल संख्या के साथ यथासम्भव वही हो जो इंडिया सेंसस ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अधीन विगत अंतिम जन-गणना में निर्दिष्ट उस नगर की अनुसूचित जातियों की जन-संख्या तथा कुल संख्या के बीच हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जाति के सदस्यों को अरक्षित स्थानों (non-reserved seats) में निर्वाचित होने के लिए खड़े होने में रुकावट न डालेगी ।

(२) अनुसूचित जाति के लिए उपधारा (१) के अधीन व्यवस्थित रक्षण (reservation) केवल उसी दिनांक तक प्रभावी रहेगी जब तक ऐसी जातियों के लिए रक्षण (reservation) भारत का संविधान के अधीन रहे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात उपर्युक्त दिनांक की समाप्ति पर तब तक किसी रक्षित स्थान के प्रतिनिधित्व पर प्रभाव न डालेगी जब तक कि ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नया निर्वाचन नियत (due) नहीं हो जाता ।

८—धारा ५३४ तथा ५३४-क के अधीन व्यवस्थित अवस्था को छोड़कर निगम धारा ९ के अनुसरण में प्रचारित विज्ञप्ति कि निगम विधितः संघटित हो गया है, के दिनांक से ५ वर्ष तक बना रहेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निगम का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ा सकती है परन्तु कुल मिलाकर बढ़ाई हुई अवधि एक वर्ष से अधिक न हो ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी गम्भीर आपात (grave emergency) की दशा में अथवा किसी अन्य समान कारणवश राज्य सरकार उसी प्रकार निगम के कार्यकाल, अवधि अथवा अवधियां और बढ़ा सकती है जिनका कुल योग एक वर्ष से अधिक न हो ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६, ७ तथा ८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ९ और १०

निगम के संगठन की विज्ञप्ति।

९—किसी नगर के निगम के लिये कौंसिलरों, एल्डरमैनों तथा मेयर के निर्वाचन पूरे हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी कि उक्त नगर का निगम यथावत् संगठित हो गया है ।

डिप्टी मेयर।

१०—(१) प्रत्येक निगम के लिए एक डिप्टी मेयर होगा ।

(२) यदि कभी मेयर किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो अथवा मेयर का पद रिक्त हुआ हो तो इस पद के समस्त कर्त्तव्यों का पालन यथास्थिति मेयर के पुनः कार्यभार संभालने अथवा रिक्त स्थान की पूर्ति होने तक डिप्टी मेयर करेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ११

मेयर तथा डिप्टी मेयर के पद के लिये निर्वाचन की अर्हताएं।

११—(१) कोई भी व्यक्ति मेयर के पद पर निर्वाचन के लिए अर्ह न होगा।

(१) यदि वह नगर में निर्वाचक नहीं है,

(२) यदि उसकी आयु तीस वर्ष की नहीं हो गई है ।

(३) यदि वह धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन कौंसिलर या एल्डरमैन के रूप में निर्वाचित होने के निमित्त अनर्ह है, अथवा

(४) यदि वह एल्डरमैन या कौंसिलर के किसी स्थान के लिये निर्वाचन में हार चुका हो और उस निर्वाचन का फल घोषित होने के दिनांक के पश्चात् छः महीने व्यतीत न हो गये हों।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन अपने पद से हटने वाला मेयर पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

(३) कोई व्यक्ति जो निगम का सदस्य नहीं है, डिप्टी मेयर के पद पर निर्वाचन के लिए पात्र न होगा ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ११ में उपखंड (५) निम्नरूप में बढ़ा दिया जाय—

"(५) यदि उसने किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री भी न प्राप्त की हो।"

मान्यवर, खंड ११ वह खंड है जिसमें यह प्रोवाइड किया गया है कि मेयर की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होगी। जिस व्यक्ति को कबाल टाउंस की मेयरशिप का भार सौंपा जायगा उसकी क्या क्या डिस्क्वालीफिकेशंस होंगी, कौन-कौन व्यक्ति उसके लिये क्वालिफाइड नहीं होंगे। अतः मन्, इस संशोधन द्वारा मेरा प्रस्ताव है कि इसमें ऐसा पाबन्दी होना चाहिए कि वही व्यक्ति मेयरशिप के लिए कंपेंबिल समझा जाय जो किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर चुका हो। इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुये मुझे एक तो यह निवेदन करना है कि जब सरकार द्वारा पहले यह विधेयक मूल रूप में आया था तब उसमें ऐसा न्यूनतम शिक्षा की योग्यता की शर्त थी और उस वक्त यह था कि जिसकी इंटरमीडियेट तक भी शिक्षा न हो वह मेयर के पद के लिये एलिजिबिल नहीं होगा। कदाचित् बाद को सेलेक्ट कमेटी ने इसको उचित नहीं समझा।

कल माननीय मंत्री जी ने सामान्य विवाद में इस सम्बन्ध में हुई चर्चा का जिक्र करते हुये कहा था कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा और उसके बाद उनका या उनके किसी मित्र का यह भ्रम हुआ कि गदहे भी एम० ए० पास कर सकते हैं। मैं इसके बारे में क्या कहूं? इतना ही कह सकता हूं कि ऐसा भ्रम और ऐसा खयाल और भी अधिकारियों को देख कर लोगों को कभी-कभी हो जाता है। सरकार के ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारी भी ऐसे हैं जिनको देख कर कभी कभी लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें ऐसी गैरजिम्मेदाराना बात यदि कही भी जाय तो, उस को और ध्यान नहीं देना चाहिये। वह तो एक भ्रम की बात है।

देखना यह है कि हमारे प्रदेश में जो पांच कबाल टाउन्स में हम कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं उसमें मेयर जैसे उच्च पद के लिये आज तक के अनुभव के आधार पर हमें क्या करना चाहिये? मेयर का ऐसा पद है जिसे एग्जीक्यूटिव आर्डर्स पास करने पड़ते हैं। जिसको नियमों को पढ़ कर और समझ कर उनके आधार पर आर्डर्स पास करने पड़ते हैं। यदि यह व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो वह कैसे उन आर्डर्स को पास कर सकेगा। अतमन्, मुझे याद आता है अपने नगर की एक नगरपालिका की एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन की। उनकी शिक्षा जीरो थी। वे नुस्खे बांधते थे। आये दिन जब उनके सामने आर्डर को पढ़ने की कठिनाई आती थी तो वे बड़े गर्व के साथ कहा करते थे कि जो नगरपालिका के पांच-पांच सौ रुपये तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं इनका काम यही तो है कि वे आर्डर पढ़ कर समझावें। तो इसी तरह की बात यहां भी कही जा सकती है कि कारपोरेशन में भी बड़े उच्च अधिकारी होंगे, अगर मेयर शिक्षित नहीं है तो वे उच्च अधिकारी नियमों को पढ़ने और समझने में उसकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि आज जब हम अपने प्रदेश में पहली बार कारपोरेशन का नींव डालने जा रहे हैं तो क्यों न हम ऐसे लोगों के लिये दरवाजा बन्द कर दें जिनमें शिक्षा की योग्यता न हो, जिनमें यह समझने की शक्ति न हो कि वे रोजमर्रा के कार्य में अपने अधिकार का कैसे प्रयोग करें।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर हम दूसरे देशों के कारपोरेशनों की ओर निगाह डालें तब भी हमें ऐसी बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं कि वहां शिक्षा की योग्यता मेयर की ऐलीजिबिलिटी में रखी गई

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

हैं। लेकिन मैं मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह दूसरे देशों की बात छोड़ दें। स्वयं सरकार ने और मंत्री जी ने जिस विधेयक को पहले मूल रूप में प्रस्तुत किया था उसमें भी ऐसी कंडीशन थी। मैं समझता हूं कि सरकार क्या चाहती थी, मंत्री जी क्या चाहते थे, इसका प्रतीक मैं उसी अधिनियम को मानता हूं जो पहले इस सदन में प्रस्तुत हुआ था। यह संशोधन जो सेलेक्ट कमेटी में हुये हैं उसके बाद इसका रूप बदला, इसको सेलेक्ट कमेटी का निर्णय माना जा सकता है।

मेरी प्रार्थना यह है कि इस प्रश्न को इस दृष्टि से देखा जाय कि दूसरी बातें एक सी होते हुये अगर एक आदमी पढ़ा लिखा भी है तो क्या वह मेयर के पद को ज्यादा अच्छी तरह से चला सकता है या नहीं। मैं समझता हूं कि श्रीमन्, और बातों पर दो रायें हो सकती हैं लेकिन इस पर कदाचित् इसका गुंजाइश नहीं है। दो मनुष्यों में सारी बातें एक सी हों लेकिन यदि इनमें से एक पढ़ा-लिखा है, योग्य है, किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा की डिग्री ग्रहण की है, तो कौन अच्छी तरह काम कर सकता है? अब यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय की डिग्री पढ़े-लिखे होने का सबूत नहीं हो सकती है। मैं इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हूं यदि मंत्री जी इसका कोई दूसरा रूप सामने रख सकें। विश्वविद्यालय में पढ़े-लिखे की शर्त न हो कर और कोई मियार हो सके तो ठीक है। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम हो सका कि और क्या मियार हो सकता है? जब हम किसी अधिकारी को अधिकार देते हैं कि वह देखे कि वह एलिजिबिल है या नहीं। उसके लिये एक ही क्राइटेरियन रखना ठीक है कि वह पढ़ा-लिखा है या नहीं। यही इसके लिये सब से सरल हो सकता था लेकिन अगर इनके समकक्ष और कोई चीज हो सकती हो तो मुझे उसके मानने में इंकार नहीं होगा।

श्रीमन्, कल जब सामान्य विवाद हो रहा था तब भी संकेत रूप में कहा गया था और कहा जा सकता है कि लेजिस्लेचर के मेम्बर्स, प्रेसीडेंट और स्पीकर आदि किसी के लिये जब पढ़े-लिखे होने की कोई क्वालीफिकेशन नहीं रखी गई है तो मेयर के लिये क्या आवश्यकता है? इसके लिये श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से वही बात दोहराऊंगा कि इसकी आवश्यकता इसलिये है कि किसी लेजिस्लेचर में बहुत बड़ी संख्या में सदस्य होते हैं और उसमें सबके अनुभव से, योग्यता से काम चल सकता है, लेकिन जहां एक व्यक्ति के अन्दर अधिकार केन्द्रित हों तब आवश्यकता है कि उसके लिये कुछ न कुछ शिक्षा की योग्यता होनी चाहिये।

श्रीमन्, यह भी कहा जा सकता है कि हमारे देश में और कारपोरेशन्स हैं उनमें किसी में भी ऐसी कंडीशन नहीं है। उसके जवाब में मैं यह कहूंगा कि वह बहुत पहले बने थे, काफी समय गुजर चुका है और जब से काफी पानी बह चुका है, इसलिये हमें चाहिये था कि इस अनुभव और ज्ञान से फायदा उठायें और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया था। वे उपहास के रूप में भले ही कुछ कहें या उनका स्वभाव है कभी-कभी सदन को हंसाने का, उस भाव से वह भले ही कुछ कहें, लेकिन उन्हें शिक्षा के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है और उसका प्रतीक वही विधेयक था जो सदन के सम्मुख पहले मूल रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस समय इस शर्त को रखा गया था।

श्रीमन्, मैं इन आधारों के बल पर प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें और यदि न स्वीकार कर सकें तो वे तर्क बताएं जिनसे उनके लिए कोई दिक्कत पड़ती हो इसके स्वीकार करने से। यदि वास्तव में ऐसी कोई कठिनाई हो तो नत मस्तक होकर मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। लेकिन, जितना मैं सोच सकता हूं, मेरा निश्चित मत और विश्वास है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से जो उनका उद्देश्य है वह और अधिक बढ़ सकेगा और भविष्य के लिए एक अच्छा उदाहरण रखेंगे। आज से २० वर्ष, २५ वर्ष बाद जब हमारी भावी सन्तानें इस बिल को देखेंगी तो समझेंगी कि एक आवश्यक शर्त लगायी गयी थी।

श्रीमन्, एक बात और कही जा सकती है और शायद कही जायगी कि जनता जनार्दन इतनी बड़ी चीज है, जिसको दो लाख, चार लाख जनता का विश्वास प्राप्त है उसके लिए हम कोई और शर्त रखें यह कहां तक उचित है। मैं केवल इतना इसके जवाब में निवेदन करूंगा कि हर बालिग को मताधिकार है जिसकी आयु २१ साल की है। लेकिन आपने इसी विधेयक में ३० साल की आयु रखी है। वह इसलिये कि आप यह समझते थे कि चाहे हर एक आदमी को मताधिकार हो लेकिन मेयर के उत्तरदायित्वपूर्ण, महत्वपूर्ण ओहदे को संभालने के लिए यह आवश्यक है कि वह परिपक्व अनुभव उसके पीछे होना चाहिए जो ९ वर्ष उसको दे सकते हैं। इसलिए २१ वर्ष को हटा कर ३० वर्ष की न्यूनतम अवस्था की शर्त रखी गयी। यह सिद्धान्त आप स्वीकार कर चुके कि जनता को आपको कोई न कोई एक रास्ते पर, एक मोड़ पर लाना है। उसके बाद स्वतन्त्रता देनी है।

आपने इसी धारा में एक दूसरी शर्त रखी कि दो कंजीम्यूटिव टर्म्स के बाद तीसरी बार एलेजिबिल नहीं होगा। क्यों आपने रखा? जिस आदमी को दो बार जनता का विश्वास प्राप्त हो सका वह और भी अच्छा आदमी हो गया।

जब ये शर्तें आप वहीं पर लगा चुके हैं तो इस शर्त में क्या दिक्कत है? वही सिद्धान्त है। आप चाहते हैं कि जनता को कहीं मोड़ दें, उसके आप्शन पर कहीं ब्रेक लगाएं, वहां आपने लगाया है और मैं समझता हूं कि लगाना चाहिए। जनतन्त्र के मानी यह नहीं हैं कि जनता के आप्शन को बिल्कुल खुला छोड़ दें। हमें उसको एक रास्ते की तरफ मोड़ना पड़ेगा और इनीशियल ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे उस जनतन्त्र प्रणाली को सफल बनाने के लिए जब आपने ऐसी शर्तें लगायी हैं जो मेरे उस सिद्धान्त का समर्थन करती हैं तो इसी तरह मैं यह प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस शर्त को जिसको उन्होंने स्वयं प्रस्तुत किया था, किसी दूसरे रूप में सही, उस पर विचार करने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ लहरी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जगदीशशरण जी ने जो खंड ११ में नया उपखंड (५) जोड़ने का संशोधन प्रस्तुत किया है मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन के पढ़ने के बाद मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गयी कि एक चित्रकार ने एक चित्र तैयार किया जिसमें दिखाया गया था कि एक शेर की छाती पर बैठा हुआ एक मानव शेर के मुंह पर धड़ाधड़ चांटे मार रहा है। जब वह चित्र एक शेर के सामने प्रस्तुत किया गया तो शेर ने यह कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस चित्र को किसी मानव ने तैयार किया है। जब शेर से पूछा गया कि आपने किस तरह से महसूस किया कि किसी मानव ने तैयार किया है तो शेर ने यह उत्तर दिया कि यदि यह चित्र किसी शेर द्वारा बनाया गया होता तो शेर के मुंह में मानव की खोपड़ी होती। वही कहानी बिलकुल जगदीशशरण जी की है। स्वयं ग्रेजुएट होने के नाते वह अपनी सारी सुविधाएं अपने वर्ग के लिए सीमित रखना चाहते हैं।

यदि आम जनता में यह संशोधन रखा जाय तो शायद पता लगे कि आम जनता की इसके विपरीत कैसी धारणा है। वास्तव में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने जो अपनी पंचवटी नामक पुस्तक में नारी के विषय में लिखते हुये जो लिखा है वह सही ही है। उसमें लिखा है कि "नर कृत शास्त्रों के सब बन्धन हैं नारी ही को लेकर, अपने लिये सभी सुविधायें पहले ही कर बैठे नर"। तो नारी का पाठ लेकर राष्ट्रकवि ने नर के ऊपर ही यह चोट की है। हमारे जितने शास्त्र बने हुये हैं यदि उनका अवलोकन किया जाय तो नारी के ऊपर अनेक बन्धन लगाये गये हैं जब कि पुरुषों के ऊपर कोई बन्धन नहीं है और उनको स्वतन्त्र किया गया है।

आज इस कानून में भी ग्रेजुएट का सहारा लिया जा रहा है। पता नहीं आज क्यों जनता जनार्दन के सामने यह ग्रेजुएट हिचकिचाते हैं और उनके अधिकारों को इस कानून के द्वारा सीमित करना चाहते हैं जो संविधान के अन्दर प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिये गये हैं। भारतीय संविधान हर बालिग भारतीय को इस बात का अवसर प्रदान करता है कि वह भारत के जनतन्त्र के शासन में अपना सहयोग दे। यदि एक नागरिक को जनता का विश्वास प्राप्त

[श्री जगन्नाथ लहरी]

है तो वह ऊंचे से ऊंचा अधिकारी इस देश में बन सकता है। आज उसी का यह नतीजा है कि हमारे शासन की इकाइयों में चाहे वह ग्राम पंचायत हो, लोकल बाडीज़ हो, विधान सभा हो या संसद हो उनमें बिना किसी योग्यता की सीमा निर्धारित किये हुये, सब नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि जनता का सम्मान प्राप्त करने के बाद निर्वाचित होकर आ सकते हैं।

भाई जगदीश शरण जी की पार्टी देश की सब से बड़ी पार्टी है जो शासन करती है। सब से बड़ी इसलिये कहता हूं कि अब से १ १/२ साल पहले सारे देश में आपकी पार्टी का शासन था लेकिन अब इस देश के एक प्रान्त में दूसरी पार्टी का शासन स्थापित हो चुका है। इसलिये यहां पर दो पार्टी ही शासन करने वाली हैं। उसमें सब से बड़ी आपकी पार्टी है। क्या आपने कभी कांग्रेस पार्टी के उन विधायकों की तरफ निगाह दौड़ाई है? क्या आपने इस प्रदेश के और देश के उन शासन करने वाले मंत्रियों की योग्यता पर विचार किया है कि उनमें से कितने ग्रेजुएट हैं। यदि बिना ग्रेजुएट हुये आपके साथी प्रदेश का शासन चला सकते हैं और देश और प्रदेश के शासन का संचालन अच्छी तरह से कर सकते हैं तो क्या अब भारत माता ऐसी निपती हो गयी है कि अब वह ऐसे लालों को जन्म नहीं दे सकती कि जो बिना ग्रेजुएट हुये इन कारपोरेशन्स का संचालन कर सकें? यह मानवता के ऊपर बड़ा भारी कलंक है कि इस प्रकार से उसको योग्यता से बांध दिया जाय। मैं पूछता हूं कि महाकवि तुलसीदास, महाकवि सूर क्या ग्रेजुएट थे? यह हो सकता है कि महाकवि सूर और महाकवि तुलसीदास जी किसी विद्यालय में पढ़े हों लेकिन क्या कोई बता सकता है कि जिन कबीर की कवितायें एम०ए० की क्लास में पढ़ाई जाती हैं उन कबीर ने किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी या किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी? उन महाकवि सूर, तुलसी और कबीर की अनुपम देन इस देश के लिये सदैव स्मरणीय रहेगी जब तक कि इस भारतभूमि पर एक भी भारतीय जीवित रहेगा और जब तक भारतीय संस्कृति बाकी रहेगी तब तक उनका नाम याद किया जाता रहेगा। इस देश में कवि कालिदास, तुलसी और सूर का नाम, जो किसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं थे, सदैव अमर रहेगा। उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की थी बल्कि अपनी योग्यता के द्वारा भारत को यह बहुमूल्य देन प्रदान की। हो सकता है कि भाई ज़गदीश शरण जी यह कहने लगें कि यह साहित्य की रचना है। इसका निर्माण बिना किसी डिग्री के भी हो सकता है लेकिन नगर निगम के लिये हम एक शासक की मांग कर रह ह। इसक लिय आवश्यकता है कि वह व्यक्ति ग्रेजुएट ही हो ताकि वह कानून को पढ़ सके। माननीय जगदीश शरण जी को इतिहास का अच्छा ज्ञान है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सम्राट अकबर ने किस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की थी अथवा किस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को अपना अधिक समय युद्ध क्षेत्र में व्यतीत करना पड़ा और शेरशाह सूरी के मुकाबिले में उसको भारत छोड़ कर भागना भी पड़ा। उसके बाद हुमायूं ने भारत पर फिर शासन स्थापित किया लेकिन भाइयों के विरोध के कारण अकबर की शिक्षा का वह कोई प्रबंध न कर सका और उस के अन्त के बाद अकबर को शासन का काम हाथ में लेना पड़ा। तो अकबर ने किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त की। लेकिन क्या आप बतला सकते हैं कि उसका शासन कितना दूषित था? उसमें क्या खामियां थीं? मैं यह कह सकता हूं कि यदि उस समय सदियों के बाद भारत को कोई योग्य शासक मिला था तो वह मुगल सम्राट अकबर था। उसने न कोई डिग्री प्राप्त की थी और न किसी स्कूल में शिक्षा लेकिन उसने शासन का सफल संचालन किया। वह एक ग्रेजुएट की योग्यता नहीं वरन् एक बे पढ़े-लिखे व्यक्ति की योग्यता थी जिसने उसे अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा उसे प्राप्त किया था। खैर, छोड़िये। आज प्रचार और प्रोपेगेंडा का युग है। इसी से हम देश विदेश पर शासन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज के समाचार-पत्र प्रोपेगेंडा का बड़ा साधन हैं और उनकी एक एक लाइन पर देश और विदेश के राजनीतिज्ञ चकरा जाते हैं। उसका सम्पादक अपने एडेटोरियल में देश के बड़े से बड़े नेता, विद्वान अथवा कलाकार पर अपनी कलम चला सकता है और उस पर उसे पढ़ने और सोचने पर

विवश होना पड़ता है। मैं भाई जगदीश शरण जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर भारत के प्रमुख अंग्रेजी पत्र लीडर के एडीटर सी० वाई० चिन्तामणि किस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त किये हुये थे? वे केवल हाई स्कूल थे और उनके पत्र की हर लाइन पर अंग्रेजों के जमाने में भी शासकों और नेताओं को भी सोचने के लिये विवश होना पड़ता था। वह यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं थे। लेकिन आज प्रदेश के एक कोने में पड़े हुये छोटे शहरों के लिये, कारपोरेशन के लिये आज आवश्यकता इस बात की आन पड़ी है कि हम उस के लिये ग्रेजुएट मेयर तलाश करें। आप स्पष्ट शब्दों में यह क्यों नहीं कहना चाहते कि हम मेयर का निर्वाचन चन्द व्यक्तियों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भारत के संविधान के अनुसार यहां के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार का प्रयोग करने का अवसर दिया जाय। उसको रोकने के लिये जब कोई अन्य साधन नहीं है तो आप ग्रेजुएट की डिग्री का अड़ंगा लगा कर उन्हें उनके नागरिक अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं।

सरकारी अधिकारियों की कुछ श्रेणियों के लिये इस ग्रेजुएट की डिग्री का होना अनिवार्य था, लेकिन मैं भाई जगदीशशरण जी को उन्हीं की पार्टी और भारत के जन-जन के नायक पं० जवाहरलाल नेहरू के उस बयान की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जो उन्होंने अभी एक सप्ताह पहले दिया है कि अब उन्होंने अपर डिवीजन क्लर्क्स और दूसरी इसी प्रकार की सेवाओं के लिये यूनिवर्सिटी की डिग्री की आवश्यकता को ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा है कि हर योग्य व्यक्ति बिना किसी डिग्री के प्राप्त किये हुये ऐसे स्थानों पर नियुक्त और निर्वाचित किया जाय। आज भारत के राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू इन डिग्रियों के जाल से अपने उन कर्मचारियों को मुक्त करना चाहते हैं जिनकी सेवाओं के लिये डिग्री अभी तक अनिवार्य थी। लेकिन वाह री यू० पी० असेम्बली, यहां के सदस्य, अपने प्रदेश के ५ नगरों के मेयर के चुनाव के लिये एक ऐसी सीमा और मर्यादा बांधना चाहते हैं ताकि उसके निर्वाचन में हर व्यक्ति हिस्सा न ले सके। यदि इसके लिये योग्यता ग्रेजुएट की अवश्यम्भावी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आज के ग्रेजुएट की योग्यता का भी कभी परिचय लिया है। मैं ग्रेजुएट नहीं हूं। मेरी शिक्षा केवल हाई स्कूल तक ही है। लेकिन एम० एल० ए० के निर्वाचन होने के बाद, जब कि जनता की वोटों के द्वारा मैं उसका प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, उसके बाद मेरे पास हर दिन अनेक व्यक्ति कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिये, सर्टीफिकेट्स एटेस्ट कराने के लिये, आया करते हैं। अनेक प्रकार के प्रार्थना-पत्र आते हैं। १,२ नहीं, मैं आपको, मेरे साथ चलें, सैकड़ों गल्तियां उन ग्रेजुएट्स की ऐसी बता सकता हूं कि जो मुझे हाई स्कूल पास ने पकड़ीं। वे आज अपने सर्टीफिकेट्स की एक सही नकल भी नहीं कर सकते। सरकारी फार्मों को कैन्डीडेट्स को अपने हाथ से भरना होता है और जिनमें करीब १ महीना तक भरने की अवधि दी जाती है उन्हें भी आज का ग्रेजुएट सही तरीके से नहीं भर सकता है। अगर आप बुरा न मानें, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका ग्रेजुएट मामूली हिसाब भी नहीं लगा सकता है।

अभी पिछले दिनों, फीरोजाबाद म्युनिसिपैलिटी के लिये दो असेसमेंट अफसरों की आवश्यकता थी और उसके लिये ग्रेजुएट की कैद थी। अनेक ग्रेजुएट इन्टरव्यू के लिये आये। फीरोजाबाद म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने उनके सामने कुछ लिखित प्रश्न रखे। उन्होंने पूछा कि सवा छः परसेंट के हिसाब से जिस मकान का किराया १९ रुपये माहवार हो उसका असेसमेंट कितना होगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जितने भी ग्रेजुएट्स आये उनमें से केवल दो ही इस प्रश्न का सही उत्तर दे सके। हमारे चेयरमैन साहेब सिर्फ सातवीं क्लास तक पढ़े हुये हैं। उन्होंने ग्रेजुएट्स से कहा कि आप मुझे प्रार्थना पत्र दीजिये जिसमें यह दिखाइये कि आप चुंगी के कर्मचारी की हैसियत से एक हफ्ते की छुट्टी चाहते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि फीरोजाबाद म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने एक एक प्रार्थना पत्र में ३२,३२ गल्तियां निकालीं। मैं यह एक वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूं। जिस तरह से भी हुआ, तिकड़म से, धोखे से, जाल साजी से, नकल से या एग्जामिनर तक पहुंच करके आज ग्रेजुएट बनना ही हमारा लक्ष्य रह गया है। लेकिन उनकी योग्यता क्या है, यह कभी पब्लिक सर्विस कमीशनों की रिपोर्ट बताती हैं जो प्रकाशित होती रहती हैं कि भारत का ग्रेजएट आज यह भी नहीं जानता है कि भारत

[श्री जगन्नाथ लहरी]

का रक्षा मंत्री कौन है । ऐसे ग्रेजुएट्स के लिये आप मेयर का निर्वाचन सीमित करना चाहते हैं । मैं नहीं समझता कि आज का ग्रेजएट इतनी परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है, उसका ज्ञान इतनी उच्च श्रेणी का हो गया है, कि वही मेयर के कार्य का सफल संचालन कर सकता है । क्या जगदीशशरण जी बता सकते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में कोआपरेशन के संचालन की शिक्षा दी जाती है ? मिलिटरी की क्षिक्षा दी जा सकती है, पुलिस की भी वहां वह अपने ढंग से शिक्षा देते हैं। पी० सी० एस० और आई० ए० एस० वालों को भी उनके बाद की शिक्षा दी जाती है, परन्तु यूनिवर्सिटी में फिलासफी, इकोनामिकस, कामर्स वगैरह की शिक्षा दी जाती है, लेकिन मैंने यह नहीं सुना और शायद जगदीशशरण जी को भी इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि भारत की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां मेयर की हैसियत से कारपोरेशन का संचालन करने की शिक्षा दी जाती हो ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें बताना चाहता हूं ....

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं बोल रहा हूं, वह कैसे खड़े हो सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—(श्री महावीर प्रसाद शुक्ल से) वह ईल्ड नहीं कर रहे हैं, आप कृपया बैठ जावें ।

श्री जगन्नाथ लहरी—यदि हम भारत के संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं कर सकते । भारत के संविधान में जब मिनिस्टर, एम० एल० ए० और एम० पी० के लिय भी कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो एक शहर के मेयर के लिये ग्रेजुएट होने की सीमा किस प्रकार निर्धारित की जा सकती है ? यह सरासर भारत के संविधान का उल्लंघन है । मैं समझता हूं कि जगदीश शरण जी ने इस सदन में भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की है, कसम ली है, तो वह भारत के संविधान के विरुद्ध कोई इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत नहीं करेंगे । उन्हें अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिये ।

जहां मैंने भारत के संविधान की प्रतिष्ठा करने की मांग की वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पूर्व जब हमारे सामने पंचायत राज्य विधेयक प्रस्तुत हुआ तो उसमें संशोधन रखा गया कि पंचायत का कोई भी सदस्य अन्धा मनुष्य नहीं हो सकेगा । उस समय भी मैंने कहा था कि भारत की पार्लियामेंट में एक अंधा आदमी सदस्य हो सकता है लेकिन जनतंत्र की सबसे छोटी इकाई का सदस्य एक अन्धा नहीं हो सकता, इससे बड़ी जनतंत्र की कोई हानि नहीं हो सकती । किससे छिपा हुआ है कि आज श्री साधन गुप्ता जैसा अन्धा बैरिस्टर की योग्यता रखने वाला व्यक्ति है ? आज जब कि इतन पेटीशन्स चल रहे हैं, हम विधान सभा और संसद के सदस्यों को एक अन्धे एम० पी० के सामने, उसकी योग्यता के सामने, सिर झुकाना पड़ता है । जो उसे पक्ष में या विपक्ष में कर देता है । इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, जैसी मैंने पहले मिसाल दी कि साहित्य के क्षेत्र में महाकवि तुलसी, सूर, कबीर, और कालिदास जैसे व्यक्ति बिना किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लिये हुये वह ज्ञान दे सकते हैं जिनके लिखे हुए साहित्य का अर्थ करने के लिये आज ग्रेजुएट भी क्षमता नहीं रखते और तरह-तरह के अर्थ किये जाते हैं, बिना किसी स्कूल में शिक्षा पाये हुए अकबर जैसे शासक हो सकते हैं, तो क्या भारत में नगर निगम का संचालन करने के लिये भारतीयों में योग्यता शेष नहीं रह गई है ?

मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरे कुछ साथी मेरी बातों का उत्तर देने के लिये काफी उतावले हो रहे हैं, इसलिये मैं अपने भाषण को समाप्त करके उपाध्यक्ष महोदय, बैठे जाता हूं लेकिन मैं जगदीशशरण जी से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि वे अपने अन्तःकरण से

प्रेरणा लेने की कृपा करें और सोचें कि कहां तक उनका संशोधन युक्तिसंगत है। अच्छा यही है कि वह अपने संशोधन को वापस लेने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—श्री बंसलजी, आपका संशोधन जगदीशशरण जी के संशोधन जैसा है। आप बोलें लेकिन उसे पेश न करें।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—श्रीमन्, माननीय लहरी जी के भाषण को सुनने के बाद तो मेरा विचार और भी पुष्ट हो गया कि माननीय जगदीशशरण जी के संशोधन को स्वीकार किया जाय। माननीय लहरी जी ने भारत के संविधान की दुहाई दी। लेकिन भारत के संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक निवासी की शिक्षा का प्रबन्ध सरकार करेगी, शायद उस अनुच्छेद को लहरी जी ने नहीं पढ़ा तभी आपने कहा कि यदि ग्रेजुएट का ही चुनाव मेयर के लिये होगा तो सेलेक्शन लिमिटेड हो जायगा, यह ठीक नहीं है। भारत के संविधान में तो यह है कि लोगों को शिक्षा दी जायगी और वह दिनों दिन बढ़ती ही जायेगी और एक समय ऐसा आयेगा जब कि हर एक आदमी ग्रेजुएट होगा। इसलिये यह कहना कि भारतीय संविधान का इसमें उल्लंघन है, गलत है। श्रीमन्, अगर भारतीय संविधान का यही अर्थ होता तो किसी भी मैसन को चीफ इंजीनियर बना दिया जाता, किसी भी गांव के हकीम को सिविल सर्जन बना दिया जाता, लेकिन किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की जगह के लिये कोई स्पेशल क्वालीफिकेशन की आवश्यकता होती है।

यह सही है कि क्रान्ति मासेज ही करते हैं लेकिन उसके बाद देश का शासन प्रबंध बुद्धिजीवी और इंटेलीजेंशिया के द्वारा ही होता है। किसी भी देश में आप देखेंगे कि मासेज ने क्रान्ति की है और एडमिनिस्ट्रेशन किया है इंटेलीजेंशिया ने। अगर भारत सरकार के मिनिस्टरों की गणना की जाय या यू० पी० के मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की गणना की जाय तो आपको मालूम हो जायगा कि कितन उनमें ग्रजुएट हैं और कितने अन्डर ग्रेजुएट। मेयर को उन सर्विसेज पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है जो पढ़ लिख कर आते हैं और अपने विषय के ग्रेजुएट होते हैं; कोई मेडीसिन का ग्रेजुएट होता है तो कोई इंजीनियरिंग का। मेयर को इन सब लोगों से काम लेना है। क्या यह अच्छा मालूम होगा कि हमारा मेयर अकबर की तरह से अनपढ़ हो? क्या अकबर को जनता ने चुना था? उसके पास शक्ति थी, वह हुमायूं का बेटा था और उसके पास मिलिटरी की पावर थी इसलिय वह राजा बन बैठा था। क्या माननीय लहरी जी उस वक्त को फिर से हिन्दोस्तान में लाना चाहत हैं? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह समय आने वाला नहीं है। अकबर का समय १६वीं शताब्दि का था और अब २०वीं शताब्दि है यह सोलहवीं शताब्दि की बात २०वीं शताब्दि में लागू नहीं हो सकती।

माननीय मंत्री जी, जिन्होंने इस बिल को पेश किया है, ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के डिस्कशन के बाद शायद उन्होंने अपनी राय को बदल दिया है क्योंकि इसी बिल में एल्डरमैन के लिये इंटरमीडियेट की शर्त रखी गयी थी, उस समय उनकी यही धारणा रही होगी कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिये तभी शासन सुचारु रूप से चल सकेगा और जनता में जो भ्रम रहता है कि बिना पढ़े लिखे आदमी शासन करते हैं और सर्विसेज के लोग उनको बेवकूफ बनाते हैं, वह भी दूर हो जायगा। इसलिये यह जो प्रावीजन इसमें रखा गया था वह बिलकुल संविधान की धाराओं के अनकूल ही था।

आज अगर यह बात मान ली जाय कि हर एक आदमी को हर कुछ बनने का अधिकार है तो फिर सर्विसेज के लिये यह शर्त क्यों रखी जाती है कि अमुक सर्विस के लिये ला ग्रेजुएट, अमुक के लिये इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट, और अमुक के लिये मेडिकल ग्रेजुएट की आवश्यकता है और जिस शख्स के लायक जो जगह होती है उसको वही सुपुर्द की जाती है। कबाल टाउन्स के मेयर की जगह बहुत ही जिम्मेदारी की जगह है। उसको १–२ करोड़ रुपये के बजट को संभालना होगा और लाखों की जनता की सेवा करनी होगी। क्या आप समझते हैं कि बिना पढ़ा लिखा आदमी इस काम को कर सकता है?

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

बहुत दिनों की बात है कि आगरा म्युनिसिपैलिटी में वाटर वर्कस के नलों में प्रेशर बहुत कम हो गया था ऊंची जगहों पर पानी नहीं पहुंचता था। लेकिन जब वहां के चेयरमैन वाटर वर्कस का मुआयना करने के लिये गये तो इंजीनियर ने वहां एक ऐसा वाल्व (valve) लगा दिया जिससे प्रेशर बढ़ गया और उनसे कह दिया गया कि जनता के लोग तो झूठी शिकायत करते हैं और इस पर उन्होंने वक्तव्य भी दे दिया। क्या ऐसे आदमियों को मेयर बनाना उचित होगा कि जिनको सर्विसेज गुमराह कर दें? तो फिर यह संशोधन जो माननीय जगदीशशरण जी ने पेश किया है वह बिलकुल संगत है और वक्त को देखते हुए बिलकुल मुनासिब भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि कारपोरेशन का ऐडमिनिस्ट्रेशन सुयोग्य व्यक्ति के हाथों में हो। माननीय मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा कि कुछ गदहे भी एम० ए० हो जाते हैं, यह सही है, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि जो एम० ए० नहीं होते वे गदहे नहीं होते। लेकिन एक बात बड़ी बेइंसाफी की मालूम होती है कि जब वे यहां इस सदन में मौजूद नहीं हैं तो उनके खिलाफ इस सदन में इस तरह के आरोप लगाये जायं। गदहे की भी हमारे यहां बड़ी वकत रही है। हजरत ईसामसीह की सेवा में भी गदहा रहता था और इसी तरह से हमारे यहां की देवी जो शीतला है उनका वाहन भी गदहा ही है। तो यह कहना कि गदहा एक बहुत बुरा जानवर है, सही नहीं होगा। सवाल तो सिर्फ यह है कि जब एक पढ़ा लिखा भी गदहा हो सकता है और बेपढ़ा लिखा भी गदहा हो सकता ह तो बेपढ़े लिखे गदहे से पढ़ा सिखा गदहा अच्छा ही होगा। इन अल्फाज के साथ मैं माननीय जगदीश शरण जी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत अमेंडमेंट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि जिन्होंने भारत वर्ष के संविधान को पढ़ने का प्रयास किया है और उसे थोड़ी बहुत समझने की भी कोशिश की है वे फौरन समझ जायेंगे कि जब एम० एल० ए० होने के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जब चीफ मिनिस्टर होने के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसके कन्धे पर ६, साढ़े ६ करोड़, ८ करोड़ या १० करोड़ जनता का बोझ रहता है और जिसको वह हमेशा उठाने के लिये तैयार रहता है, जब एम० पी० के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वह ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या प्राइम मिनिस्टर के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके कन्धे पर ३६ करोड़ भारतवर्ष की जनता का बोझ है और उसको चलाने के लिये वह काबिल समझा जाता है तो, मैं समझता हूं कि इस तरह का अमेंडमेंट जो इस सदन में पेश हुआ है उचित नहीं ह। क्योंकि इसका नतीजा आगे चल कर यह भी हो सकता है कि एक दूसरा अमेंडमेंट इस तरह का भी आ सकता है इसी सदन में कि, एम० एल० एज० के लिये भी क्वालिफिकेशन रखने की जरूरत है और मिनिस्टरों के लिये पब्लिक सर्विश कमीशन द्वारा इंटरव्यू होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे सारे हिन्दुस्तान में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज से लेकर मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर तक जितने लोग हैं या जितने पब्लिक सेवाओं में हैं, उनमें कितने ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं? जिन्होंने वह किताब पढ़ी है, "ग्रेट सोल्स आफ दि वर्ल्ड", "ग्लैक्सी आफ दि माइटी माइंड आफ दि वर्ल्ड" उनको मालूम होगा कि जितने भी विद्वान हैं उन्होंने किसी स्कूल का, कालेज का दरवाजा नहीं देखा, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी का दरवाजा तक नहीं देखा। संसार के जितने पार्लियामेंटेरियन हुए हैं, बड़े बड़े ऐडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं, वे किसी कालेज या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे और आज कल हमारे भारतवर्ष में जिस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जहां के ग्रेजुएट सरकार से घृणा करने में अपना स्वाभिमान समझते हैं, ऐसी शिक्षा दीक्षा वाले ग्रेजुएट क्या किसी ऐडमिनिस्ट्रेशन को सफलता के साथ चला सकते हैं? मैं समझता हूं कि उनकी काबलियत में हमें सन्देह ही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा सोच समझ कर एक बुद्धिमान आदमी की तरह इस प्रकार का प्रतिबन्ध पहले ही इस विधेयक के

अन्दर रखा। यह हो सकता है कि हर किसी के दिमाग में बहुत दिनों से यह बात चक्कर काटती हो लेकिन जब हमें भारतवर्ष के संविधान के अन्दर रह कर आगे चलना है तो "दिस वे आफ थिंकिंग इज अनडेमोक्रेटिव" यह अमेंडमेंट ही अनडेमोक्रेटिव नहीं है। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारे लायक दोस्त अपने अमेंडमेंट को वापस ले लें। उसमें कोई तथ्य नहीं है। वह अमेंडमेंट खोखला है। वह अमेंडमेंट दुनिया के तजुर्बे से खाली है। वह अमेंडमेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ है और उसकी स्पिरिट को बहुत गहरा आघात पहुंचाता है। ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इस अमेंडमेंट को लाना भी मोस्ट अनडेमोक्रेटिक मालूम पड़ता है। मैं समझता हूं कि बुद्धिमानी इसी में है कि उसको सही सलामती से अगर महफूज वापस ले लिया जाय तो बड़ा अच्छा हो।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज यह जो योग्यता का प्रतिबन्ध जनतंत्र के समय में लगाने की बात कही गई है वह कुछ समझ में नहीं आयी। इसलिये अगर कार्य को चलाने के लिये जनता चुनती है तो क्या वह योग्य व्यक्ति को पहचानती नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जनता स्वयं उस व्यक्ति को पहचान लेती है कि जहां पर हम इसे भेंजेगे वहां यह अपने कार्य का सम्पादन भली प्रकार कर सकेगा या नहीं। वह सब समझ लेती है और ऐसे ही व्यक्तियों को वह अपना प्रतिनिधि चुन कर के भेजती है।

जहां तक परीक्षा का सवाल है और विशेष तरह की परीक्षाओं का सवाल है, वह सवाल अलग है। उसके लिये एक विशेष प्रकार की शिक्षा, जैसा अभी कहा गया इंजीनियरिंग के लिये या और किसी चीज की परीक्षा के लिये, तो उसका सवाल बिलकुल अलग है और उसको इससे मिलाना उचित न होगा। हमारे यहां पर बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा हो गए हैं। ठाकुर रवीन्द्र नाथ टैगोर, जिनकी कवितायें विश्व में मशहूर हैं और यही नहीं उनकी कवितायें डिग्री क्लासेज में पढ़ायी जाती हैं क्या वह किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा पाये थे? शायद वह हाई स्कूल भी, अगर परीक्षा के विषय में देखा जाय तो, पास नहीं थे। लेकिन उनका ज्ञान कितना बढ़ा चढ़ा था, कितने उच्च कोटि के विद्वान थे, विश्व के इने गिने विद्वानों में माने जाते थे। तो जहां इस हिन्दुस्तान के अन्दर इतने उच्च कोटि के विद्वान हो चुके हों और होते रहते हों वहां वह सोचा जाय कि बगैर डिग्री प्राप्त किये हुए किसी व्यक्ति के अन्दर ज्ञान आ ही नहीं सकता कि वह शासन चला सके, ऐसा सोचना मैं समझता हूं कि गलत है। शासन करने की योग्यता अलग है, शिक्षा अपने स्थान पर है। शिक्षा होनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि शिक्षा बिलकुल न हो। जो अंगूठा लगाता हो उसे बना दिया जाय, ऐसा नहीं है और शायद उम्मीदवार को चुनने के लिये खड़ा करने में भी ऐसी बात नहीं है कि जो अंगूठा लगाता हो वह खड़ा हो सकता हो, ऐसी बात तो है भी नहीं। उसमें यह बात साफ हो जाती ह कि जो व्यक्ति अपना हस्ताक्षर कर सकता हो, लिख पढ़ सकता हो, वह खड़ा हो सकता है। यह तो खड़े होने के लिये है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं तो यह समझता हूं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं पाये होते, थोड़ी सी शिक्षा पाये हुए होते हैं। लेकिन उनके अन्दर इतना अनुभव होता है, इतना ज्ञान वह अपने आप प्राप्त कर लेते हैं कि वह किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा पास कर लेने से अधिक योग्यता रखते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता उनसे कहीं अधिक देखने में आयी है।

इन दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए मैं यह उचित समझता हूं कि, जैसा इसमें यह प्राविजन नहीं था कि कोई विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त किये हुए हो वही खड़ा हो सकेगा, ऐसी इसमें कोई बन्दिश नहीं थी, मैं समझता हूं कि वह ठीक था। इस प्रकार की बन्दिश नहीं होनी चाहिये। अगर इस प्रकार की बन्दिश रही तो बहुत से योग्य व्यक्ति जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वैसे वह कार्य करने में बहुत ही कुशल हैं, बहुत ही अच्छे शासक साबित हो सकते हैं, वह रह जायेंगे। मैं जानता हूं कि ऐसे व्यक्तियों का आना बहुत ही

[श्री मुरलीधर कुरील]

आवश्यक है जो जनता के बीच में काम करने में कुशल हैं, जिनको जनता प्रिय समझती है और जिन्हें अपना नेता बना कर शासन में कुशल समझ कर, शासन का भार सौंपना चाहती है, उनको भी मौका मिलना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अगर वापस हो जाय तो अति उत्तम होगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ने पेश किया है उसके पीछे जो उनकी मंशा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। यहां जो अब तक भाषण हुए उसमें कुछ वर्गीकरण की बात आयी, वर्ग संघर्ष की बात भी आयी। मेरे मित्र माननीय जगन्नाथ लहरी जी ने फरमाया कि चूंकि इत्तफाक से माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ग्रेजुएट हैं लिहाजा वह यह चाहते हैं कि मेयरशिप ग्रेजुएट्स तक सीमित हो जाय। मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी को आपत्ति न हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे मित्र हाई स्कूल पास हैं, कम से कम उनका पूरा लिहाज रखते हुए उनसे दरख्वास्त कर सकता हूं कि इसमें बजाय ग्रेजुएट के हाई स्कूल कर दें ताकि कम से कम जो आगरे में कारपोरेशन बने उसमें मेरे भाई को वंचित होने का मौका न मिले। बहुत मिसालें दी गईं, तुलसी दास जी, सूरदास जी, कालिदास जी की बात कही गई, अकबर की बात भी कही गई, और हो सकता है कुछ हमारे दोस्त हिटलर और मसोलिनी की बात कह दें। अगर माननीय मंत्री जी को इस बात का विश्वास हो कि हमारे जो पांच मेयर बनने वाले हैं वे तुलसीदास जी तथा सूरदास जी की योग्यता के लोग होंगे तो मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी दरख्वास्त करूंगा माननीय जगदीशशरण जी से कि वह अपना संशोधन वापस ले लें। केवल भावनाओं से काम नहीं चलता। विधान की दुहाई दी गई। सही बात है, माननीय जवाहर लाल जी ने एक जगह कहा है कि जो विश्वविद्यालय की डिग्रीज का आकर्षण है उसको कम होना चाहिये। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि इल्लिट्रेट आदमियों को अपर डिवीजन में भेज दिया जाय। इंगलैंड में भी म्युनिसिपिल कमिश्नर्स का इम्तहान होता है और डिग्री की जरूरत नहीं होती है।

जहां तक एम० एल० एज० और एम० पीज० का सवाल है, सही बात है उनके लिये योग्यता का कोई सवाल नहीं रक्खा गया है। अगर याद हो माननीय सदस्यों को तो जिस समय पार्लियामेंट में इस टापिक पर डिबेट चल रही थी तो यह प्वाइंट उठाया गया था। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि चूंकि भारत की ८४,८५ फीसदी जनता अनपढ़ है लिहाजा ऐसा करना ठीक नहीं होगा कि सदस्यों के लिये कोई योग्यता रखी जाय जब कि हजारों एम० एल० एज० और एम० पीज० चुने जाने को थे। मगर यहां सवाल पांच मेयर्स का है। फिर अगर चुनाव की पद्धति डायरेक्ट होती तब कोई बात नहीं थी। इसीलिये हमने यह नहीं कहा कि काउन्सिलर, या एलडरमेन ग्रेजुएट हों। चूंकि मेयर का चुनाव इनडायरेक्ट है, जो काउन्सिलर चुन कर आयेंगे उनको अधिकार होगा कि एक आदमी को चुनें। लहरी जी ने किसी एक नगरपालिका की बात कही वहां कोई चेयरमैन साहब दर्जा ७ पास हैं और उन्होंने ग्रेजुएट की गलती निकाल दी। मैं ऐक्सेप्शन की बात नहीं कहता। मैं जनरल बात कहता हूं। मैं भी कुछ म्युनिसिपैलिटीज को जानता हूं जहां चेयरमैन साहब दर्जा ८ पास हैं और जब दस्तखत कर देते हैं तब पूछने पर कहते हैं कि हमारे ऐग्जीक्यूटिव अफसर ने कहा था इसलिये हमने दस्तखत कर दिये। तो हम ऐसे डमीज को नहीं चाहते। मैं मान सकता हूं कि हमारे यहां अनपढ़ से अनपढ़ आदमी मंत्री हो सकता है। मगर हर मंत्री अनपढ़ हो, ऐसी बात नहीं हो सकती। यह हो सकता है कि कुछ अनपढ़ आदमी जीनियस हो जायं, हालांकि जिनके नाम लिये गये वे अनपढ़ नहीं थे, उनके अन्दर और विद्वता थी। आपके यहां कितने ऐसे आदमी हैं? एक सदस्य ने ग्रेट सोल्स आफ दी वर्ल्ड का जिक्र किया। मैं कहता हूं कि ग्रेट मेयर्स आफ दी वर्ल्ड जैसी अगर ऐसी किताब निकले कि दुनिया में कितने मेयर्स हुए हैं तो मालूम हो कि कितने मेयर्स अनपढ़ थे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि दोनों तरफ से बातें कही जा सकती हैं और वह सही हैं।

यह भी कहा गया विधान का इसमें उल्लंघन होता है मैं अब तक यह नहीं समझा, हो सकता है मेरा संविधान का ज्ञान कुछ कम हो कि, अगर मेयर की क्वालिफिकेशन रखी जाती है तो कहां से विधान का उल्लंघन हो जाता है। हमारे माननीय मंत्री जी की काबलियत की बात कही गई सो मैं क्या हर आदमी तारीफ करेगा, क्योंकि शुरू में जब वह बिल को ड्राफ्ट करके लाये तो उन्होंने इन्टरमीडियेट की क्वालिफिकेशन मेयर के लिये रखी थी, उस वक्त जो योग्यता उनमें थी उसमें कोई कमी नहीं थी लेकिन बाद में सेलेक्ट कमेटी में जो तरमीम रखी गई है उससे उसमें कोई फर्क हो गया है ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसी बातें चलती ही हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी देख रहे हैं उनकी अपनी बात चले तो वह इसको मानने को तैयार हो जायेंगे और कोई न कोई योग्यता वह अवश्य रखने की बात पर गौर करेंगे। वह इस फेवर में भी नहीं हैं कि केवल अंगूठा टेक ही वहां जायं, कोई भी नहीं चाहेगा कि अंगूठा टेक ही वहां जाय और न जनता ही ऐसे आदमियों को वहां भेज सकती है। मैंने स्वयं एक आध बार अंगूठा भी लगाया है और साथ में नाम भी लिखा है, ऐसे ही कुछ लोग हिज्जे करके भी लिख सकते हैं...

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जेल में आपने अंगूठा लगाया होगा।

श्री नवलकिशोर—मुझको भी जेल की याद थी। अभी माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि वह कौन सा विश्वविद्यालय है कि जहां ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है? सो लखनऊ व इलाहाबाद में ऐसे कोर्स हैं। मैं नहीं कहता कि आप कोई खास क्वालिफिकेशन ही रखें, आप कुछ भी रखें लेकिन मेरा अपना मत है कि किसी तरह की ऐसी बात होनी चाहिये कि जो आदमी इस जिम्मेदारी के पद को सम्हाले वह कुछ शासन की हर बात को समझें।

इसमें दो प्रकार की पावर्स की बात है एक तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात और दूसरी पालिसी मेकिंग पावर की बात। तो इस तरह के काम के लिए एक आदमी ऐसा होना चाहिये जो कायदे कानून, हर चीज को समझ सके। यह ठीक है कि जिसको जनता का विश्वास प्राप्त हो उसे ऊंचे से ऊंचा पद मिलना चाहिये, लेकिन कभी-कभी ऊंचे से ऊंचे पद वाले को भी यदि वह योग्यता नहीं होती जो होनी चाहिये तब वह डमी साबित होते हैं और कहा जाता है कि वह तो नाम के लिये हैं और दूसरों के हाथ में खेलते हैं, इस तरह की मिसाल दी जाती हैं और दी जा सकती हैं।

मुझे केवल एक अपील आपके द्वारा करनी है कि मुझे कोई ग्रेजुएट के बारे में ही जिद्द नहीं है, आप हाई स्कूल भी रख सकते हैं लेकिन मेयर की जैसी जिम्मेदारी की जगह बनाने के बाद यह सम्भावना हो सकती है कि पांच कबाल टाउन्स में कोई अनपढ़ आदमी मेयर के स्थान पर आ जायं। आज भी बेपढ़े-लिखे टैगोर, कालिदास या तुलसीदास की तरह कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन सभी तो ऐसे नहीं होते। इसलिये यह मान कर चलना कि बगैर पढ़े लिखे भी होशियार हो सकते हैं, तो सैकड़ों वर्ष के इतिहास में एक कालिदास हुये, फिर तुलसी हुए फिर टैगोर हुये, हर एक बेपढ़ा तो होशियार नहीं हो जाता। तो इस तरह की भावना से काम नहीं चलता, श्री जगदीशशरण जी की सीधीसादी मन्शा है। वह चाहते हैं कि चूंकि कबाल टाउन्स में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं होगी इसलिये मेयर जो हेड होगा कार्पोरेशन का, वह ग्रेजुएट हो। मैं इतने दर्जे तक नहीं जाता। माननीय मंत्री जी यदि हाई स्कूल भी रख दें तो कोई जिद्द नहीं है कि ग्रेजुएट ही हो, परन्तु कोई न कोई शिक्षा का स्तर यहां पर अवश्य स्थापित होना चाहिये, जैसी कि उनकी मन्शा भी थी, तो अच्छा होगा।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, मैं तो इस बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, इस मामूली से संशोधन पर बहुत सी बात कही गईं, लेकिन मैं मौलिक रूप से इस संशोधन के विरोध में हूं। मैं समझता हूं कि जिन बातों को सोचकर हमारे इस अपढ़ देश में, हमारे संविधान में बड़ी से बड़ी जगहों के लिये ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया वहां पर आज हम इस छोटे से बिल में कुछ नगरों के प्रशासन के हेतु विश्वविद्यालयों की डिगरियों को इतना महत्वशाली बनायें यह उचित नहीं है।

[श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल]

हमारे भाई नवलकिशोर जी ने इस बात का तर्क दिया इस आशंका से कि अपढ़ आदमी या कम पढ़े लिखे आदमी बैठ जाते हैं तो बहुत सी गलतियां करते हैं, । वास्तव में हमारे संविधान में भी जहां यह प्रस्ताव था, जैसा उन्होंने अभी उल्लेख किया अपने भाषण में कि, कुछ शिक्षा की योग्यता का प्रतिबन्ध हमारे एम० एल० ए० और एम० पी० आदि के चुनाव के ऊपर लगाया जाय, वहां यही सोचकर नहीं लगाया गया कि यह तो हमारे चुनने वालों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इनमें इतनी क्षमता है कि वह यह समझ सकें कि उनके देश का, नगर का या राष्ट्र का शासन चलाने के लिए किस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि यह भी उम्मीदवार की योग्यता में एक अपेक्षाकृत गुण होगा, उनके सामने रखने के लिए कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी है और एक ज्यादा पढ़ा लिखा है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मान लेने से एक बड़ा अन्याय होगा। जहां इस बात की संभावना है कि कुछ कम पढ़े-लिखे आदमी, अयोग्य आदमी ऐसे स्थानों पर बैठ जायं और वह काम गड़बड़ हो सकता है, वहां इस बात की भी सम्भावना है कि विश्वविद्यालय में न गये हुए आदमी भी कुछ ऐसे प्रतिभाशाली और योग्य हो सकते हैं जो इस संशोधन के मान लेने पर उस पद से वंचित रह सकते हैं, बावजूद इसके कि जनता का उन्हें विश्वास प्राप्त है और वह क्षमता और योग्यतापूर्वक बहुत से विश्वविद्यालय के स्नातकों से ज्यादा अच्छी तरह से कार्य का संचालन कर सकते हैं। इसलिए संविधान में हमारे राष्ट्रपति के पद के लिए या मंत्रिगणों के पद के लिए यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।

जहां तक कि विशेष वर्गों की बात कही गयी और यह कहा गया कि इंजीनियर हैं और डाक्टर हैं, तो उनके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है, वह तो अलग चीज है। उनको तो विशेषता प्राप्त करनी ही होगी, लेकिन इंजीनियर बनाने के लिए उसमें और पूरा ज्ञान नहीं होगा तो बनाया नहीं जा सकता। यहां तो नीतियों का प्रश्न होता है। जनता वहां पर नीतियों के निर्धारण के लिए चुनती है। शासन का काम तो सर्विसेज किया करती हैं और सर्विसेज में विशेष योग्यताओं का प्रतिबन्ध सदैव से लगता आया और अब भी लग रहा है, हालांकि अब विचार हो रहा है कि हमारी जो बड़ी-बड़ी सेवाएं हैं उनके लिए विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की योग्यताओं का प्रतिबन्ध न हो, और अभी जो एक वक्तव्य का हवाला दिया गया और शायद वह केन्द्रीय सरकार का निश्चय होने वाला है जिसमें उच्च शिक्षा का प्रतिबन्ध कुछ सेवाओं पर से हटने वाला है। आप जानते हैं, हमारी आई० ए० एस० की सेवाओं के लिए योग्यता का प्रतिबन्ध इंटरमीडिएट है और हमारे प्रदेश में, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि बहुत पढ़े-लिखे साक्षर लोग भी नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि मनुष्य की प्रतिभा केवल विश्वविद्यालय में ही खिलती हो और विकसित होती हो, ऐसी बात नहीं है। विश्वविद्यालय न जाकर भी मनुष्य अधिक अनुभवी हो सकता है, अधिक ईमानदार हो सकता है, अधिक योग्य हो सकता है। इसलिए अगर इस संशोधन को मानते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का संहार होता है, उन्हें अपने उस अधिकार से वंचित रहना होगा जो संविधान ने दिया है। हमारे संविधान ने समता का सिद्धान्त स्वीकार किया है। जिस किसी हमारे विधायन से समता कुंठित होती हो उसको कदापि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

इसलिए मैं अधिक समय न लेकर अपने मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें, इसलिए कि बड़ी बड़ी जगहों में हमने इस संशोधन को नहीं प्रस्तुत किया, नगरों का शासन तो छोटा है, और हमको इस बात का विश्वास करना चाहिए कि उन नगरों की शिक्षित और सजग जनता ऐसे ही व्यक्तियों को चुनेगी जो उस पद के लिए उपयुक्त होंगे, योग्य होंगे। इसलिए हमको उन पर विश्वास करना चाहिए कि यह वह जनता है जिसने पिछले तीन आम चुनावों में सिद्ध किया है कि कहीं भी अयोग्य आदमियों को, अयोग्य पार्टी को अपना मतदान बहुमत से नहीं दिया है, इसलिये इस संशोधन को वापस लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--मैं देख रहा हूं कि काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये अब मैं पुनरावृत्ति की इजाजत नहीं दूंगा। नयी दलीलें आनी चाहिए। अगर वही बात दोहराई जायेगी तो मैं रोक दूंगा।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी जबर्दस्त क़ैद लगाई है। हम प्रयत्न कर रहे हैं, श्रीमन्, कि शिक्षा का प्रसार हमारे देश और प्रदेश में हो। शिक्षा का प्रसार हम क्यों चाहते हैं ? इसकी आवश्यकता हम समझते हैं या नहीं, उसके ऊपर क्यों इतना जोर है, क्यों इतना रुपया खर्च किया जाता है ? क्या हमारे मित्रगण या माननीय मंत्री यह कहने के लिये तैयार हैं कि चलने दो, अशिक्षित लोग भी बड़े अच्छे निकलते हैं, सूरदास, कबीर, तुलसी, अशोक, सभी तो निकले थे ? तो आप शिक्षा पर क्यों मरे जाते हैं ? ऐसा तर्क तो आज तक नहीं उपस्थित किया गया और कदाचत् यहां पर उपस्थित सदस्यगण यह न चाहेंगे कि बाहर यह टांका हो कि विरोधी दल का जब एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था तो कांग्रेस दल ने यह तय किया कि शिक्षित और आशक्षित समान हैं। हमें कुछ अपनी नीतियों का ध्यान रखना चाहिये।

श्रीमन्, हम मानते हैं कि अशिक्षित मंडली में भी बहुत ऊंचे-ऊंचे दर्जे के आदमी हुये किन्तु अगर उनकी एक सूची तैयार की जाय और दूसरी जो अशिक्षित लोग थे उनकी सूची तैयार की जाय तो मुझे यह सदन बताये कि आशक्षितों की ज्यादा संख्या होगी या शिक्षित वर्ग की। हो सकता है, जैसा मेरे मित्र ने कहा, कि एक गांव का जर्राह एक सिविल सर्जन से अच्छा आपरेशन करे, हो सकता है एक राज एक इंजीनियर से अच्छी कल्पना कर सके, किन्तु क्या यह नियम है या अपवाद ? मेरा निवेदन मंत्री महोदय से विशेष कर है कि इन अपवादों पर तो हम अपना कानून नहीं बना सकते हैं। हम जब कानून बनायेंगे तो यही सोचेंगे कि हमारी नीति यह है कि शिक्षा का प्रसार हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग पढ़ें लिखें और यहां हम चाहते हैं कि अशिक्षित भी मेयर हो जायं।

माननीय शुक्ल जी ने और अन्य सदस्यों ने यह अवश्य कहा है कि संविधान के ऊपर आघात होता है। मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि कोई व्यक्ति इस सदन में कृपा करके यह बता दे कि संविधान का यह कौन सा आर्टिकिल है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि संविधान पर आघात हो रहा है। संविधान में है कि सेक्स, रेलिजन, कास्ट, क्रीड, कलर, ये चीजें किसी तरह हमारे देश के रहने वालों के व्यापार और उनके कार्यक्रम में बाधक नहीं होंगी। किन्तु उसके साथ-साथ एक प्रतिबन्ध लगा हुआ है। लेजिस्लेचर को यह अधिकार होगा कि उपयुक्त प्रतिबन्ध विशेष अवस्थाओं में लगा दे। तो इसमें कहां संविधान पर आघात है यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरी प्रार्थना उन सम्मानित सदस्यों से है कि वे धारा बतलायें जिसके आधार पर यह बहस उपास्थित की जाती है। तो संविधान पर आघात नहीं होता यह मेरा निश्चित मत है। प्रश्न हमारे सामने तो यह है कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पढ़े-लिखे गधे होते हैं, लेकिन गधे एम० ए० के बराबर होते हैं ऐसा मैंने नहीं सुना। हो सकता है कि आदमी पढ़-लिख कर पास हो जाय लेकिन गधा ही रहे, परन्तु बेपढ़ा गधा पढ़े लिखे गधे से अच्छा है, ऐसी बात तो हमारे मंत्री महोदय नहीं कहेंगे। मेरा निवेदन यह था कि हमारे लिये उचित यह है कि अगर किसी नगर निगम के अन्तर्गत मत दाता गधे को ही चुनना चाहते हैं तो पढ़े-लिखे गधे को चुनें न कि अशिक्षित। एक बात यह ध्यान में रखनी है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हम मानते हैं कि जो साधारण जनसमुदाय है वही हमारा अल्टीमेट निर्णायक है। वह सुनते हैं और हमारे कुरील जी ने कहा कि यह उपयोगी चुनाव होगा, ऐसी भावना है। हमारे शुक्ल जी ने माना कि हमारे यहां अधिकतर अपढ़ लोग हैं तो क्यों दोनों सदस्यों की यह राय है कि अशिक्षित लोग गलती नहीं करते हैं अपने चुनाव में और क्या यह ठीक नहीं है कि एक अशिक्षित व्यक्ति जो बोर्ड का प्रेसीडेंट हो जाता है या म्युनसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट हो जाता है या कारपोरेशन का मेयर हो जायगा तो उसके सम्बन्ध में अशिक्षित

[श्री मदनमोहन]

लोग भी कहेंगे कि वह प्रेसीडेंट न कुछ पढ़ा न लिखा उसके पास क्या जायं, वह क्या करेगा ? यह अशिक्षित समुदाय कहता है तो मेरा निवेदन यह है जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने संशोधन में संशोधन रखा है कि बी० ए० की बहुत ऊंची उपाधि है वह न रखी जाय ।

श्रीमन्, आज देखना यह है कि इस समय हमारे प्रदेश के चारों तरफ पर्याप्त संख्या में हाई स्कूल कायम हैं। हर व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है उसे सारी सुविधायें प्राप्त हैं और हाई स्कूल में करीब दो लाख छात्र बैठते हैं तो फिर क्या कारण है कि हम दसवीं कक्षा का प्रतिबन्ध न रखें। कुरील जी ने कहा है कि न जाने क्या-क्या लिखा है ? यह करता हो, वह करता हो, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कोई व्यवस्था नहीं है जो मेयर के लिये रखी हो कि वह पढ़ा हो, केवल वोट देने का अधिकारी हो सकता है, मैं चूक गया होऊं तो मंत्री जी मुझे बतला दें। मेरा निवेदन यह है कि अपवादों पर काल्पनिक संविधान के आघात की कल्पना रखकर परेशान होना उचित नहीं मालूम होता है और न सदन के लिये शोभा देता है। हम कोई ऐसा प्रतिबन्ध रखें शिक्षा का जिससे हमारी भी शोभा हो और जो उस स्थान को सुशोभित करे, वह भी इस योग्य समझा जाय कि उसको ग्रहण कर सके और उसका काम कर सके।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। श्रद्धेयवर, जैसे कि शरीर में नेत्र न हो ऐसा ही मैं इस विधेयक को मानता हूं कि इसमें शिक्षा का मापदंड न रहने के कारण यह वैसा ही मालूम पड़ता है। उत्तर प्रदेश सारे भारत का हृदय देश है और हमें किसी से डरना नहीं चाहिये और आगे बढ़ना चाहिये इससे शिक्षा के उद्देश्य की भी पूर्ति होगी और संत कवियों का उदाहरण यहां लागू नहीं होता है। व्यवहारिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो मेयर का पद केवल कठपुतली के समान लगता है और वह कर्मचारियों के हाथों में रहेगा। अगर हम शिक्षा को कोई विशेषता नहीं देते हैं तो या तो अर्थ को विशेषता देनी होगी या फिर दलबन्दी को विशेषता देनी होगी और इस पद के ऊपर या तो कोई पार्टीबाज या अर्थपिशाच ही जा सकेगा और उसके दाहिने बायें बहुत से लोग होंगे। लेकिन यदि हम शैक्षिक दृष्टिकोण को आग रखते हैं और कोई ध्रुव तारा निश्चित करते हैं चाहे ग्रेजुयेट हो या इससे कम हो, लेकिन कोई न कोई ध्रुव तारा हम निश्चित कर रहे हैं तो हम इस आपदा से बच जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन इस सदन के सामने उपस्थित है मुझे दुख: है कि उसका विरोध करना पड़ रहा है। अभी माननीय वर्मा जी और नवलकिशोर जी ने उस संशोधन में कुछ रियायत करने की कोशिश की और यह तो वह समझ ही गये कि ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। एक तरह से वह भी विरोध ही है। बंसल साहब ने अकबर के उदाहरण को कहा कि वह उस जमाने का है जब कि बादशाह हुआ करते थे ।

मैं दो ही उदाहरण इस जनतंत्र के देना चाहता हूं। हमारे सभी सदस्य जानते हैं कि मदरास के चीफ मिनिस्टर कामराज नादर बहुत ही साधारण पढ़े लिखे हैं। लेकिन शासन की दृष्टि से कोई ग्रेजूएट या ऊंचे से ऊंचा पढ़ा लिखा आदमी उनके सामने ठहर सके ऐसा मैं नहीं समझता। दूसरा उदाहरण मैं कश्मीर का देता हूं। बख्शी गुलाम मुहम्मद कोई ऊंचे विद्वान नहीं हैं। बहुत थोड़ी सी उर्दू और फारसी जानते हैं। यह बात दूसरी है कि गवर्नमेंट में आने से उनको अंग्रेजी का कुछ अभ्यास हो गया है। लेकिन वह विद्वान नहीं हैं। ये दोनों उदाहरण आज के प्रजातंत्र के हैं।

इसके अलावा यह जो मूल विधेयक है इसमें ग्रेजुएट के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है कि वह मेयर नहीं चुने जा सकते। दूसरे और कुछ लोग योग्य हो सकते हैं भले ही उन लोगों की दृष्टि में ऐसे लोग कम हों लेकिन उनको क्यों बाध्य करना चाहते हैं कि वह मेयर न बन सकें ? मेयर का ऐसा पद नहीं है जैसा कि चीफ मिनिस्टर का है जिसके मैंने दो उदाहरण दिये जो कि

इसी प्रजातंत्र के उदाहरण हैं कि बे पढ़े लिखे लोग योग्य हो सकते हैं। काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो सनद की दृष्टि से शिक्षित न हों और आज यह भी विचार है कि शिक्षा प्रणाली में भी एक मूल परिवर्तन किया जाय, सनदों में शिक्षा निर्धारित न हो, जो रुपया आज सनदों पर खर्च होता है, यह सही बात है, मंत्री जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वह मैं करना नहीं चाहता लेकिन यह सत्य है कि कितने गलत तरीके से और किस किस तरह से सनद हासिल की जाती है। तो सनद वाले लोग अयोग्य भी साबित हो सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जब कि ग्रेजुएट्स के मेयर बनने में कोई रुकावट नहीं है तो ऐसी दशा में ऐसे आदमी, भले ही, वह थोड़े हों, उन पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, बहुत ध्यान से मैंने इस बहस को सुना और भाई जगदीश के संशोधन के पक्ष में जितनी ज्यादा तकरीरें सुनीं उतना शिक्षा के निकम्मेपन का मेरे ऊपर असर पड़ता गया। अगर कहीं हमने यह कहा होता कि ग्रेजुएट्स नहीं हो सकेंगे तब तो खतरे की बात थी कि हम लोग अशिक्षितों के वास्ते मैदान खोल रहे हैं और शिक्षित लोगों को जबरदस्ती रोक रहे हैं। शिक्षित लोगों को डर है कि अशिक्षित लोगों के कम्पिटीशन में नहीं आ सकेंगे। क्या दिवाला निकल गया है शिक्षितों का ? जब तक आप यहां नहीं रखेंगे तबतक बेचारे शिक्षित लोग आ ही नहीं सकेंगे ? यानी इससे ज्यादा गलत कोई आर्गूमेंट इसके पक्ष में दिया जा सकता है, मैं कल्पना नहीं कर सकता था।

वास्तव में सोचना तो हमें यह चाहिये था कि जो हमारे मित्र ने मुझसे पहले अभी कहा कि हम शिक्षा की शर्त लगा कर हजारों, जिन शिक्षितों को हम अशिक्षित समझते हैं जो कि सचमुच शिक्षित हैं, उनके लिये दरवाजा बन्द करते हैं। प्रश्न यह है कि वह दरवाजा बन्द करें या न करें। जैसा अभी कहा गया कि अंधे लोग न हो सकें मेम्बर, तो साधाराणतया अंधे बहुत कम होंगे जो मेयर होने के लिये योग्य हों। मैं समझ सकता हूं और वहां हम सोचेंगे कि करें या न करें, लेकिन हम रोक दें लोगों को कि तुम नहीं आ सकते, तुम अशिक्षित हो, तुम लाख अच्छे आदमी हो, काबिल हो, लेकिन चूंकि ग्रेजुएट की डिग्री तुमने हासिल नहीं की इसलिये नहीं आ सकते हो, तो यह मेरी समझ में नहीं आया। बड़े आलिम हो, शास्त्री हो, वेदान्ततीर्थ हो लेकिन आप नहीं आ सकते चूंकि ग्रेजुएट नहीं हो, अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो यह बिलकुल अनावश्यक है। होना यह चाहिये कि हम ज्यादा से ज्यादा आदमियों को अवसर दें कि वह बन सकें। अगर हम ऐसा करते कि कोई वकालत करता हो या कोई शिक्षा का इन्डीकेशन होता जो कि एक सही पैमाना हो सकता था तो मैं समझ सकता था।

यहां तो पांच बड़े शहरों में यह निगम बनाने जा रहे हैं जहां पर २,४ नहीं बल्कि ५,१० लाख की आबादी है और पढ़े लिखे लोग वहां रहते हैं। वहां वोटर भी होंगे और उम्मीदवार भी होंगे और यह सब एक अशिक्षित आदमी से मात खा जायेंगे अगर हम इस शर्त को नहीं रखें और वह अशिक्षित हो जायगा तब तो यह खतरा हो सकता था लेकिन सब बेवकूफ के बहकाये में आ जायेंगे यह मैं शिक्षा का दिवालियापन समझता हूं। हमें यह सोचना चाहिये कि जो शिक्षित आदमी हैं उसका मुकाबिला अशिक्षित आदमी नहीं कर सकता है। जनता उसको अपने वोट से चुनेगी, लाखों आदमी उसको अपना वोट देंगे। उसको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि ऐसा बेपढ़ा लिखा आदमी मेयर नहीं हो सकता है। वह अपनी योग्यता से आयेगा। योग्य आदमी, सिर्फ इसलिये कि उसने बी०ए० नहीं किया है इसलिये वह नहीं होगा, वह हमने नहीं रखा।

कहा गया कि मिनिस्टर साहब बड़े अक्लमन्द थे और उन्होंने इन्टरमीडियेट को रखा था। शुरू में हमने देखा था कि यह प्रेस्क्राइब कर दें लेकिन फिर बाद को यह बिल सेलेक्ट कमेटी में गया और चुने हुये माननीय सदस्य वहां पर गये। सब की सम्मति से यह पास हुआ। इस दृष्टि से हम कम से कम इसको बदलना चाहते हैं। वहां विरोधीदल के नेता और अन्य सदस्य थे, जो उनके साथ एग्रीमेन्ट हुआ है, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। इसलिये मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें मौलिक अन्तर करें। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस संशोधन को वापस लें नहीं तो हाउस इसको स्वीकार न करेंगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े आदरपूर्वक माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। इस दृष्टि से इस प्रस्ताव का महत्व और भी सिद्ध है कि इतने अधिक सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया। मैं दूसरे मित्रों के तर्कों को समझ सका लेकिन माननीय मंत्री जी की एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि ज्यों-ज्यों वह भाषण सुनते रहे उतना ही शिक्षा का निकम्मापन उनके लिये प्रकट होता रहा। कोई और कहता तो ठीक था लेकिन माननीय मंत्री जो स्वयं कहते हैं कि उन्होंने स्वयं पहिले आवश्यक समझा था कि इन्टरमीडियेट की शिक्षा रहे? अब उनको ऐसा आभास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता।

श्री विचित्रनारायन शर्मा—I stand wiser.

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—जी हां संसार के एक बहुत बड़े आदमी ने कहा भी है: "My experience of to-day is that I was a fool yesterday and very likely it may be the same to-morrow." माननीय मंत्री जी भी शायद इस सिद्धान्त को मानते हैं।

श्रीमन्, मुझे यह आशंका होती है कि फिर भविष्य में निश्चय यही हो सकता है। जिसको आज हम ठीक समझते हैं वह कदाचित् भविष्य में गलत सिद्ध हो सकता है। मुझे पूर्ण सन्तोष है कि मैं माननीय सदन का ध्यान अपने संशोधन द्वारा इस प्रश्न की ओर आकर्षित कर सका।

मैं यह समझता हूं कि भविष्य में, आज नहीं तो १०, ५ या २ साल बाद, जब कभी इस बिल का संशोधन आयेगा तो। कदाचित् यह आवश्यकता अनुभव हो और माननीय मंत्री जी, जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं अनुभव से फायदा उठायेंगे और मैं समझता हूं कि उस समय वे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। इस आशा से माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद अनुशासन और संसदीय परम्परा को ध्यान में रखते हुए मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२, १२-क व १३

१२—(१) निगम का संगठन करने के लिए कौंसिलरों तथा एल्डरमैनों के निर्वाचन पूर्ण हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रथम मेयर तथा डिप्टी मेयर निर्वाचित किये जायेंगे।

(२) तत्पश्चात् मेयर प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व, जो नियत किया जाय, निर्वाचित हुआ करेगा।

(४) मेयर तथा डिप्टी मेयर सदस्यों द्वारा ऐसी अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़-शलाका द्वारा होगा।

(५) यदि डिप्टी मेयर, मेयर के पद पर निर्वाचित हो गया हो तो डिप्टी मेयर के पद की रिक्ति उस दिनांक से होगी जब से वह मेयर का पद ग्रहण करे।

(६) धारा ४६ के उपबन्ध यथासम्भव मेयर तथा डिप्टी मेयर के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

नोट—उपखंड (३) संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया।

कौंसिलरों का निर्वाचन कब पूर्ण समझा जायगा ।

१२-क—धारा ९ के प्रयोजनों के निमित्त एल्डरमैन, मेयर तथा डिप्टी मेयर का निर्वाचन और कौंसिलर का निर्वाचन, किसी भी स्थान के अपूरित रहने पर भी, पूर्ण समझा जायगा यदि धारा ६ के अधीन निश्चित कौंसिलरों की कुल संख्या की कम से कम चतुर्थ-पंचमांश (four-fifth) संख्या पूरी हो गई हो।

मेयर अथवा डिप्टी मेयर के पदों की आकस्मिक रिक्ति।

१३—यदि मेयर तथा डिप्टी मेयर की मृत्यु, अथवा उनके पद-त्याग अथवा अन्य किसी कारण से उनके पद रिक्त हो जायं तो यथास्थिति मेयर अथवा डिप्टी मेयर का निर्वाचन तत्पश्चात् यथाशीघ्र धारा १२ में उपबंधित रीति से होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी शेष पदावधि दो महीने अथवा उससे कम की है तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करे।

श्री जगन्नाथ लहरी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप के पास लिखित अधिकार हैं ?

श्री जगन्नाथ लहरी—जब सारी कुर्सियां ही खाली पड़ी हैं तो लिखित अधिकार का क्या सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसे नये संशोधन के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिये ३६ घंटे की नोटिस आवश्यक है। अगर किसी को एतराज न हो तो मैं इसको ले सकता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर मैं किसी संशोधन को स्वीकार करना चाहता हूं और उसका वहां मूवर नहीं है तो उसके लिये चेयर ने इजाजत दी थी, कि वे उसके लिये इजाजत दे देंगे। लेकिन हर संशोधन पर बहस करने में व्यर्थ ही समय नष्ट होगा। कोई दूसरा संशोधन जिस पर बहस करना उपयुक्त हो उसको आप ले लें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि ३६ घंटे के नोटिस की आवश्यकता है और....

श्री जगन्नाथ लहरी—इसके पूर्व खंड २ में जो संशोधन था, उस समय इसके पूर्व माननीय अध्यक्ष यहां विराजमान थे और तब उन्होंने उसको पेश करने की अनुमति दे दी थी और उस पर बहस की गई थी।

श्री उपाध्यक्ष—उस समय आप ने सुना न होगा। उन्होंने यह पूछा था कि किसी को एतराज तो नहीं है इसको नये संशोधन के रूप में लिये जाने में ।

श्री जगन्नाथ लहरी—उन्होंने कहा था कि आप इसे पेश करना चाहते हैं। मैंने कहा था कि हां। उन्होंने मुझसे अनुमति के लिये भी पूछा था तो मैंने कहा था कि कोई अनुमति नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने मुझे आज्ञा प्रदान की थी। उसी भावना से प्रेरित हो कर मैं आप से इसके लिये अपील करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रोसीडिंग्स में लिखा हुआ है 'कि किसी को एतराज है ?' यह पूछा है माननीय अध्यक्ष ने। तो ऐसी हालत में इसके बाद कैसे मैं आप की बात सही मानूं ? तो मैं इसके लिये इजाजत नहीं दे सकता।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड १२, १२-क, और खंड १३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

मेयर तथा डिप्टी मेयर की पदावधि।

१४—(१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धों के अधीन रहते हुये, मेयर की पदावधि एक वर्ष की होगी तथा डिप्टी मेयर की पदावधि निगम के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

(२) किसी आकस्मिक पद की पूर्ति के निमित्त निर्वाचित मेयर अथवा डिप्टी मेयर की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि तक के लिये ही होगी।

(३) मेयर अथवा डिप्टी मेयर, जब तक कि वह अपना पदत्याग नहीं कर देता अथवा उसका अर्ह होना समाप्त नहीं हो जाता अथवा वह अनर्ह नहीं हो जाता, उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उनका उत्तराधिकारी (यथास्थिति) मेयर अथवा डिप्टी मेयर जैसी स्थिति हो, के पद का ग्रहण नहीं करता।

*श्री देवकीनन्दन विभव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (१) की पंक्ति २ के शब्द "मेयर" तथा शब्द "की" के बीच में शब्द "तथा डिप्टी मेयर" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन उपस्थित करने का मेरा आशय यह है कि मेयर की अवधि इस विधेयक में एक वर्ष की रखी गयी है। मैं चाहता हूं कि वही अवधि डिप्टी मेयर के लिये भी रखी जाय। इसके सारे बैक ग्राउन्ड को समझाने के लिये मेरे संशोधन का आशय क्या है, यह आवश्यक है कि मैं यह बताऊं कि मैं इस संशोधन को क्यों चाहता हूं।

सेलेक्ट कमेटी से जो विधेयक संशोधित हो कर आया है उसका आशय यह है कि हम मेयर को एक वैधानिक स्थान पर रखना चाहते हैं, उसके लिये हम एक प्रतिष्ठा का स्थान रखना चाहते हैं इसलिये हम उसकी अवधि भी एक साल की रख रहे हैं ताकि उसके विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाना पड़े। मेयर दिन प्रति दिन के संचालन से ऊपर रहता है और उसके स्थान में डिप्टी मेयर को हम कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं और कारपोरेशन को चलाने की अधिक शक्ति उसके हाथ में देते हैं और इसलिये उसकी अवधि हम कारपोरेशन की अवधि के अनुकूल ही रखते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का आधार यही है कि एक तो मैं यह चाहता हूं कि जहां तक और जब तक कोई विशेष कारण न हों, हमारा विधेयक और उसके बाद जो अधिनियम बने, वह, दूसरे जो अधिनियम हैं, उनके सानुकूल हो। जब तक उसमें कोई विशेष कारण न हो, हमारे प्रदेश में उसके लिये कोई परिवर्तन न किया जाय। श्रीमन्, अगर देखा जाय तो दूसरे निगमों के अधिनियमों में, आज हमारे कलकत्ता के कारपोरेशन का अधिनियम है, बाम्बे कारपोरेशन का अधिनियम है, इसके अतिरिक्त और भी अधिनियम हैं, उनमें प्रायः यही बात है कि डिप्टी मेयर को हम केवल वही अधिकार देते हैं और मेयर की अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर काम करता है।

श्री उपाध्यक्ष—विभव जी अपना १८ नंबर वाला संशोधन भी उपस्थित कर दें। दोनों को मिला कर आपका पूरा संशोधन हो जायगा।

श्री देवकी नन्दन विभव—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड १४ के उपखंड (१) की पंक्ति ख३ के शब्द "तथा डिप्टी मेयर की पदावधि निगम के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी" निकाल दिये जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि इससे एक भ्रम पैदा होता है कि मेयर की अवधि एक साल की है और डिप्टी मेयर की अवधि पांच साल की है तथा उसको वह अधिकार भी हैं जो मेयर को भी नहीं है। हमें उस भ्रम को दूर करना है कि हमें मेयर का स्थान राजनीति के चखचख से दूर रखना है। तो उसके लिये हमारे पास एक और व्यवस्था हो सकती है जो अन्य निगमों के विधान में व्यवस्था है। और वह यह कि हम चाहे प्रबन्ध कमेटी कहें, चाहे स्थायी कमेटी कहें उसका अध्यक्ष हम पृथक् निर्वाचित कर दें और डिप्टी मेयर को हम मेयर के स्थान पर रखें और मेयर के कार्य को उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर करे। मैं समझता हूं कि इससे जरा थोड़ी स्पष्ट स्थिति हो जाती है। मैं चाहता हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें। स्टैंडिंग कमेटी या जिसको हमने कार्यकारिणी कमेटी कहा है, उसका हम एक पृथक चेयरमैन निर्वाचित कर सकते हैं और कार्यकारिणी के सम्बन्ध में जो हमने व्यवस्था अपने इस विधेयक में दी है, वह हम उस अध्यक्ष के सुपुर्द कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि उनसे एक लाभ होगा। एक तो हम दूसरे प्रदेशों के अधिनियमों के सानुकूल होंगे, उसमें जो मान्यतायें हैं उसके साथ ही चलेंगे और जो भ्रान्ति हो सकती है उससे बच जायेंगे।

एक बात और कहना चाहता था इस सिलसिले में, कि इस संशोधन का प्रस्ताव हमारे विरोधी दल पक्ष के दो और सज्जनों की ओर से था, उन्होंने भी उसका संशोधन दिया था। मुझे खेद है कि आज जब कि इस सदन में इतना महत्वपूर्ण विधेयक उपस्थित है, जिसका प्रभाव इस प्रदेश की २० और २५ लाख जनता के प्रति दिन के जीवन पर पड़ता है उस समय भी विरोधी पक्ष अपने उत्तरदायित्व को महसूस नहीं करता और उसके विचारों से सदन जो लाभ उठा सकता था वह उसका लाभ उठाने देना नहीं चाहता, तो मुझे इस देश की डेमोक्रेसी के लिये एक बहुत निराशा की भावना पैदा होती है। मैं नहीं समझता कि विरोधी पक्ष प्रश्नों के समय इस सदन में उपस्थित रह सकता है लेकिन. . . .

श्री उपाध्यक्ष—माननीय विभव जी, इसका इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव—मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारा समर्थन करने के लिये विरोधी पक्ष की ओर से भी प्रस्ताव किया गया था लेकिन चूंकि आप की ऐसी सम्मति है, मैं इस पर कुछ विशेष नहीं कहना चाहता। लेकिन फिर भी मुझे एक सान्त्वना है कि जिस वक्त सेलेक्ट कमेटी में इस विधेयक पर विचार हुआ था तो हमें सभी दल के लोगों की काफी सहमति मिली और उनके मत जानने का हमको अवसर प्राप्त हुआ था और अब आज यह विधेयक इस रूप में इस सदन में आया है, उसमें बहुत कुछ हमारे विरोधी पक्ष के विचार भी सम्मिलित हैं। इसलिये यहां पर जो मैंने एक बात रखी है, मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे और उसको सानुकूल बनायेंगे और अन्य प्रदेशों के निगमों के अधिनियमों के अनुसार।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि कुछ थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि बता दूं ताकि अगर कोई दूसरे मित्र बोलना चाहें तो वह थोड़ा सा किस चीज पर बोलना है उस को ध्यान में रख सकें। मुझे तो थोड़ा दुख हुआ कि विभव जी इस सेलेक्ट कमेटी में जिस तरह से यह बिल पास हुआ और इसको जो यह शक्ल दी गई, उसके हर पहलू से भिज्ञ थे, जानते थे, उन्होंने फिर उसके बाद इस को रखा। उसकी प्रोप्राइटी पर कि सेलेक्ट कमेटी में कोई सदस्य रहा हो, उसका नोट आफ डिसेंट भी न हो, उसको यहां पर इसके ऊपर कोई संशोधन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिये, उसकी प्रोप्राइटी को भी अगर मैं छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए और यह मान लूं कि कुछ इम्प्रापर चीजें भी यहां की जा सकती हैं, तो भी. . .

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी, यह इम्प्रापर नहीं है। हर सदस्य को अधिकार है कि वह अपनी राय बदल सके।

श्री विचित्रनारायण शर्मा— मैं उसके आगे सिर झुकाता हूं। मैं छोड़ देता हूं उस बात को कि वह प्रापर है या इम्प्रापर है लेकिन इसका एक सारा खाका बनाया गया था उस के सारे अंग को भंग करता है यह। हमारा पहले का जो विधान था और अभी भी मेरे पास जो रेप्रेजेंटेशंस आ रहे हैं कांग्रेस कमेटीज की तरफ से और दूसरी कमेटीज की तरफ से, प्रभावशाली लोगों की तरफ से कि इसमें यह तरमीम होनी चाहिए, वह तरमीम होनी चाहिए। सब से मुख्य और सब से कंट्रोवर्शियल प्वाइंट यह था कि मेयर को हमने एक फिगर हेड सिर्फ बना के रख दिया है और उसको हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया। मैंने अपने वक्तव्य में, जब मैंने इसको सदन के सामने विचार करने के लिए पेश किया था, यह निवेदन किया था कि हम क्यों ऐसा करने के लिए बाधित हुए थे। सब से बड़ा कारण यह था कि अगर हम एक साल के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का किसी को हेड बनाते हैं तो उसका कोई ग्रैस्प, कोई ग्रिप जो योजनायें हैं, वहाँ का जो काम है, उसके अधीनस्थ जो कार्यकर्ता हैं, जो स्कीम्स हैं, उन सब से उसकी फैमिलियारिटी और जानकारी नहीं हो सकती है। ऐसा आदमी अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी का प्रधान बनेगा, चेयरमैन होगा, तो उसका नियंत्रण काफी नहीं हो सकता है और केवल नाम के लिए वह चेयरमैन रहेगा और जो उसके अधीनस्थ लोग हैं, वह जो चाहेंगे करेंगे। किसी चीज को वह जैसे चाहेंगे उसके सामने रख देंगे। गलत से गलत स्कीम को बहुत ही अट्रैक्टिव बना कर उसके सामने रख सकते हैं और अच्छी से अच्छी स्कीम को इस तरह से रख सकते हैं कि वह देखने के काबिल भी न हो। यह खतरा न हो, इसके लिये यह आवश्यक था कि नगर निगम का जो सब से बड़ा अधिकारी हो या कम से कम अगर सब से बड़ा न हो तो जो दूसरे नम्बर का हो ऐसे अधिकारी के मातहत, उसके निरीक्षण में उसकी सहायता से, उसकी देखरेख में सारा काम चले। इस वास्ते हम लोगों ने यह विभाजन किया कि जहां तक नाम का सवाल है, मान-मर्यादा का सवाल है, प्रतिष्ठा और सत्कार का सवाल है वहां तक तो नगर निगम का जो मेयर है वह रहेगा.....

(इस समय ३ बज कर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कोई बड़ा फंक्शन है, प्रिसाइड करना है कार्पोरेशन की मीटिंग में तो वह सामने रहेगा प्रतिष्ठा, सम्मान, सत्कार सब उसको मिलेगा। एक ब्राह्मण का, सच्चे ब्राह्मण का काम, वह करेगा।

दूसरा काम जो नियंत्रण का था, उसके लिये डिप्टी मेयर को रखा गया है। उसको भी अगर हमने एक साल के लिए रख दिया तो फिर उसका भी कोई व्यापक नियंत्रण नहीं होगा। वह भी कोई पुरअसर नहीं होगा। अब हम तीसरा आदमी और क्रियेट कर लें उससे लाभ क्या होगा? फिर डिप्टी मेयर को न मेयर की प्रतिष्ठा मिले और न एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन हो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो चेयरमैन होगा उससे भी कम जगह उसको मिलेगी। तो ऐसी रद्दी जगह यानी मेयर के नाम को भी मिट्टी में मिलायें यह वांछनीय नहीं होगा। जहाँ तक, प्रतिष्ठा, सत्कार और नगर निगम की मीटिंग को कंट्रोल करने का सवाल है वहां तक तो मेयर रहे। जहाँ तक काम को चलाने का सवाल रहा, वहाँ डिप्टी मेयर रहे। डिप्टी मेयर सचमुच में एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करेगा और इसलिये वह कन्ट्रोवर्सीज में आयेगा, अपोनेन्ट्स क्रीयेट कर सकता है, असंतोष पैदा कर सकता है। इसलिए उसके बर खिलाफ नो-कांफीडेंस रखा गया है। तो यह एक वेल प्लान्ड स्कीम है उस को आप जब तक सारे को न बदलें तब तक यह फ़िटइन नहीं करता। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को प्रेस न किया जाय और इसको हाउस स्वीकार न करे, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विभव जी ने एजेन्डे के आइटम १६ और १८ पर जो खंड १४ में संशोधन प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संशोधन अपनी दृष्टि से आवश्यक ही नहीं परमावश्यक है। समझ में नहीं आया कि स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री महोदय ने अभी मेयर और डिप्टी

मेयर को जो व्याख्या की फिर निर्वाचन की क्या आवश्यकता थी ? आपके कथनानुसार जैसा कि मैं अभी तक समझ चुका हूं, मेयर हमारे राज्यपाल महोदय की भाँति होंगे जिन्हें रोजमर्रा की एग्जीक्यूटिव पावर्स भी नहीं हैं, जो प्रतिष्ठा के ही पद पर बने रहेंगे। डिप्टी मेयर शायद मंत्रि-परिषद् के एक मंत्री की हैसियत से काम करेगा। यदि यही बात थी तो मेयर का भी निर्वाचन न कराया जाता। मेयर भी राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति न सही तो कम से कम मंत्री महोदय द्वारा मनोनीत करके इन कारपोरेशन्स में भेज दिये जाया करते तो ज्यादा उत्तम होता। तब तो मेयर एक प्रतिष्ठा का चिन्ह रहता और हम यह समझ लेते जिस तरह से देश की सर्वोच्च सत्ता हमारे राष्ट्रपति के हाथों में नियत है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि स्वरूप राज्यपाल प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ में रखते हैं और राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल महोदय प्रदेशों के शासन सूत्र अपने हाथ में ले कर उसका संचालन करते हैं, हम समझ लेते कि राज्य सरकार के एक प्रतीक स्वरूप एक मेयर राज्य सरकार की सत्ता हाथ में ले करके नगर निगमों का संचालन करता है। राज्यपाल मनोनीत किये जाते हैं, राज्यपालों का जनता द्वारा या निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाता। लेकिन इस विधेयक में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का निर्वाचन कराया जायगा। तो समझ में नहीं आता कि जनतन्त्र का जो रूप, जनतंत्र की जो प्रणाली हम लोगों के सामने भारतीय संविधान में रखी गयी है वह राज्यपाल और मंत्री जी के लिये मनोनीत और निर्वाचन की प्रणाली है, राज्यपाल और मंत्री में भी जिस प्रकार का भेद हो रहा है, मंत्री जी के कथनानुसार मैं समझता हूं क्या वह मेयर और डिप्टी मेयर में वही भेद कर रहे हैं ? लेकिन मंत्री महोदय, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगे जब मेयर को सिर्फ आप एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना चाहते हैं तो फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा उसका निर्वाचन कराने का स्वांग क्यों रचते हैं ? यदि मेयर जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जायगा तो उनका विश्वास न मिलने पर अविश्वास का उसको सामना करना पड़ेगा ? तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं मेयर को अविश्वास का मुकाबला न करना पड़े, जैसा कि हमारे माननीय विभव जी ने कहा कि एक वर्ष का इसीलिये समय रखा गया है कि मेयर जो कारोपोरेशन का सबसे सर्वोच्च शासक होगा, एक प्रतिष्ठा की जगह पर होगा, वह एक वर्ष के भीतर अपनी योग्यतानुसार शासन करे और उसको अविश्वास का सामना न करना पड़े, क्योंकि निर्वाचन के प्रथम एक वर्ष में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आता है। ठीक है, मैं कहता हूं कि जब मेयर को उस पद पर रखना चाहते हैं तो डिप्टी मेयर का क्या कसूर है कि उसके ऊपर ही यह तीरों की बौछार हो और अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा जनप्रतिनिधियों के गुस्से के मुकाबिले के लिये अकेले डिप्टी मेयर को ही क्यों मैदान में छोड़ते हैं। यदि आप मेयर को सुरक्षा का आश्वासन देते हैं और उस के प्रति कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकेगा और उस के लिए एक वर्ष का निर्वाचन होगा तो डिप्टी मेयर भी कोई दोषी व्यक्ति नहीं, वह भी उसी तरह से निर्वाचित होगा, तो वह सुरक्षा की प्रणाली उसके लिये भी होनी चाहिये और उस के साथ यह कथनी और करनी का भेद नहीं होना चाहिये कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिये अलग-अलग प्रणाली रखी जाय। यह तरीका भेद का दोषपूर्ण है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय वह थोड़ी है। जो संशोधन माननीय विभव जी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उनको मान लेने पर स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से मेयर के लिये एक वर्ष का समय रख रहे हैं, डिप्टी मेयर के लिये भी आपको एक वर्ष का समय रखना चाहिये। वह भी जब एक साल के लिये होगा तो उसके लिये भी उसी सुरक्षा की गारंटी हो जायगी जो मेयर के लिये है। इसलिये मैं आप के द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह जब इस दूषित प्रणाली को जानते हैं तो क्यों इस को हमारे सामने रख रहे हैं। एक बार वह इस संशोधन को फिर ध्यान से देखें कि इस के न मानने से यह दोष इस बिल में रह जायगा, और यदि उन्होंने इस संशोधन को न माना तो एक साल में ही उन को चार-चार बार संशोधन लाने पड़ेंगे। इसलिये अच्छा हो कि वह इस पुनीत कर्त्तव्य का पालन करें और जो दोष इसमें दिखाई दे रहे हैं उन को अभी दूर कर दें। इसलिये अन्त में मैं फिर निवेदन करूंगा कि वह माननीय विभव जी के संशोधनों को मानने की कृपा करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह दलील और तर्क अगर संशोधन पेश करने वाले माननीय सदस्य की ओर से इस सदन में पेश होता कि क्योंकि डिप्टी मेयर का आफिस पांच साल का रखा गया है तो मेयर के आफिस का टर्म एक साल क्यों है और वह भी पांच साल होना चाहिये, यह दलील और तर्क तो हमारी समझ में आ; सकता था; लेकिन यह कहना कि चूंकि वह टर्म डिप्टी मेयर का पांच साल है लिहाजा डिप्टी मेयर का भी एक साल कर दिया जाय क्योंकि मेयर का एक साल है यह दलील स्वस्थ नहीं है, जब कि मेयर को एग्जिक्यूटिव वर्क सौंपा गया है और जो कारपोरेशन के संचालन में डे-टुडे कार्य होगा वह डिप्टी मेयर करेगा। इस तरह से अगर डिप्टी मेयर कोई तजुर्बा कारपोरेशन का हासिल करता है तो उस के तजुर्बे का लाभ कारपोरेशन को उठाने का मौका होना चाहिये, अगर केवल एक साल की अवधि रखते हैं और कोई तजुर्बा उस ने प्राप्त किया तो वह एक वर्ष के बाद खत्म हो जाता है और इस तरह से उसके अनुभव से हम अपने नागरिकों को लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिये इतनी कम टर्म आफ आफिस रखने से लाभ न होगा। इसलिये यह जो संशोधन आया है कि चूंकि मेयर का टर्म आफ आफिस एक साल है इसलिये डिप्टी मेयर का भी एक साल रखा जाय मैं इस का विरोध करता हूं।

दूसरी बात यह है कि डिवीजन आफ वर्क बहुत जरूरी है क्योंकि आज डेमोक्रेसी में हमारा तजुर्बा बताता है कि जब कोई बात काबिले एतराज होती है तो पूछा जाता है कि कौन इस का जिम्मेदार है, हमें इस विषय में अपने देश में बड़ा कड़वा तजुर्बा है और उससे देश ने बहुत नुकसान उठाया है।

मैं समझता हूं कि जितनी पावर्स और ड्यूटीज हैं उनको डिफाइन होना चाहिये और वर्क की जिम्मेदारी खास-खास व्यक्तियों पर दी जानी चाहिये और उस व्यक्ति को उसके मुताल्लिक सर्व करने के लिये रेस्पांसिबिल होना चाहिये और उसी को लाइएबिल कर देना चाहिये। सम्मिलित जिम्मेदारी का अर्थ अगर यह है कि कोई भी काम बिगड़े और पकड़ा कोई न जाय, टाप टु बाटम, चीफ मिनस्टर ले लेकर एग्जिक्यूटिव इंजीनियर और सबार्डिनेट आफिसर तक कोई न पकड़ा जाय और काम खराब होता रहे तो मैं इस तरह की सम्मिलित जिम्मेदारी को नहीं चाहता हूं। इसका जो हमें तजुर्बा और अनुभव है वह बहुत बुरा है और इसलिये हम समझते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर के फंक्शन और ड्यूटीज को वेल डिफाइंड होना चाहिये और डिवीजन आफ वर्क उनके बीच में अवश्य होना चाहिये।

यह मुझे नियमानुसार मालूम होता है कि मेयर का पीरियड आफ आफिस एक साल का हो। अगर वह पांच साल का हो तो वह ज्यादा उचित मालूम होता है। अगर इस पर माननीय मंत्री जी गौर करेंगे तो मैं उनका हृदय से स्वागत करूंगा।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री देवकीनन्दन विभव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कुछ थोड़ी-सी आपत्ति की है और इसमें संदेह नहीं कि मैं सेलेक्ट कमेटी का सदस्य था और मैं उसके मूल, आधारभूत जो सिद्धान्त हैं और जिस सिद्धान्त पर सेलेक्ट कमेटी ने उस विधेयक को पास किया है उससे मैं सहमत हूं, लेकिन साथ ही यह भी है कि यह विधेयक ५७५ के करीब क्लाजेज का विधेयक है। इसमें बहुत-सी ऐसी चीजें भी छोटी-छोटी जो समय-समय पर उपस्थित होंगी, मैं समझता हूं ऐसी हैं कि जिनमें कुछ संशोधन होने पर भी उसके आधारभूत सेट-अप में कोई अन्तर नहीं आता। माननीय मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी का यह खयाल है कि डिप्टी मेयर का जो मैंने संशोधन रखा है उससे जो उसका ढांचा है उसमें कोई विशेष परिवर्तन आता है, मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है। अभी हाल में इसके जो विशेषज्ञ थे, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और भी दूसरी जगह के जो कवाल टाउंस हैं उनके कुछ विशेष व्यक्तियों की एक मीटिंग हुई थी और प्रायः उसमें सभी का यह विचार था कि यह जो डिप्टी मेयर के और स्टैंडिंग कमेटी के फंक्शन्स को जो मिलाया है उसको न मिला कर अगर डिप्टी मेयर के फंक्शन को अलहदा रखा जाता, जैसा कि सब जगह है तो ज्यादा समयानुकूल होता। इसी विचार से मैंने यह संशोधन उपस्थित किया था, परन्तु इससे अगर मंत्री जी को विशेष कोई कठिनाई है, उनको यदि ऐसा विश्वास है कि इससे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन सेट-अप में होता है तो मैं उनको ऐसी कठिनाई में नहीं डालना चाहता हूं और इसलिये मैं इस संशोधन पर विशेष जोर नहीं देता।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिए गये।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४—क

डिप्टी मेयर के विरुद्ध अविश्वास

१४—क—(१) डिप्टी मेयर के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव केवल इस धारा में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही प्रस्तुत किया जायेगा।

(२) किसी डिप्टी मेयर द्वारा पद ग्रहण करने से बारह महीने के भीतर इस धारा के अधीन कोई अविश्वास का प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(३) डिप्टी मेयर में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मन्तव्य का लिखित तथा निगम के सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा जो निगम के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से न्यून न हो, हस्ताक्षरित नोटिस, प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रति सहित हस्ताक्षर कर्ता सदस्यों में से किन्हीं दो सदस्यों द्वारा उस डिवीजन के कमिश्नर को दिया जायेगा जिसमें कि सम्बद्ध नगर स्थित हो।

(४) डिवीजन का कमिश्नर इस प्रस्ताव पर विचार प्रकट करने के निमित्त एक अधिवेशन संयोजित करेगा जो उस दिनांक तथा समय पर होगा जिसे कि वह नियत करे और जो दिनांक उस दिनांक से जिस पर उपधारा (२) के अधीन उसे नोटिस दिया गया था, ३० दिन से पहले तथा ३५ दिन के बाद न होगा। वह अधिवेशन के दिनांक से कम से कम सात स्पष्ट दिवस पूर्व निगम के प्रत्येक सदस्य के निवास स्थान पर ऐसे अधिवेशन तथा तदर्थ नियत दिनांक एवं समय की नोटिस भेजेगा तथा साथ ही साथ उस नोटिस को ऐसी रीति से प्रकाशित करवायेगा जिसे वह उचित समझे। तत्पश्चात् प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसे नोटिस प्राप्त हो गया है।

(५) मेयर इस धारा के अधीन संयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा तथा कोई और व्यक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता न कर सकेगा। यदि अधिवेशन के लिये नियत समय से आधे घंटे के भीतर, मेयर अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित न हो तो अधिवेशन उस दिनांक और समय तक के लिये स्थगित हो जायेगा जिसे उपधारा (६) के अधीन मेयर नियत तथा सदस्यों को विज्ञापित करेगा।

(६) यदि मेयर अधिवेशन की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिये स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे किन्तु

यह दिनांक उपधारा (४) के अधीन अधिवेशन के लिये नियत दिनांक से पन्द्रह दिन से अधिक न होगा। वह अविलम्ब ही डिवीजन क कमिश्नर को आधवेशन के स्थगन की सूचना देगा। यह आवश्यक नहीं ह कि स्थगित अधिवशन के सम्बन्ध में दिनांक और समय की सूचना सदस्यों को व्यक्तिशः दी जाय, किन्तु डिवीजन का कमिश्नर उपधारा (४) में व्यवस्थित रीति के अनुसार स्थगित अधिवेशन के दिनांक और समय की नोटिस का प्रकाशन करेगा।

(७) उपधारा (५) और (६) में की गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन प्रस्ताव और विचार करने के प्रयोजन से संयोजित कोई भी अधिवेशन किसी अन्य कारणवश स्थगित न किया जायगा।

(८) इस धारा के अधीन संयोजित अधिवेशन के प्रारम्भ होते ही मेयर उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा जिस पर विचार करने के लिये आधवेशन संयोजित किया गया हो तथा उस प्रस्ताव को वाद-विवाद के निमित्त प्रस्तुत घोषित करेगा।

(९) इस धारा के अधीन किसी भी प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित न किया जायेगा।

(१०) ऐसा वाद-विवाद जब तक कि वह पहले ही न समाप्त हो जाय, अधिवेशन आरम्भ होने के निमित्त नियत समय से तीन घंटों की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगा। यथास्थिति वाद-विवाद की समाप्ति अथवा उक्त तीन घंटों की समाप्ति पर यह प्रस्ताव निगम के समक्ष मतदान के निमित्त प्रस्तुत किया जायगा।

(११)मेयर न तो प्रस्ताव के गुण दोषों पर भाषण दे सकेगा और न उसे उस पर मत देने का अधिकार होगा।

(१२) अधिवेशन समाप्त होने के पश्चात् मेयर अधिवेशन के कार्य विवरण की एक प्रति प्रस्ताव व उस पर मतदान के फल की एक प्रति के सहित तुरन्त डिप्टी मेयर तथा डिवीजन के कमिश्नर के पास अग्रसारित करेगा।

(१३) उपधारा (१२) में उल्लिखत प्रतियों के प्राप्त होने के पश्चात् तीन दिन के बाद यथाशीघ्र डिवीजन का कमिश्नर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में इस आख्या के सहित कि डिप्टी मेयर ने धारा १७ के साथ पठित उपधारा (१६) के उपबन्धों के अनुसार त्याग-पत्र अग्रसारित किया है या नहीं, उन प्रतियों को राज्य सरकार के पास भेज देगा।

(१४) प्रस्ताव तभी सफल समझा जायगा जबकि वह निगम के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया गया हो।

(१५) यदि प्रस्ताव उपर्युक्त प्रकार से सफल न हो अथवा गणपूर्ति के अभाववश अधिवेशन ही न हो सके तो अधिवेशन के दिनांक से बारह मास की अवधि समाप्त होने तक उसी डिप्टी मेयर में अविश्वास का कोई पश्चात्वर्ती प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार नहीं किया जायगा।

(१६) इस धारा के अनुसार डिप्टी मेयर के सम्बन्ध में अविश्वास का प्रस्ताव पारित और सन्दिष्ट होने पर डिप्टी मेयर :

(क) ऐसे संदेश के पाने के तीन दिन के भीतर या तो अपना पद त्याग देगा अथवा तदर्थ अपने कारण बतलाते हुये सरकार के पास प्रतिवेदन करेगा कि निगम को विघटित कर दिया जाय, तथा

(ख) ऐसे संदेश के पाने से तीन दिन की समाप्ति पर डिप्टी मेयर के रूप में काम करना रोक देगा।

(१७) उपधारा (१६) के खंड (क) के अनुसार डिप्टी मेयर के उस उपधारा में मिली हुई अवधि के भीतर कार्य करने में असफल रहने पर, राज्य सरकार आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक से उसे हटा देगी तथा इस प्रकार हटाया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं कोई बात होने पर भी अनुगामी सामान्य निर्वाचनों से पूर्व होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये पुनर्निर्वाचित होने के लिये पात्र न होगा।

(१८) यदि उपधारा (१६) के अनुसार कोई आवेदन किया जाय तो राज्य सरकार उस पर विचार करने के पश्चात् या तो डिप्टी मेयर से त्याग-पत्र दे देने को कहेगी अथवा मेयर सहित निगम को विघटित कर देगी।

(१९) यदि राज्य सरकार उपधारा (१८) के अधीन डिप्टी मेयर से त्याग-पत्र देने को कहे तो डिप्टी मेयर आज्ञा की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर त्याग-पत्र दे देगा।

(२०) उपधारा (१९) में बतलाई गई अवधि के भीतर त्याग-पत्र न देने पर डिप्टी मेयर राज्य सरकार द्वारा हटा दिया जायेगा और वह डिप्टी मेयर के अनुगामी निर्वाचन के निमित्त अथवा अनुगामी निगम के सामान्य निर्वाचन से पूर्व होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के निमित्त पात्र न होगा।

(२१) यदि राज्य सरकार उपधारा (१८) के अधीन निगम को विघटित कर देती है तो धारा ५३४ में उल्लिखित परिणाम उसी प्रकार कार्यान्वित होंगे मानो कि उस धारा के अधीन विघटन हुआ हो।

(२२) इस धारा के उपबन्धों के अधीन निगम के किसी सदस्य, डिवीजन के कमिश्नर, मेयर अथवा राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकेगा।

(२३) इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त मेयर के पद में रिक्ति की दशा में पद "मेयर" से तात्पर्य होगा उस स्थान पर उपस्थित हायर जुडीशियल सर्विस का कोई अधिकारी, जिससे इस धारा के अधीन निगम के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये डिवीजन के कमिश्नर ने प्रबंध कर लिया हो।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन को इस प्रकार रखना चाहता हूं :

खंड १४—क के उपखंड (५) में जहां शब्द "मेयर" प्रयोग हुआ है शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज" रख दिया जाय।

श्रीमन्, इस संशोधन को उपस्थित करते हुये मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस संशोधन को रखने से मेरा स्पष्ट अभिप्राय यह भी है कि इसके बाद की बाकी उप-खंडों में जहां शब्द "मेयर" प्रयोग हुआ है वहां शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज" रख दिया जाय। श्रीमन्, मैंने इस संशोधन को केवल एक भावना से रखा है और वह यह कि इस वक्त जो प्रस्तुत विधेयक में सरकार की ओर से प्राविजन है वह यह है कि अगर डिप्टी मेयर पर वोट आफ नो कान्फीडेन्स आये तो जिस मीटिंग में वह वोट आफ नो कान्फीडेन्स लिया जायगा उसकी अध्यक्षता मेयर करेंगे। इसी धारा में यह भी है कि यदि किसी कार्यवश मेयर पहली मीटिंग में जो इस काम के लिये बुलायी जाय सम्मिलित न हो सकें तो उनको अधिकार होगा कि किसी दूसरे दिन वह मीटिंग बुला सकें, लेकिन वह समय १५ दिन से अधिक नहीं होगा। इससे आप

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

इसमें ऐसी कोई प्राविजन नहीं है कि यदि कदाचित् दूसरी मीटिंग में भी मेयर का शरीक होना असम्भव हो जाय तब क्या होगा। जहां तक इस आशंका का सम्बन्ध है, ऐसी स्थिति आ सकती है कि मेयर किसी मीटिंग में शरीक न हो। तो वह आशंका तो है ही जब कि प्रत्यक्ष रूप में इस धारा में यह कहा गया है कि अगर पहली मीटिंग में वह शरीक न हो सके तो दूसरी मीटिंग के लिये वह इस विषय को मुल्तवी कर दें जिसका समय १५ दिन से अधिक नहीं होगा। जब यह आशंका है तभी इसका एक जगह सेफगार्ड किया गया है, लेकिन दूसरी जगह सेफगार्ड नहीं किया गया है।

श्रीमन्, यह धारा वर्तमान म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ३७ की अक्षरशः कापी है यदि मैं यह कहूं तो गलत न होगा। केवल अन्तर एक शब्द का है। इसमें 'डिस्ट्रिक्ट जज' की जगह 'मेयर' रखा गया है। जब डिस्ट्रिक्ट जज अध्यक्षता करता है तब यह आशा की जा सकती है कि ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती कि वह किसी मीटिंग को स्वयं बुलाये एक बार नहीं दो बार और उसमें शरीक न हो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज एक सरकारी कर्मचारी है। उसके सामने केवल सरकारी आज्ञा और कानून में दिये हुये प्राविजन्स का पालन करना ही लक्ष्य है, किसी पार्टी या व्यक्ति का कंसीडरेशन उसके सामने नहीं होता। लेकिन एक मेयर, भले ही हमने एक साल में उसके पद को बदलने का प्राविजन रखा है, उसके लिये यह कल्पना करना कि वह राजनीतिक वातावरण से अलग होगा, मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि उचित न होगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीतिक दिलचस्पी हो, जिसके राजनीतिक विचार हों, जिसके कुछ राजनीतिक हित हों, यदि वह यह निश्चय कर ले किसी वोट आफ नो कान्फीडेन्स को खत्म करने के लिये कि वह दूसरी मीटिंग में भी शरीक न हो तब मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि वह कौन-सा प्राविजन इस विधेयक में है जिसके द्वारा वह इसका इन्तजाम कर सकेगा। इसके बाद फिर यह है कि अगर उस दूसरी मीटिंग में भी किसी कारणवश वोट आफ नो कान्फीडेन्स पास न हो सके तब उसका परिणाम यह होगा कि उसके बाद एक वर्ष तक पुनः वोट आफ नो कान्फीडेन्स उस डिप्टी मेयर के खिलाफ नहीं आ सकेगा। इसके माने यह होंगे कि हम एक ऐसा दरवाजा खोलेंगे कि अगर मेयर डिप्टी मेयर की मदद करना चाहे तो उसको यह अधिकार हो कि केवल दूसरी मीटिंग में शरीक न हो कर वह इस वोट आफ नो कान्फीडेंस के शस्त्र को कुंठित कर सकता है। मैं श्रीमन्, कहूंगा कि इस प्रस्ताव को रखते समय जो अधिकार का नहीं बल्कि प्रोसीजर का सवाल है, मैं इस भावना से प्रेरित हुआ और मैं समझता हूं कि सदन के हर सदस्य का कर्तव्य है कि जो उसकी समझ में आये उसको वह सदन के सामने रखे। सदन का अधिकार है कि उससे वह लाभ उठाये और यदि अनुचित हो तो उसे अस्वीकार करे। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भाई जगदीशशरण जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज से कुछ दिन पूर्व इसी सदन में इंटेरिम कौन्सिल का एक विधेयक पेश किया गया था, उस समय इस सदन के सदस्यों की भावना का अच्छी तरह से पता जगदीशशरण जी को चल गया होगा जिसमें उन्होंने एकमत से इंटेरिम कौंसिल के अध्यक्ष के पद के लिये जिलाधीश की जो व्यवस्था है, उसके विरोध में चाहे कांग्रेस के हों, चाहे विरोधी पार्टियों के हों सब सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये थे और यह कहा था कि इस प्रकार जनप्रतिनिधि के हाथ से जनसत्ता लेकर नौकरशाही को दे रहे हैं, नौकरशाही का पंजा जनतंत्र को जकड़ने के लिये बढ़ता चला जा रहा है। जबकि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के अध्यक्ष पद पर जिलाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में 'नौकरशाही' कह कर पुकारा जाता है फिर समझ में नहीं आया कि एक निर्वाचित मेयर के अधिकारों को हटाकर डिस्ट्रिक्ट जज को बिठा देना कहां तक युक्तिसंगत है? उनका प्रस्ताव इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि जब डिप्टी मेयर के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आये तो डिस्ट्रिक्ट जज को लायें। जब बकीनन्दन बिभव जी का एक संशोधन आया था जिसका समर्थन मैंने किया

था और जिसमें यह मांग की गई थी कि जैसे मेयर के पद के लिये प्रतिष्ठा किये जाने की व्यवस्था की जा रही है कि उसका कार्यकाल एक साल के लिये सीमित रहे, जिससे उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव न आ सके, तो मेयर के साथ-साथ डिप्टी मेयर का कार्यकाल भी एक साल कर दिया जाय। यदि सदन ने उसको स्वीकार कर लिया होता तो अविश्वास का प्रस्ताव कार्पोरेशनों में नहीं आ पाता और मेयर और डिप्टी मेयर जिसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रगट करने के लिये धारायें बनाई गई हैं, उसकी व्यवस्था के लिये यह विधेयक जो इन धाराओं को पेश कर रहा है, शायद उनकी आवश्यकता ही न पड़ती। लेकिन हमें दुःख है कि इस सदन ने मेयर के साथ-साथ डिप्टी मेयर के पद को प्रतिष्ठा के प्रश्न में नहीं माना।

अभी ३–४ तारीख को उत्तर प्रदेश के मंत्रि परिषद् के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आया था उसकी ओर मैं भाई जगदीशशरण जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस पर इस सदन में बहस हुई थी। तो उसकी अध्यक्षता राज्यपाल महोदय ने या चीफ सेक्रेटरी ने नहीं की थी बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित हमारे एक माननीय सदस्य, जिनको बाद में सदन के माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया, उन्होंने जो आज भी इस पद पर आसीन हैं, इस अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये, सुनने के लिये अध्यक्षता की थी। जबकि मंत्रि परिषद् के ऊपर,अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार-विनिमय करने के लिये जनता द्वारा निर्वाचित और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष अध्यक्षता कर सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कारपोरेशन में जनता द्वारा निर्वाचित या सदस्यों द्वारा निर्वाचित मेयर अपने सहकारी डिप्टी मेयर के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आने पर अध्यक्षता क्यों नहीं कर सकता? मैं समझता हूं कि जनतन्त्र को पनपाने वाली सब से बड़ी शासक पार्टी के सदस्यों में आज जनतन्त्र के प्रति आस्था कम होती जा रही है। वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से इतना भागने लगे हैं कि वह एक साधारण मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिये सिविल सर्विस के आदमियों, आई० सी० एस० और आई० ए० एस० की आवश्यकता पड़ गयी है। उन्हें जन प्रतिनिधियों से डर लगता है। उसके लिये वह डिस्ट्रिक्ट जज को लाना चाहते हैं। इससे अधिक दुख की बात इस जनतन्त्र के लिये कोई दूसरी नहीं हो सकती।

जिस प्रकार आज मंत्रि-परिषद् में आई० सी० एस० और आई० ए० एस० न हो कर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उसी प्रकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनतन्त्र की समस्त इकाइयों में सत्ता सौंपनी चाहिये तब जा कर जनतंत्र सफल हो सकता है। लेकिन जनतन्त्र की सत्ता को जनता द्वारा निर्वाचित, जिनको जनता का विश्वास प्राप्त है उनको न सौंप कर इस जनतंत्र की मशीनरी को चलाने के लिये वैतनिक कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किये जायं, उनके ऊपर अधिक विश्वास किया जाय, तो वह दिन दूर नहीं कि जब यह नौकरशाही फ्रांस की तरह यह मांग करने लगेगी कि अल्जीरिया हमारे अधिकार में है, यदि फ्रांस की सरकार चाहती है कि अल्जीरिया की वह स्वेच्छाचारी सत्ता न रहे तो जनरल डिगाल को फ्रांस का प्रधानमंत्री बना दो। वही हुआ। वहां के अधिकारियों ने जब यह देखा कि जनतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले और लड़ने वाले व्यक्तियों ने जनतन्त्र का मखौल बनाना शुरू कर दिया तो नौकरशाही ने अपने हाथ में सत्ता लेने में कोई हिच-किचाहट नहीं की और फ्रांस की सत्ता आज जन प्रतिनिधि के हाथ में नहीं बल्कि नौकरशाह प्रधान मंत्री के हाथ में है, जनरल डिगाल के हाथ में है जिसने सत्ता इस शर्त पर अपने हाथ में ली कि वह फ्रांस के संविधान में परिवर्तन करेगा। वह परिवर्तन जन प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया जायगा, वह केवल जनता में उसकी राय के लिये प्रचलित कर दिया जायगा। इस प्रकार नौकरशाहों द्वारा फ्रांस की सारी शक्ति जनरल डिगाल के हाथ में सुपुर्द कर दी गयी जिसको पार्लियामेंट का कतई विश्वास प्राप्त नहीं था।

मैं माननीय जगदीशशरण जी से कहना चाहता हूं कि यदि हमारी यही रफ्तार रही तो भारत में जहां जनतन्त्र को हम लोग कहते हैं कि शैशवावस्था में है, उसको संरक्षण चाहिये देश की जनता अभी जनतन्त्र के बारे में परिपक्व नहीं है, इसी अपरिपक्वावस्था में अगर

[श्री जगन्नाथ लहरी]

नौकरशाही की तरफ आपने ज्यादा देखा और हर जगह अधिकार देना चाहा तो आप को इस नौकरशाही द्वारा किसी दिन यह भी मांग सुनने के लिये तैयार रहना चाहिये कि जनरल थिमैया या दूसरे व्यक्ति को पं० जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर प्रधानमंत्री बना दिया जाय तभी वह भारत की सत्ता जन प्रतिनिधियों को दी जा सकती है। अगर आप इसके लिये तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप मेयर की जगह पर डिस्ट्रिक्ट जज को या जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को अधिकार दे सकते हैं। यदि वह जन प्रतिनिधित्व में आस्था रखते हों तो जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को, उनके अध्यक्षों का सम्मान करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से इस विधान सभा में हमने जो अपनी सारी आस्था और सारी श्रृद्धा अपने द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष में निहित कर दी है और उस अध्यक्ष के सम्मान की रक्षा के लिये वह सदस्य पुलिस के द्वारा घसीटे और बाहर निकाले भी जाते हैं जो इसके अध्यक्ष के प्रति अपना असम्मान प्रकट करते हैं। आज यह सरकार नौकरशाही की नहीं है और जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आई है। इसी तरह से किसी शहर में जनप्रतिनिधियों के द्वारा मेयर निर्वाचित होगा तो हमें अपनी विधान सभा के अध्यक्ष की तरह से उसमें पूरी आस्था प्रकट करनी चाहिये। इसलिये जब हम एक मेयर का प्रतिष्ठित पद दे रहे हैं तो उस समय मेयर की अध्यक्षता करने के नाते हमको कतई इस बात का विचार नहीं करना चाहिये कि जब डिप्टी मेयर पर अविश्वास का प्रस्ताव हो तो उसकी अध्यक्षता मेयर के सिवाय दूसरा व्यक्ति करेगा। माननीय स्वशासन मंत्री ने जो मेयर के पद के लिये अधिकार दिये हैं मैं उनका हार्दिक समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं।

माननीय जगदीशशरण जी ने जो संशोधन पेश किया है मेरी जनतन्त्र के नाम पर उनसे मांग है कि जनतन्त्र को पनपाने के लिये और जनतन्त्र की रक्षा के लिये आज वह नौकरशाही के हाथ में अधिकार देने के अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें तभी यह प्रकट हो सकेगा कि सचमुच जनतन्त्र में उनकी आस्था है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं १४-क पर कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि उसमें मुझे कुछ कमी दिखाई पड़ती हैं। माननीय जगदीशशरण जी ने जो संशोधन पेश किया है जिसके ऊपर लहरी जी ने इतनी लम्बी तकरीर की और नौकरशाही का जिक्र भी आया और बहुत-सी बातें कही गईं उनका बिना जवाब दिये उसके विषय में माननीय मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। इसमें यह है कि जब डिप्टी मेयर पर अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा तो वह तभी आ सकता है जब आधे मेम्बर उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दें और तभी वह माना जायगा और तभी उसके लिये मीटिंग होगी। अगर उस मीटिंग में आध घंटे तक मेयर तशरीफ नहीं लाये तो दूसरी मीटिंग फिर होगी। मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्योंकि उपखंड (१५) में यह है कि अगर दूसरी मीटिंग कोरम की कमी या किसी अन्य वजह से नहीं हो सकी तो फिर डिप्टी मेयर के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव १२ महीने तक नहीं हो सकता तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेयर बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। अगर किसी एक मीटिंग में वह नहीं आते हैं और किसी दूसरी मीटिंग में भी नहीं आते हैं तो इस बात का कोई प्राविजन इसमें नहीं दिया हुआ है कि उस मीटिंग को कौन प्रेसाइड करेगा। उनके न आने से वह मीटिंग एक साल के लिये हट जाती है और एक साल तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं हो सकता है; मैं यह तो नहीं कह सकता कि वह पार्टी के आदमी होंगे। जैसा कि यहां पर अध्यक्ष का उदाहरण दिया गया ऐसा आदमी वहां पर भी होगा जो योग्य हो। यदि किसी दूसरी मीटिंग में बावजूद उसकी अच्छी नीयत और इच्छा के भी वह हाजिर नहीं हो सका और अगर वह मीटिंग स्थगित हो गई तो एक साल तक वह प्रस्ताव नहीं हो सकता। मैं समझता हूं इसके अन्दर लैकुना है। जितनी बातें नौकरशाही की कही गई, उनका सम्बन्ध जुडिशियरी से नहीं है, 'व्यूरो क्रेसी' के मानी 'ऐग्जीक्यूटिव आफिसर्स' है न कि 'जुडीशियल आफीसर्स' के हैं।

जब कोई बात होती है तो विरोधी पक्ष की ओर से जुडिशियल इन्क्वायरी की बात कही जाती है। उनको प्रदेश की जुडिशियरी में पूरा विश्वास है। इसलिये वे इस बात की मांग करते हैं कि मैजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी न हो बल्कि किसी जज से इन्क्वायरी हो। आज लहरी जी की तरफ से जितनी दलील दी गई उसमें उन्होंने पहले विरोधी दल की कही हुई बातों का खंडन किया। मैं इतनी बात जानना चाहता हूं कि मुझे यह आशंका है कि अगर मेयर साहब किसी वजह से न आ सकें, मैं यह नहीं कहता कि वह किसी पार्टी बन्दी में पड़ते हैं या नहीं, मैं यह मानकर चलता हूं कि जैसे हमारे यहां अध्यक्ष ने पार्टी में रहकर भी एक परम्परा स्थापित की है, वह भी इसी प्रकार के व्यक्ति होंगे। मगर यदि वह किसी वजह से न आ सकें अपनी कोशिश के बावजूद तो उस मीटिंग में कोई प्राविजन इस तरह का होना चाहिये कि या तो मेम्बर किसी को अपना चेयरमैन चुन दे और वह उसे कंडक्ट करे या फिर कमिश्नर साहब या जज साहब उसके प्रेसीडेंट हों या जो कुछ भी हो, लेकिन कोई प्राविजन इस के लिये अवश्य होना चाहिये कि दूसरी मीटिंग अवश्य होगी और उसमें कोई न कोई प्रेसाइड करेगा और उसमें कोई न कोई निर्णय लिया जायगा कि उन पर अविश्वास का प्रस्ताव हुआ या नहीं। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जिस दृष्टि से यह नगर निगम बनाये जा रहे हैं उन में दृष्टि यह है कि जनता की ओर से चुन कर आदमी आयेंगे और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा नगर का, वह कम से कम इतने नीचे के स्तर तक नहीं उतरेगा। यह कल्पना की जा सकती है कि वह पहली मीटिंग में किसी वजह से न आ सके, लेकिन दूसरी मीटिंग में भी वह नहीं आयेगा, हालांकि वह १४ दिन के भीतर ही होगी, यह कल्पना हमने नहीं की। यह कल्पना इसमें नहीं की गयी। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्राविजन इसमें हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वह दूसरी मीटिंग में न आये तो और तीसरी मीटिंग हो तो उस में डिस्ट्रिक्ट जज प्रेसाइड कर लें, अगर इस तरह का कोई संशोधन आजाय तो मैं उसको मान लूंगा और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस के लिये अच्छा हो कि हम अगले खंड को ले लें और इस को इस समय छोड़ दें। जब इसकी बिल्डिंग आदि बन कर आ जायगी तो हम इसको ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—तो १४-क पर मैं अभी राय नहीं लेता हूं। इसको बाद में लिया जायगा। और इस समय खंड १५ लेता हूं।

(खंड १४-क पर विचार स्थगित किया गया।)

खंड १५ और १६

१५—यदि मेयर अन्यथा निगम का सदस्य नहीं है तो वह पदेन उसका सदस्य होगा। मेयर तथा डिप्टी मेयर, सदस्य होंगे।

(२) निगम अथवा उसकी समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते समय मेयर मतों की समानता (equality of votes) की दशा में एक निर्णायक मत (casting vote) देने का अधिकारी होगा परन्तु सदस्य के रूप में उसे मत देने का अधिकार न होगा।

१६— मेयर को ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, जो निगम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे, दिये जायेंगे। मेयर के भत्ते।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ और १६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

मेयर तथा डिप्टी-मेयर का त्याग-पत्र ।

१७--(१) यदि मेयर अपना पद त्याग करना चाहे, तो वह राज्य सरकार को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ऐसा कर सकता है, और यह त्याग-पत्र म्युनिसिपल कमिश्नर को दी गयी इस सूचना के दिनांक से प्रभावी होगा कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

(२) डिप्टी मेयर किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो मेयर को संबोधित होगा अपना पद-त्याग कर सकता है और यह त्याग-पत्र मेयर को मिलने के पश्चात् ही प्रभावी हो जायगा ।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"(१) यदि मेयर अपना पद त्याग करना चाहे, तो वह अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो राज्य सरकार को संबोधित होगा ऐसा कर सकता है , और यह त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिन यह सूचना कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, म्युनिसिपल कमिश्नर को प्राप्त हो ।"

श्रीमन्, यह संशोधन केवल शाब्दिक है और कुछ शब्दों का हेर फेर है । अतः इसमें और कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:

"(१) यदि मेयर अपना पद त्याग करना चाहे, तो वह अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो राज्य सरकार को संबोधित होगा ऐसा कर सकता है, और यह त्याग -पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिन यह सूचना कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, म्युनिसिपल कमिश्नर को प्राप्त हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १८

एल्डरमैनों के निर्वाचन की अर्हताएं ।

१८---कोई भी व्यक्ति तब तक एल्डरमैन के स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने के निमित्त अर्ह न होगा जब तक कि वह---

(क) नगर में निर्वाचक नहीं है ; तथा

(ख) ३० वर्ष से कम की आयु का ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

नोट---खण्ड १९ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया ।

खण्ड २०—२३

२०—(१) एल्डरमैन का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (system of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़शलाका (secret ballot) द्वारा होगा । एल्डरमैन का निर्वाचन ।

(२) ऐसा एल्डरमैन जो पद से हट रहा हो, पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।

२१—यदि किसी एल्डरमैन की पदावधि समाप्त होने के पूर्व उसके स्थान की रिक्ति उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाये जाने, निर्वाचन के परिवर्जन (avoidance) अथवा अन्य किसी कारण से हो जाय तो ऐसी रिक्ति के होने के पश्चात् यथाशीघ्र दूसरा एल्डरमैन यथाशक्य उसी रीति से, किन्तु इस अधिनियम में एतदर्थ बनाये गये अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निर्वाचित किया जायगा, जो सामान्य निर्वाचन में एल्डरमैन के निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन उपबन्धित हो : एल्डरमैनों के पद की आकस्मिक रिक्ति ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पद से हटने वाले (outgoing) एल्डरमैन की पदावधि साधारणतया रिक्ति होने से ४ महीने के भीतर समाप्त हो रही हो, तो रिक्ति बिना पूर्ति छोड़ दी जायगी जब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करे ।

२२—कोई भी एल्डरमैन किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो मेयर को संबोधित होगा अपना पद त्याग सकता है, और उसका त्याग-पत्र मेयर को प्राप्त हो जाने के बाद ही प्रभावी हो जायगा । एल्डरमैन का त्याग-पत्र ।

२३—कोई भी व्यक्ति कौंसिलर के स्थान के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह— कौंसिलर के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्हताएं ।

(क) नगर का निर्वाचक न हो ; तथा

(ख) स्थान के अनुसूचित (scheduled) जातियों के लिए रक्षित होने की दशा में उक्त जातियों में किसी एक का सदस्य न हो ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २०, २१, २२ और २३ इस विधेयक के अंग माने जावें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २४

२४—(१) कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, एल्डरमैन अथवा कौंसिलर चुने जाने तथा होने के लिए अनर्ह होगा यदि— एल्डरमैनों तथा कौंसिलरों की अनर्हताएं ।

(क) इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी सिद्ध किया गया हो, तथा उसे ६ महीने से अन्यून अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि न व्यतीत हो गयी हो ;

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(ग) निगम में लाभ के किसी पद पर हो ;

(घ) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल अथवा अतिरिक्त या सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल अथवा अवैतनिक मैजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुन्सिफ अथवा अवैतनिक असिस्टेंट कलेक्टर हो ;

(ङ) वह चाहे स्वयं, चाहे उसके लिए न्यासी के रूप में, अथवा उसके लाभ के लिए या उसके लेखा में किसी व्यक्ति द्वारा, निगम को माल सम्भारित करने के लिए किसी निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिए किन्हीं सेवाओं को जिनका भार निगम ने अपने ऊपर लिया हो, सम्पन्न करने के लिए किये गये किसी संविदे में कोई हिस्सा (share) या हित (interest) रखता हो ;

(च) वह किसी ऐसे कर का बकाया जो उसे न्यासी होने से भिन्न दशा में, निगम को देना है, म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा उस प्रयोजन के लिए उस पर नोटिस तामील किये जाने के बाद से तीन महीने के भीतर अदा नहीं कर देता ;

(छ) यदि भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करके भ्रष्टाचार अथवा राज्यद्रोह के लिए पदच्युत हो चुका हो, जब तक कि उसके पदच्युत होने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि न व्यतीत हो गयी हो ;

(ज) वह किसी सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा से वकालत करने के लिए विवर्जित कर दिया गया है ;

(झ) वह इस अधिनियम की धारा ७९ तथा ८२ के अधीन निगम का सदस्य होने के लिए अनर्ह है ;

(ञ) वह कोढ़-ग्रस्त है, अथवा किसी ऐसे संसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त है, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे और सिविल सर्जन से अन्यून पद के किसी चिकित्साधिकारी (Medical Officer) ने उस रोग को असाध्य (incurable) घोषित कर दिया है :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि (च) की दशा में बकाया अदा कर देने पर तुरन्त अनर्हता समाप्त हो जायगी।

(२) कोई भी व्यक्ति जो पहले ही से कौंसिलर या एल्डरमैन हो, निगम को पुनः संघटित करने के लिए सामान्य निर्वाचन पर के सिवाय क्रमशः एल्डरमैन अथवा कौंसिलर चुने जाने के लिए अनर्ह होगा।

(३) कोई भी व्यक्ति जो किसी कौंसिलर के स्थान के लिए मतदान में हार चुका हो अपने इस निर्वाचन फल की घोषणा से छः महीने की अवधि तक एल्डरमैन के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनर्ह रहेगा।

(४) कोई व्यक्ति एल्डरमैन अथवा कौंसिलर चुन लिये जाने पर एल्डरमैन या कौंसिलर बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह—

(१) स्वयं अथवा किसी ऐसे फर्म के नाम से, जिस में वह साझीदार है, अथवा जिसके साथ वह बृत्तिक हैसियत से लगा हुआ है,

किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के सिलसिले में जिसमें निगम अथवा म्युनिसिपल कमिश्नर का कोई हित या सम्बन्ध है (interested or concerned) वह वृत्तिक हैसियत (professional capacity) से रोक रक्खा जाता है अथवा नियोजित किया जाता है, अथवा

(२) बीमारी अथवा निगम द्वारा स्वीकृत अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति को छोड़ कर निगम के अधिवेशनों में लगातार छः महीने तक अनुपस्थित रहता है ।

(५) उपधारा (१) के खंड (ङ) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस लिए अनर्ह हुआ न समझा जायगा कि उसका निम्नलिखित में कोई हिस्सा या हित है:

(१) कोई संयुक्त सम्भार समवाय (Joint Stock Company) अथवा कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१० के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझी गयी कोई समिति, जिससे निगम की ओर से म्युनिसिपल कमिश्नर संविदा करेगा अथवा जिसे वह नियोजित करेगा ;

(२) निगम के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को बेची जाने वाली किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक (occasional) विक्रय में, जिसमें वह किसी कलेंडर वर्ष में कुल मिला कर २,००० रु० से अनधिक मूल्य का नियमित रूप से व्यापार करता है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ के उपखंड (१) के भाग (च) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय :

"(च) वह निगम को देय ऐसे कर के जिन पर धारा ५०० लागू होती है अथवा ऐसे मूल्य के जो निगम द्वारा दिये गयं पानी के लिये देय हो, एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार हो।"

अध्यक्ष महोदय, यह एल्डरमैन के डिसक्वालीफीकेशन के विषय पर है। पहले (च) से यह पूरा साफ नहीं होता है। पेमेंट के एरियर्स जो ३ महीने में देने की इस में व्यवस्था है उसे नामिनेशन से ४ महीने पहले नोटिस देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसे दूर करने के लिये मौजूदा म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के मुताबिक यह क्लाज रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मंजूर है यह ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (१) के भाग (च) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(च) वह निगम को देय ऐसे कर के जिन पर धारा ५०० लागू होती है अथवा ऐसे मूल्य के जो निगम द्वारा दिये गये पानी के लिये देय हो, एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड २४ के उपखंड (१) के अन्त में दिये हुये प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध और जोड़ दिया जाय:

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी के मूल्य का बकाया जो उस क्षेत्र जिसको अब नगर घोषित कर दिया गया है में क्षेत्राधिकार रखने वाली नगरपालिका अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय हो उसको निगम का बकाया समझा जायेगा।"

खंड २४ के उपखंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित को उपखंड (५) करके रक्खा जाय और वर्तमान उपखंड (५) को उपखंड (६) कर दिया जाय :

"(५) उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिये अनर्ह हुआ न समझा जायगा कि वह—

(१) कोई पेंशन पाता है,

(२) मेयर या डिप्टी मेयर या कौंसिलर अथवा एल्डरमैन के रूप में काम करते हुये कोई भत्ता या सुविधा पाता है।"

खंड २४ के अन्त में निम्नलिखित को उपखंड (७) के रूप में रखा जाय:

"(७) कोई भी व्यक्ति जो एल्डरमैन या कौंसिलर चुने जाने के पश्चात इस धारा के अन्तर्गत अनर्ह हो जाता है एल्डरमैन या कौंसिलर, जैसी भी स्थिति हो, नहीं रहेगा और उसका स्थान रिक्त हो जायगा।"

अध्यक्ष महोदय, यह परिवर्तन इसलिये आवश्यक हो गये कि संशोधन संख्या ३२ में एग्जेम्पशन दिया गया है और ३३ में उसका जो इफेक्ट होगा, उसकी व्यवस्था की गयी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे यह तीनों संशोधन स्वीकार हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (१) के अन्त में दिये हुए प्रतिबंध के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध और जोड़ दिया जाय :

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी के मूल्य का बकाया जो उस क्षेत्र जिसको अब नगर घोषित कर दिया गया है, में क्षेत्राधिकार रखने वाली नगरपालिका अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय हो उसको निगम का बकाया समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित को उपखंड (५) करके रखा जाय और वर्तमान उपखंड (५) को उपखंड (६) कर दिया जाय :

"(५) उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिये अनर्ह हुआ न समझा जायगा कि वह—

(१) कोई पेंशन पाता है,

(२) मेयर या डिप्टी मेयर या कौंसिलर अथवा एल्डरमैन के रूप में काम करते हुए कोई भत्ता या सुविधा पाता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ के अन्त में निम्नलिखित को उपखंड (७) के रूप में रखा जाय :

"(७) कोई भी व्यक्ति जो एल्डरमैन या कौंसिलर चुने जाने के पश्चात् इस धारा के अन्तर्गत अनर्ह हो जाता है एल्डरमैन या कौंसिलर, जैसी भी स्थिति हो, नहीं रहेगा और उसका स्थान रिक्त हो जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५–३०

कौंसिलर तथा एल्डरमैन की पदावधि।

२५—(१) आकस्मिक रिक्ति के निमित्त निर्वाचित कौंसिलर या एल्डरमैन से भिन्न कौंसिलर अथवा एल्डरमैन की पदावधि निगम के कार्यकाल के समकक्ष होगी।

(२) आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए निर्वाचित किसी भी कौंसिलर अथवा एल्डरमैन का कार्यकाल उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि का अवशिष्ट भाग होगा।

कौंसिलरों का निर्वाचन।

२६—(१) कौंसिलरों का निर्वाचन इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बने नियमों के अनुसार प्रौढ़ मताधिकार प्रणाली के अनुसार होगा।

(२) अपने पद से हटने वाला कौंसिलर पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

कौंसिलर के पद की आकस्मिक रिक्ति।

२७—यदि किसी कौंसिलर की पदावधि समाप्त होने के पूर्व उसके स्थान की रिक्ति उसकी मृत्यु अथवा त्याग-पत्र, अथवा अन्य किसी कारण से हो जाय, तो ऐसी रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र दूसरा कौंसिलर यथाशक्य उसी रीति से, किन्तु इस अधिनियम में एतदर्थ बनाये गये अन्य उपबन्धों के अधीन रहत हुए निर्वाचित किया जायगा, जो सामान्य निर्वाचन पर कौंसिलरों के निर्वाचन के लिये इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन उपबन्धित हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पद से हटने वाले (outgoing) कौंसिलर की पदावधि साधारणतया रिक्त होने के चार महीने के भीतर समाप्त हो रही हो तो ऐसी रिक्ति बिना पूर्ति के छोड़ दी जायगी जब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करे।

कौंसिलरों का त्याग-पत्र।

२८—कोई कौंसिलर किसी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो मेयर को संबोधित होगा अपना पद त्याग सकता है और उसका त्याग-पत्र मेयर को प्राप्त हो जाने के बाद ही प्रभावी हो जायगा।

२९—एक से अधिक कक्ष के निमित्त एक ही व्यक्ति का निर्वाचन—

(१) यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्ष से निर्वाचित हो जाय तो वह ऐसे अन्तिम निर्वाचन के दिनांक के तीन दिन के भीतर म्युनिसिपल कमिश्नर को उस कक्ष की सूचना देगा जिसकी सेवा में वह रहना चाहता ह।

(२) ऐसी सूचना न देने पर कमिश्नर लाटरी डालकर वह कक्ष निर्धारित करेगा और उसको अधिसूचित करेगा जिसकी सेवा में ऐसा व्यक्ति रहगा।

(३) ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने हुए अथवा अधिसूचित कक्ष के लिए ही निर्वाचित समझा जायगा तथा अन्य किसी कक्ष अथवा कक्षों से प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां नवीन निर्वाचन द्वारा इस प्रकार भरी जायंगी मानो कि वे आकस्मिक रिक्तियां हों ।

कक्षों की व्यवस्था ।

३०—(१) कौंसिलरों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ धारा ३ में दी हुई रीति से प्रत्येक नगर कक्षों (wards) में बांटा जायगा और प्रत्येक कक्ष के लिये पृथक निर्वाचक नामावली होगी ।

(२) प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व इंडियन सेन्सस ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अधीन की गयी अंतिम जनगणना में निर्दिष्ट उसकी जन-संख्या के आधार पर होगा और यथासंभव उसी अनुपात में होगा जो धारा ६ के अधीन निश्चित की गयी कौंसिलरों की कुल संख्या और नगर की कुल जन-संख्या में हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५, २६, २७, २८, २९ और ३० इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १ —४१

परिसीमन आज्ञा ।

३१—(१) राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निम्नलिखित निर्धारित करेगी:—

(क) कक्षों की वह संख्या जिनमें कौंसिलरों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ नगर को बांटा जायगा ;

(ख) प्रत्येक कक्ष का विस्तार (extent);

(ग) प्रत्येक क्षेत्र के लिये निर्दिष्ट किये गये स्थानों की संख्या; और

(घ) अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या, यदि कोई हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा का पांडुलेख आपत्तियों के लिये, जो १५ दिन से कम न हो, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा।

(३) राज्य सरकार उपधारा (२) के अधीन की गयी किन्हीं आपत्तियों पर विचार करेगी, और यदि आवश्यक हुआ तो तदनुसार आज्ञा का पांडुलेख संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत किया जायगा और तत्पश्चात् वह अन्तिम हो जायगा।

परिसीमन आज्ञा में परिवर्तन अथवा संशोधन और उसका प्रभाव ।

३२—(१) राज्य सरकार अपनी किसी परवर्ती आज्ञा (subsequent order) द्वारा धारा ३१ की उपधारा (३) के अधीन की गयी किसी भी अन्तिम आज्ञा को परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकती है ।

(२) इस धारा के अधीन किसी भी अन्तिम आज्ञा के परिवर्तन अथवा संशोधन के पश्चात् राज्य सरकार विद्यमान कौंसिलरों को परिवर्तित, अथवा संशोधित कक्षों में इस प्रकार विभाजित (apportion) कर देगी कि जहां तक युक्तितः साध्य हो, वे अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों को यथासम्भव अधिक से अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व करते रहें।

(३) विद्यमान कौंसिलर उसी कक्ष में पदासीन होगा जो उसे नियत किया गया है और उस पद पर ऐसी अवधि तक के लिये आसीन रहेगा, जिस अवधि तक के लिये वह उस पर ऐसी दशा में पदासीन रहता यदि कक्ष अपरिवर्तित तथा असंशोधित ही रहे होते ।

एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर ।

३३—प्रत्येक कक्ष के लिये एक-एक एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर होगा जो राज्य सरकार का ऐसा पदाधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नामोदिष्ट (designate) अथवा नाम निर्देशित करे।

प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचन नामावली ।

३४—प्रत्येक कक्ष के लिये एक निर्वाचन नामावली होगी, जिसे एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण (supervision) में बनायेगा।

निर्वाचकों की अर्हताएं ।

३५—धारा ३६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जो उस कक्ष में समाविष्ट क्षेत्र से संबद्ध विधान सभा की निर्वाचक सूचियों में पंजीकृत होने के लिए अर्ह है अथवा जिसका नाम उसमें दर्ज है, उस कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन (registration) का पात्र होगा :

निर्वाचकों की अनर्हताएं ।

३६—(१) यदि कोई व्यक्ति विधान सभा की सूचियों में पंजीयन के लिये अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिये अनर्ह है तो वह निर्वाचन नामावली में पंजीयन के लिये अनर्ह होगा।

(२) कोई व्यक्ति, है जो पंजीयन के पश्चात् उपर्युक्त-रूप से अनर्ह हो जाता है, का नाम उस कक्ष की उस निर्वाचन नामावली से जिसमें उसका नाम लिखा है, तुरन्त ही काट दिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उप-धारा (१) के अधीन किसी अनर्हता के कारण किसी व्यक्ति का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में काट दिया जाता है तो उक्त नामावली के प्रचलित रहने (in force) की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्धों, अथवा उक्त अनर्हता निवारण को प्राधिकृत करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन उपर्युक्त अनर्हता समाप्त कर दिये जाने पर उसे तुरन्त पुनः दर्ज कर लिया जायगा ।

पंजीयन एक कक्ष तथा एक स्थान में होगा ।

३७—(१) कोई भी व्यक्ति एक ही नगर में एक से अधिक कक्षों के लिये निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र न होगा ।

(२) कोई भी किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का पात्र न होगा।

निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना ।

३८—(१) एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर, किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली को तैयार करने के निमित्त उस कक्ष में समाविष्ट क्षेत्र से सम्बद्ध विधान-सभा की सूचियों को अंगीकृत करेगा और उन्हें धारा ४० के अधीन विहित रीति से प्रकाशित करेगा, तथा इसके प्रकाशित हो जाने पर वह इस अधिनियम के अधीन अथवा इस के अनुसार किये गये किसी ऐसे परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा परिष्कार के अधीन रहते हुए उक्त कक्ष के लिये इस अधिनियम के अनुसार बनायी गयी निर्वाचक नामावली समझी जायेगी ।

(२) यदि रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, १९५० अथवा उसके द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन, कक्ष के क्षेत्र से संबद्ध विधान सभा की सूचियों से कोई परिवर्द्धन लोप, परिवर्तन अथवा अन्य संशोधन किया जाय, तो उस कक्ष से सम्बद्ध तत्स्थानी (corresponding) निर्वाचक नामावली में भी यथाशीघ्र तदनुरूप संशोधन किया जायगा ।

निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक पुनरीक्षण ।

३९--इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक कक्ष की निर्वाचक नामावली प्रतिवर्ष पुनरीक्षित होगी ।

निर्वाचकों तथा निर्वाचक नामावलियों से संबद्ध अन्य विषय ।

४०--राज्य सरकार, निर्वाचक नामावली से सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के संबंध में आज्ञा द्वारा उपबन्ध बना सकती है, अर्थात् --

(क) दिनांक, इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां और बाद में तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां प्रवृत्त होंगी तथा उसके प्रवर्धन की अवधि ;

(ख) सम्बद्ध निर्वाचक (elector) के प्रार्थना-पत्र पर निर्वाचक नामावली की किसी वर्तमान प्रविष्टि को ठीक करना ;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिक अथवा मुद्रण संबंधी गलतियों का ठीक करना,

(गग) किसी क्षेत्र के संबंध में, निर्वाचक नामाविलियों में बहुत से नाम न होने की दशा में, उनमें सुधार करना ;

(घ) निर्वाचक नामावलियों में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज करना--

(१) जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा की सूचियों में है, परन्तु कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, अथवा जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज कर लिया गया है ; अथवा

(२) जिसका नाम विधान सभा की सूचियों में दर्ज नहीं है परन्तु जो अन्यथा कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिये अर्ह है ;

(घघ) ऐसे व्यक्तियों के नाम का अपवर्जन जो पंजीयन के लिये अनर्ह हैं ;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों का अभिलेख रखना जो मत देने के लिये अनर्ह हैं ;

(ङङ) नामों के समावेश तथा अपवर्जन के निमित्त प्रार्थना-पत्र पर देय शुल्क ;

(च) निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक पुनरीक्षण ;

(छ) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा तथा परिरक्षण (custody and preservation); तथा

(ज) सामान्यता निर्वाचक नामावलियां तैयार करने तथा उसे प्रकाशित करने से सम्बद्ध सभी विषय ।

मत देने का अधिकार।

४१--(१) इस अधिनियम द्वारा स्पष्टरूप से उपबंधित दशा को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी नहीं होगा तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम तत्समय कक्ष की किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज है उस कक्ष में मत देने का अधिकारी होगा ।

(२) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष के किसी निर्वाचन में मत नहीं दे सकेगा यदि वह धारा ३६ में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी के अधीन है।

(३) कोई भी व्यक्ति किसी सामान्य निर्वाचन में निगम के एक से अधिक कक्ष में मतदान नहीं करेगा, और यदि वह उक्त किसी एक से अधिक कक्षों में मतदान करता है, तो सभी कक्षों में उसके मत शून्य हो जायेंगे।

(४) इस बात के होते हुए भी किसी निर्वाचक का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार दर्ज हो गया है, वह व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा यदि वह मतदान करता है, तो उस कक्ष में उसके सभी मत शून्य हो जायेंगे।

(५) यदि कोई व्यक्ति कारावास की, निर्वासन की अथवा अन्य किसी प्रकार की दंडाज्ञा के अधीन किसी कारावास में बन्द है अथवा पुलिस की वैध अभिरक्षा (lawful custody) में है तो वह मतदान नहीं करेगा :

किन्तु प्रबन्ध यह है कि उपधारा में कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत निवारक निरोध (preventive detention) के अधीन हो।

मतदान प्रणाली।

४२--(१) बहुसंख्यक सदस्य वाले कक्षों में प्रत्येक निर्वाचक को उतने ही मत देने का अधिकार होगा जितने सदस्य निर्वाचित किये जाने को होंगे, परन्तु कोई भी निर्वाचक किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा।

(२) यदि कोई निर्वाचक उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी उम्मीदवार को एक से अधिक मत देगा तो मतगणना के समय उसके द्वारा उक्त उम्मीदवार को दिये गये मतों में से एक से अधिक मतों की उसके पक्ष में गणना नहीं की जायेगी और उक्त उम्मीदवार को उसके द्वारा दिये गये एक के अतिरिक्त अन्य सभी मत शून्य समझकर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

मतदान रीति।

४३--किसी कक्ष के प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान लिया जाय मत गूढ़शलाका (secret ballot) द्वारा दिये जायेंगे, तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (proxy) द्वारा नहीं लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३१ से ४३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४४

निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण (supervision)।

४४--निगम के मेयर, एल्डरमैन तथा कौंसिलरों के निर्वाचनों का संचालन सीधे निर्वाचन संचालक के पर्यवेक्षण में होगा।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं--

"खंड ४४ की पंक्ति २ के शब्द 'निर्वाचन संचालक' के स्थान पर शब्द 'निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय)' रख दिये जायं।"

यह तो एक टेक्निकल सा है। इस के पहले भी एक बार यहां आया था शायद। वह पेश नहीं हो सका। इसलिये इस में कोई विवादग्रस्त प्रश्न नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जो इसको स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४४ की पंक्ति २ के शब्द "निर्वाचन संचालक" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय)" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूं । जबकि यह खंड ४४ में हमने संशोधन स्वीकार कर लिया और दूसरे खंडों में भी यही शब्द आये हैं और वहां पर यह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया है तो क्या यह संशोधन पूरे विधेयक पर लागू होगा ?

श्री अध्यक्ष—यह कहां पर आप कहते हैं कि लागू नहीं हुआ ? अस्वीकृत कहां पर हुआ ?

श्री जगन्नाथ लहरी—यह खंड २ में श्री सुरेशप्रकाशसिंह जी का था "निर्वाचन संचालक" के स्थान पर "निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय)" रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—यह तो स्वीकृत हो गया था ।

श्री जगन्नाथ लहरी—तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४५ व ४६

निर्वाचनों के संचालक सम्बन्धी आदेश ।

४५—यदि किसी मामले के संबंध में जहां तक इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध नहीं बनाये गये हैं, राज्य सरकार आदेश द्वारा मेयर तथा डिप्टी मेयर के पदों तथा एल्डरमैन और कौंसिलरों के स्थानों के निर्वाचनों से संबंधित मामलों की व्यवस्था कर सकती है, अर्थात्—

(क) निर्वाचनों के लिये विज्ञप्तियों तथा नोटिसों का जारी करना,

(ख) रिटर्निंग अफसरों, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों, प्रिजाइडिंग अफसरों तथा पोलिंग अफसरों और क्लर्कों की नियुक्ति, उनके अधिकार और कर्तव्य;

(ग) नाम निर्देशन, परीक्षण, नाम वापस लेने तथा मतदान के लिये दिनांकों को निश्चित करना;

(घ) वैध (Valid) नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की रीति तथा तदर्थ अपेक्षायें, नाम निर्देशनों का परीक्षण तथा उम्मेदवारी से नाम वापस लेना;

(ङ) निर्वाचक-अभिकर्ताओं, मतदान अभिकर्ताओं तथा गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य;

(च) सामान्य निर्वाचनों के सम्बन्ध में प्रक्रिया, जिसमें मतदान के पूर्व ही किसी उम्मेदवार की मृत्यु हो जाना भी है, सविरोध एवं निर्विरोध निर्वाचनों (contested or uncontested) की प्रक्रिया, कक्षों में जहां अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित हैं, निर्वाचनों के लिये विशेष प्रक्रिया;

(छ) मतदाताओं की पहचान (identification);

(ज) मतदान का समय;

(झ) मतदान का स्थगित किया जाना तथा फिर से मतदान करना,

(ञ) निर्वाचनों में मतदान की रीति;

(ट) मतों का परीक्षण तथा उनकी गणना और पुनर्गणना तथा मतों की संख्या की समानता की दशा में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और परिव्ययों की घोषणा;

(ठ) कौंसिलर, एल्डरमैन, मेयर अथवा डिप्टी मेयर के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के नामों की विज्ञप्ति;

(ड) जमा हुई धनराशियों की वापसी तथा जब्ती;

(ढ) प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग एजेंट तथा अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान की रीति, जो किसी कक्ष में निर्वाचन के कारण मतदान के अधिकारी हैं किन्तु जो किसी ऐसे पोलिंग स्टेशन पर कार्य के लिये नियुक्त किया गया है, जहां वह मतदान का अधिकारी नहीं है;

(ण) प्रक्रिया जो अनुसरित की जायगी, ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान के संबंध में जो अपने को ऐसा निर्वाचक बतलाता है जिसके नाम से कोई अन्य व्यक्ति मत दे चुका है;

(त) बैलट बाक्सों, बैलट पेपरों तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कागज-पत्रों की अभिरक्षा, अवधि, जब तक के लिये उन्हें सुरक्षित रखना है तथा ऐसे कागज-पत्रों का निरीक्षण करना तथा उन्हें प्रस्तुत करना ;

(थ) आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिये उपनिर्वाचन;

(द) निर्वाचन पत्रों की प्रतियों को जारी करना तथा उन प्रतियों के लिये मूल्य निर्धारित करना ;

(ध) मेयर, डिप्टी मेयर तथा एल्डरमैन के निर्वाचनों के लिये कौंसिलरों तथा एल्डरमैनों की सूची रखना; और

(न) सामान्यतया निर्वाचनों के संचालन संबंधी अन्य सभी विषय ।

निर्वाचनों का न हो पाना ।

४६--(१) यदि कौंसिलर अथवा एल्डरमैन की किसी निर्वाचन में कोई स्थान बिना पूर्ति के रह जाता है, तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये फिर से निर्वाचन होगा ।

(२) निर्वाचन के संचालन तथा कौंसिलर अथवा एल्डरमैन के कार्य-काल के निर्धारण के लिये उपधारा (१) के अधीन हुए निर्वाचन के विषय में यह समझा जायगा कि वह आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४५ और ४६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४७

निर्वाचन अपराध।

४७—(१) रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, १९५१ के भाग ७ के अध्याय ३ की धारा १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३४, १३५ और १३६ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानों :—

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में उसमें आया हुआ निर्देश (reference) इस अधिनियम के अधीन किया गया निर्वाचन के निर्देश हों ;

(ख) शब्द "कान्स्टीट्यूएन्सी" के स्थान पर शब्द "वार्ड" रख दिया गया हो ; और

(ग) धारा १३४ तथा १३६ में शब्द "by or under this Act or under the Representation of the People Act, 1950 (XLIII of 1950)" के स्थान पर शब्द "by or under the U. P. Municipal Corporations Act, 1957" रख दिये गये हों ;

(२) यदि निर्वाचन संचालक को यह विश्वास करने का कारण हो कि निगम के किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त अध्याय की धारा १२९ या १३४ अथवा धारा १३६ की उप-धारा (२) के खंड (ए) के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, तो वह ऐसी जांच करा सकता है और ऐसे अभियोजन (prosecutions) चला सकता है जो उसे परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक प्रतीत हों।

(३) धारा १२९ अथवा १३४ के अधीन अथवा धारा १३६ की उप-धारा (२) के खंड (ए) के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई कोई न्यायालय तब तक न करेगा जब तक निर्वाचन संचालक की आज्ञा द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन कोई शिकायत न की जाय।

श्री उमाशंकर शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४७ में निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड ४७ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में तथा उपखंड (३) की पंक्ति ३ के शब्द 'निर्वाचन संचालक' के स्थान पर शब्द 'निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय)' रख दिये जायं।"

यह बिलकुल उसी तरह का है जो अभी पहले पेश किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह भी स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४७ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में तथा उपखंड (३) की पंक्ति ३ के शब्द "निर्वाचन संचालक" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४८—५३

न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों पर रोक।

४८—रिटर्निंग अफसर द्वारा अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये किसी कार्य अथवा दिये गये किसी निर्णय की वैधानिकता पर आपत्ति करने का अधिकार किसी भी व्यवहार (Civil) न्यायालय को न होगा।

निर्वाचन तथा रिक्ति की विज्ञप्ति।

४९—मेयर, डिप्टी मेयर, एल्डरमैन अथवा कौंसिलर के प्रत्येक निर्वाचन और मेयर, डिप्टी मेयर, एल्डरमैन अथवा कौंसिलर के पद की प्रत्येक रिक्ति की विज्ञप्ति सरकारी गजट में विहित रीति से की जायगी।

कार्यकारिणी समिति का संगठन तथा अवधि।

५०—(१) कार्यकारिणी समिति :

(क) डिप्टी मेयर जो पदेन कार्यकारिणी समिति का सभापति (Chairman) होगा; तथा

(ख) ऐसे १२ व्यक्तियों को, जो निगम द्वारा कौंसिलरों और एल्डरमैन में से चुने जायेंगे;

से मिल कर बनेगी।

(२) कार्यकारिणी समिति ने प्रथम अधिवेशन में तथा तत्पश्चात् उतनी बार जितना कि उप-सभापति के स्थान की रिक्ति की पूर्ति करने के निमित्त आवश्यक हो अपने सदस्यों में से किसी एक को उप-सभापति निर्वाचित करेगी।

(२-क) उप-सभापति ज्यों ही वह कार्यकारिणी समिति का सदस्य न रहे, उप-सभापति न रहेगा।

(३) उप-धारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति निगम द्वारा सामान्य निर्वाचन के पश्चात् होने वाले उसके प्रथम अधिवेशन में निर्वाचित किये जायेंगे।

(३-क) कार्यकारिणी समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष में उस महीने की पहली तारीख के मध्यान्ह में जिस में कि उप-धारा (३) में उल्लिखित निगम का पहला अधिवेशन निष्पन्न हुआ था, सेवा निवृत्त हो जाया करेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो तब कार्यकारिणी समिति के समस्त पदासीन सदस्य उप-धारा (३) के अधीन नयी समिति के निर्मित होने पर सेवा निवृत हो जायेंगे।

(३-ख) वे सदस्य जो उप-धारा (३-क) के अधीन, अपने, उप-धारा (३) के अन्तर्गत निर्वाचन के एक वर्ष पश्चात् सेवा निवृत होंगे, उप-धारा (३-क) में निर्दिष्ट सेवा निवृत के पूर्व ऐसे समय और रीति से जिसे कार्यकारिणी समिति का सभापति अवधारित करे लाटरी डालकर निर्धारित किये जायेंगे तथा अनुगामी वर्षों में वे ही सदस्य इस धारा के अधीन सेवा निवृत होंगे, जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा हो। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस सदस्य की दशा में जो पुर्नानियुक्त हुआ हो, उसके इस उप-धारा के प्रयोजनों के निमित्त कार्यकाल का आकलन उसकी पुर्नानियुक्ति के दिनांक से किया जायगा।

(३-ग) निगम उप-धारा (३-क) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्ति के दिनांक से ठीक पूर्व पड़ने वाले महीने में निष्पन्न अपने अधिवेशन में कार्यकारिणी समिति के नये सदस्य उन व्यक्तियों के पदों की पूर्ति करने के निमित्त नियुक्त करेगा जिन्हें उक्त दिनांक पर सेवा निवृत होना हो।

(४) समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति समिति के शेष कार्यकाल तक के लिये एक सदस्य निर्वाचित करके की जायेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि शेष अवधि दो मास से कम की है, तो उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी जब तक कि निगम ऐसा संकल्प न करे ।

(५) ऐसा सदस्य जो अपने पद से हट रहा हो, पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन ।

५१—कार्यकारिणी समिति के सदस्यों तथा उसके उप-सभापति (Vice-Chairman) का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्वपद्धति (system of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका (secret ballot) द्वारा होगा ।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का पदत्याग ।

५२—कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य, जो अपना पद त्याग करना चाहे, मेयर को सम्बोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ऐसा कर सकता है और वह मेयर को प्राप्त होने के साथ ही प्रभावी हो जायेगा ।

विकास समिति का संगठन तथा उसका कार्य-काल ।

५३—(१) विकास समिति :—

(क) डिप्टी मेयर, जो कि इसका पदेन सभापति (Chairman) होगा ;

(ख) एल्डरमैनों तथा कौंसिलरों में से निगम द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले दस व्यक्तियों ; तथा

(ग) ऐसे दो व्यक्तियों, जो खंड (क) और (ख) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्हें उक्त सदस्यों की राय में नगरपालिका के प्रशासन अथवा सुधार, विकास या नियोजन संबंधी विषयों का अनुभव हो, संयोजित (co-opted) किये जायेंगे,

से मिल कर बनेगी ।

(१-क) विकास समिति अपने प्रथम अधिवेशन में तथा तत्पश्चात् उपसभापति पद में रिक्ति होने के कारण जब कभी भी आवश्यक हो, अपने सदस्यों में से एक को अपना सभापति निर्वाचित करेगी ।

(१-ख) उपसभापति सदस्य न रहने पर यथाशीघ्र पद छोड़ देगा ।

(२) संयोजित (Co-opted) सदस्य को विकास समिति अथवा उसकी किसी उपसमिति में, जिसका वह सदस्य हो, भाषण करने तथा उनकी कार्यवाहियों में अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का अधिकारी न होगा ।

(२-क) संयोजित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगा ।

(३) उपधारा (१) के खंड में अभिदिष्ट व्यक्ति निगम द्वारा सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् होने वाले अपने पहले अधिवेशन में निर्वाचित किये जायेंगे ।

(३-क) विकास समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष में उस महीने के पहले दिन के मध्याह्न में जिस में कि उपधारा (३) में उल्लिखित निगम का पहला अधिवेशन निष्पन्न हुआ था सेवा निवृत हो जाया करेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो तब विकास समिति के समस्त पदासीन सदस्य उपधारा (३) के अधीन नयी समिति के निर्मित होने पर सेवा निवृत होंगे ।

(३-ख) वे सदस्य जो उपधारा (३-क) के अधीन, अपने उपधारा (३) के अधीन निर्वाचन के एक वर्ष पश्चात् सेवा निवृत्त होंगे, उपधारा (३-क) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्त के दिनांक के पूर्व ऐसे समय और रीति से जिसे विकास समिति का सभापति अवधारित करे, लाटरी डालकर निर्धारित किये जायेंगे तथा अनुगामी वर्षों में वे ही सदस्य इस धारा के अधीन सेवा निवृत्त होंगे जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस सदस्य की दशा में जो पुर्नानियुक्त हुआ हो, उसके इस उपधारा के प्रयोजनों के निमित्त कार्यकाल का आकलन उस की पुर्नानियुक्ति के दिनांक से किया जायगा ।

(३-ग) निगम उपधारा (३-क) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्ति के दिनांक से ठीक पूर्व पड़ने वाले महीने में निष्पन्न अपने अधिवेशन में विकास समिति के नये सदस्य उन व्यक्तियों के पदों की पूर्ति करने के निमित्त नियुक्त करेगा जिन्हें उक्त दिनांक पर सेवा निवृत्त होना हो ।

(४) समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति पद से हटने वाले सदस्य के शेष कार्य काल तक के लिये की जायेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त शेष अवधि दो मास से कम की है तो उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी जब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करे ।

(५) सेवा निवृत्त होने वाला कोई सदस्य चाहे वह निर्वाचित रहा हो अथवा संयोजित, पुनर्निर्वाचन अथवा पुनर्संयोजन का पात्र होगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४८ से खंड ५३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५४

विकास समिति के सदस्यों का निर्वाचन ।

५४---विकास समिति के सदस्यों का निर्वाचन तथा संयोजन(co-option) अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (system of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका (secret ballot) द्वारा होगा ।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं---

"खंड ५४ की पहली पंक्ति में शब्द "सदस्यों" के पश्चात् शब्द "तथा उसके उप-सभापति (Vice-Chairman)" जोड़ दिये जायं तथा पहली व दूसरी पंक्तियों में से शब्द "तथा संयोजन (co-option)" निकाल दिये जायं ।

श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा मैं यह चाहता हूं कि जहां पर सदस्यों के निर्वाचन का हवाला दिया गया है वहां पर वाइस चेयरमैन भी उसी प्रकार चुना जायगा, ऐसा कर दिया जाय और यह डेवलपमेंट कमेटी जो है इसमें केवल मैं समझता हूं कि निर्वाचित सदस्यों का रहना ही उचित होगा । अतः कोआप्शन का प्राविजन निकाल दिया जाय । मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री विचित्रनाराय शर्मा---यह स्वीकार है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५४ की पहली पंक्ति में शब्द "सदस्यों" के पश्चात् शब्द "तथा उसके उप-सभापति (Vice-Chairman)" जोड़ दिये जायं तथा पहली व दूसरी पंक्तियों में से शब्द "तथा संयोजन (co-option)" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५४ इस विधेयक का अंग मानाजाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५५ व ५६

विकास समिति के सदस्यों का का पदत्याग ।

५५---विकास समिति का कोई भी सदस्य जो अपना पद-त्याग करना चाहे अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्याग-पत्र मेयर को प्रस्तुत कर सकता है और ऐसा त्याग-पत्र मेयर को मिल जाने पर प्रभावी हो जायेगा ।

धारा ५ के खंड (ङ) के अधीन समितियों का संगठन ।

५६---(१) धारा ५ के खंड (ङ) के अधीन संगठित किसी समिति में उतने ही सदस्य होंगे जितने कि निगम निर्धारित करे किन्तु उनकी संख्या १२ से अधिक न होगी ।

(२) राज्य सरकार के एतदर्थ किन्हीं ऐसे निदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, उपधारा (१) में उल्लिखित किसी समिति के सदस्य अपने में से एक सभापति तथा एक उप-सभापति चुनेंगे तथा सभापति अथवा उप-सभापति के पद की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नये निर्वाचन द्वारा करेंगे ।

(३) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की पदावधि तथा निर्वाचन की रीति से संबद्ध उपबन्ध धारा ५ के खंड (ङ) के अधीन संगठित किसी समिति पर यथाशक्य लागू होंगे ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५५ और ५६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५७

म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति

५७---(१) म्युनिसपल कमिश्नर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति, जो पहले से ही राज्य की सेवा में न हो, तब तक नियुक्त न किया जायगा जब तक कि राजकीय लोक-सेवा आयोग उसकी नियुक्ति का अनुमोदन न करे ;

(२) म्युनिसिपल कमिश्नर, प्रथम बार में, तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, पदासीन रहेगा और उसकी नियुक्ति एक बार में तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये समय-समय पर नवीकृत (renewed) की जा सकती है ;

(३) उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी यदि निगम के किसी अधिवेशन में कुल सदस्यों की संख्या के ५/८ से अन्यून सदस्य किसी ऐसे संकल्प के पक्ष में अपने मत दें जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर को निगम की सेवा से हटाये जाने के संबंध में सिफारिश की गयी हो, तो राज्य सरकार---यदि म्युनिसिपल कमिश्नर राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी है तो---उसे वापस बुला लेगी, और यदि वह ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है तो या तो उसकी सेवायें समाप्त कर देगी अथवा उसे अन्य किसी ऐसे पद पर नियुक्त करेगी जिसके लिये वह योग्य समझा जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५८—६१

म्युनिसिपल कमिश्नर का वेतन ।

५८—(१) म्युनिसिपल कमिश्नर निगम निधि में से उतना मासिक वेतन और ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करे।

(२) नियोजन (employment) की अन्य शर्तें जिनमें छुट्टियां, पेंशन तथा भविष्य निधि (Provident Fund) में अंशदान भी सम्मिलित हैं, वे होंगी जिन्हें राज्य सरकार विहित करे ।

जब तक आपत्ति आदि न की जाय निर्वाचन मान्य होगा।

५९—इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन के संबंध म इस अधिनियम द्वारा अथवा इस के अधीन की गयी व्यवस्था के अननुकूल आपत्ति न की जायेगी ।

६०—मेयर अथवा डिप्टी मेयर के निर्वाचन पर आपत्ति करना—

(१) किसी व्यक्ति के मेयर अथवा डिप्टी मेयर के रूप में निर्वाचन पर उक्त निर्वाचन का कोई भी असफल उम्मेदवार अथवा कोई भी व्यक्ति जिसका निर्वाचन पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो अथवा निगम का कोई भी सदस्य नगर में क्षेत्राधिकार युक्त डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष धारा ७१ में उल्लिखित एक या एकाधिक आधारों पर याचिका प्रस्तुत करके आपत्ति कर सकता है ।

(२) याचिका निर्वाचन फल घोषित होने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी ।

६१—एल्डरमैन अथवा कौंसिलर के निर्वाचन पर आपत्ति करना—

(१) किसी व्यक्ति के एल्डरमैन अथवा कौंसिलर के रूप में निर्वाचन पर उक्त निर्वाचन का कोई असफल उम्मीदवार अथवा कोई व्यक्ति जिसका निर्वाचन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो अथवा किसी व्यक्ति के एल्डरमैन निर्वाचित होने की दशा में कोई भी कौंसिलर अथवा कौंसिलर के निर्वाचन की दशा में सम्बद्ध कक्ष का कोई भी निर्वाचक आपत्ति कर सकता है ।

(२) याचिका धारा ७१ में उल्लिखित एक या एकाधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती हैं ।

(३) किसी व्यक्ति के एल्डरमैन अथवा कौंसिलर के रूप में निर्वाचन पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि किसी व्यक्ति का नाम जो मत देने के लिये अर्ह था, निर्वाचन सूची अथवा सूचियों में लुप्त कर दिया गया है अथवा किसी व्यक्ति का नाम जो मत देने के लिये अर्ह नहीं था निर्वाचन सूची अथवा सूचियों में सम्मिलित कर दिया गया है ।

(४) निर्वाचन जिस पर आपत्ति है एल्डरमैन के स्थान के लिये है या कौंसिलर के स्थान के लिये है इसके अनुसार याचिका नगर में क्षेत्राधिकारयुक्त डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष निर्वाचन का फल घोषित होने के पन्द्रह दिन अथवा तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५८, ५९, ६० और ६१ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६३ व ६४

आवेदन का आकार-पत्र तथा उसका विषय ।

६३—(१) निर्वाचन आवेदन में वह या वे आधार निर्दिष्ट रहेंगे जिन पर प्रतिवादी (respondent) के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गयी हो और उसमें उन वास्तविक तथ्यों का भी संक्षिप्त उल्लेख होगा जिन पर आवेदक (petitioner) आश्रय करता है, मेयर, एल्डरमैन अथवा कौंसिलर के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन उसमें उस भ्रष्टाचार के,

---

नोट:—खंड ६२ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया ।

जिसके विषय में आवेदक का कथन है कि उसका व्यवहार हुआ है, पूरे विवरण उल्लिखित किये जायेंगे और उन पक्षों (parties) के नाम, जिनके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार का व्यवहार किया है, तथा इस प्रकार किये गये भ्रष्टाचरण का दिनांक और स्थान आदि के सम्बन्ध में यथासम्भव पूरा ब्यौरा दिया जायगा।

(२) आवेदन पर और यदि उसके साथ कोई अनुसूची अथवा संलग्नक (annexure) हो तो ऐसी अनुसूची अथवा संलग्नक पर भी आवेदक के हस्ताक्षर होंगे तथा वह ऐसी रीति से प्रमाणीकृत होगा, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में पक्ष-निवेदनों (pleading) के प्रमाणीकरण के लिये निर्दिष्ट की गयी है।

(३) आवेदक (petitioner)—

(क) यदि वह धारा ६४ के खंड (ख) के अधीन किसी घोषणा का दावा करता है, तो अपने से भिन्न अन्य सभी प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवारों को, तथा अन्य किसी दशा में सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को; और

(ख) अन्य ऐसे उम्मीदवार को जिसके विरुद्ध आवेदन में भ्रष्टाचरण अथवा अवैध व्यवहारों का आरोप किया गया है, अपने आवेदन में प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित करेगा।

अनुतोष (relief) जिसका आवेदन में दावा किया जा सकता है।

६४—आवेदक, यह दावा करने के अतिरिक्त कि समस्त अथवा किसी सफल उम्मीदवारों का निर्वाचन शून्य है, इस घोषणा के लिए भी दावा कर सकता है कि वह स्वयं अथवा अन्य कोई उम्मीदवार यथोचित रूप से निर्वाचित घोषित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६३ और ६४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६५

प्रत्यारोपण

६५—(१) यदि किसी निर्वाचन आवेदन में किसी ऐसी घोषणा का दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मेदवार से भिन्न कोई उम्मेदवार विधिवत् निर्वाचित हुआ है तो निर्वाचित उम्मेदवार अथवा अन्य कोई पक्ष यह सिद्ध करने के लिये साक्ष्य दे सकता है कि यदि उक्त उम्मीदवार निर्वाचित हो गया होता और उसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति करने वाला कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया होता तो उस उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित उम्मीदवार (returned candidate) अथवा उपर्युक्त कोई अन्य पक्ष (party) उक्त साक्ष्य देने का तब तक अधिकारी न होगा जब तक कि उसने—यदि वह निर्वाचन, जिसके सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो, एल्डरमैन अथवा कौंसिलर का हो तो उस पर निर्वाचन-आवेदन के नोटिस तामील होने के २१ दिन के भीतर तथा अन्य सभी दशाओं में ३ दिन के भीतर—न्यायाधिकरण (Tribunal) को अपने उक्त आशय का नोटिस न दे दिया हो और धारा ७८ में विहित कोई प्रतिभूति (security) यदि कोई हो, न दे दी हो।

(२) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस के साथ निर्वाचन याचिका की दशा में धारा ६३ द्वारा अपेक्षित विनिर्देशन विवरण तथा ब्योरे दिये जायेंगे तथा वे उसी रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"खंड ६५ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति ६ में शब्द 'न्यायाधिकरण (Tribunal)' के स्थान पर शब्द 'निर्वाचन–आवेदन की सुनवाई करने वाले जिला जज' रख दिये जायं।"

अध्यक्ष महोदय, ट्रिब्युनल का इस ऐक्ट में कोई प्रावीजन नहीं है इसलिये इस शब्द के बदले "निर्वाचन–आवेदन की सुनवाई करने वाले जिला जज" की व्यवस्था की गई है। मैं आशा करता हूं मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा— स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६५ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति ६ में शब्द "न्यायाधिकरण (Tribunal)" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन–आवेदन की सुनवाई करने वाले जिला जज" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६६ और ६७

आवेदन कब खारिज किया जायगा।

६६—यदि कोई निर्वाचन याचिका इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत न की गई हो अथवा प्रतिभूति जमा करने के सम्बन्ध में धारा ७८ के अधीन बनाये गये उपबन्धों का पालन न किया गया हो अथवा उस पर निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक मुद्रांक शुल्क न दिया गया हो तो जिला जज तत्काल उसे अस्वीकार (reject) कर देगा।

आवेदन की सुनवाई की प्रक्रिया।

६७—(१) जिला जज किसी ऐसी निर्वाचन याचिका की, जो धारा ६६ के अधीन खारिज न की गयी हो, सुनवाई करेगा।

(२) आवेदन की सुनवाई करने वाला जिला जज ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो धारा ७८ के अधीन विहित की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६६ और ६७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६८

आवेदन का तथा अन्य पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् और ऐसे पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् जो सुनवाई चाहते हैं, अथवा बिना किसी प्रकार की नोटिस दिये हुये स्वतः किसी भी समय, उच्च न्यायालय (High Court)—

स्थानान्तरण।

(क) किसी जिला जज के पास विचाराधीन किसी निर्वाचन आवेदन को सुनवाई के लिये किसी अन्य जिला जज को स्थानान्तरित कर सकता है; अथवा

(ख) सुनवाई के लिये ऐसे आवेदन को उस जिला जज को पुनः स्थानान्तरित कर सकता है जिसके यहां से वह आवेदन हटा लिया गया था।

(२) यदि उप-धारा (१) के अधीन कोई निर्वाचन आवेदन स्थानान्तरित अथवा पुनःस्थानान्तरित किया गया हो तो वह जिला जज जो तत्पश्चात् उक्त आवेदन की सुनवाई करेगा, स्थानान्तरण की आज्ञा में किसी अनुकूल निर्देश के अधीन रहते हुये, ऐसे अवस्थान (point) से सुनवाई आरम्भ कर सकता है जिस अवस्थान से वह स्थानान्तरित अथवा पुनः स्थानान्तरित किया गया था :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह उचित समझे तो ऐसे साक्षियों को जिनकी पहले गवाही हो चुकी थी पुनः बुला सकता है और उनका पुनः परीक्षण कर सकता है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६८ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "उच्च न्यायालय (High Court)" के स्थान पर शब्द "हाई कोर्ट" रख दिये जायं।

उच्च न्यायालय जैसी कोई चीज इस ऐक्ट के अन्दर नहीं है। इसलिये यह शब्द गलत प्रतीत होते हैं। इसलिये इसके बदले "हाई कोर्ट" रखना मैंने उचित समझा। आशा है मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा— स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६८ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "उच्च न्यायालय (High Court)" के स्थान पर शब्द "हाई कोर्ट" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६९—७३

आवेदन पर निर्णय।

६९—यदि सुनवाई के समय आवेदन अन्य प्रकार से अस्वीकृत न हुआ हो तो जिला जज निर्वाचन आवेदन की सुनवाई हो जाने के पश्चात्—

(क) निर्वाचन आवेदन को खारिज करने की ; अथवा

(ख) समस्त अथवा किसी निर्वाचन उम्मेदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की ; अथवा

(ग) समस्त अथवा किसी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने, तथा आवेदक अथवा अन्य किसी उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित करने की आज्ञा देगा।

आवेदन के निस्तारण करते हुये अन्य आज्ञाओं का दिया जाना।

७०—(१) धारा ६९ के अधीन कोई आज्ञा देते समय जिला जज ऐसी आज्ञा भी देगा जिसमें—

(क) यदि आवेदन में यह दोषारोपण लगाया गया है कि निर्वाचन में कोई भ्रष्टाचरण व्यवहार किया गया है, तो :

(१) ऐसी आपत्ति को कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उनकी सहमति (consent) से किया गया कोई भ्रष्टाचरण किया जाना सिद्ध हो गया है या नहीं सिद्ध हुआ है और उस भ्रष्टाचरण के प्रकार को; और

(२) ऐसे समस्त व्यक्तियों के नामों को, यदि कोई हों, जिनके बारे में सुनवाई के समय यह सिद्ध हो गया हो कि वे किसी भ्रष्टाचरण के दोषी हैं और ऐसे आचरण के प्रकार (nature) को अभिलिखित किया हो; तथा

(ख) देय वाद-व्ययों को निर्दिष्ट किया हो और उन व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट किया हो जिनके द्वारा अथवा जिन्हें वे व्यय अदा किये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) के उप-खंड (२) के अधीन दी गयी आज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि—

(क) उसे जिला जज के समक्ष उपस्थित होने तथा यह कारण दिखाने का नोटिस न दिया गया हो कि एतदर्थ उसका नाम क्यों न लिखा जाय; और

(ख) यदि नोटिस के अनुसार वह उपस्थित होता है तो जब तक उसे किसी ऐसे गवाह से, जिसका जिला जज ने पहले ही परीक्षण कर लिया हो तथा जिसने उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दिया हो, जिरह करने का और अपनी सफाई में साक्ष्य देने और सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।

निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार।

७१—यदि डिस्ट्रिक्ट जज का मत हो कि :

(क) अपने निर्वाचन के दिनांक पर कोई भी निर्वाचित उम्मेदवार इस अधिनियम के अधीन उक्त स्थान को पूर्ति के निमित्त चुने जाने के लिये अर्ह नहीं था अथवा अनर्ह था ; अथवा

(ख) निर्वाचित उम्मेदवार अथवा उसके अभिकर्ता अथवा निर्वाचित उम्मेदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा ७७ में निर्दिष्ट कोई भ्रष्टाचार व्यवहृत किया गया है; अथवा

(ग) कोई निर्वाचन-पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया है;

(घ) निर्वाचन फल पर जहां तक उसका सम्बन्ध निर्वाचित उम्मेदवार से है:

(१) कोई निर्वाचन-पत्र अनुचित रूप से स्वीकार किया जाने; अथवा

(२) निर्वाचित उम्मेदवार के हित में किये गये किसी भ्रष्टाचार से जिसे निर्वाचित उम्मेदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा ऐसे उम्मेदवार या निर्वाचन अभिकर्त्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति ने किया;

(३) किसी मत के अनुचित रूप से ग्रहण करने, न लेने अथवा अस्वीकार कर देने या किसी ऐसे मत के ग्रहण करने से जो शून्य हो; अथवा

(४) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बने किन्हीं नियमों अथवा दी गयी किन्हीं आज्ञाओं का पालन करने के कारण;

सारवान प्रभाव पड़ा है, तो जिला जज निर्वाचित उम्मेदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा।

आधार जिन पर निर्वाचित उम्मेदवार से भिन्न कोई उम्मेदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकता है

७२—यदि किसी व्यक्ति ने जिसने आवेदन प्रस्तुत किया है, निर्वाचित उम्मेदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के अलावा इस घोषणा का भी दावा किया गया है कि वह स्वयं अथवा अन्य कोई उम्मेदवार विधिवत् निर्वाचित हुआ है और जिला जज का यह मत है कि —

(क) वस्तुतः आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मेदवार ने वैध मतों का बहुमत (majority) प्राप्त किया है; अथवा

(ख) यदि भ्रष्टाचार के कारण निर्वाचित उम्मेदवार को प्राप्त हुए मत उसे न मिले होते तो आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मेदवार ने वैध मतों का बहुमत प्राप्त किया होता—तो जिला जज निर्वाचित उम्मेदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करके यथास्थिति आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मेदवार को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा।

मतों की समानता की दशा में प्रक्रिया।

७३—यदि किसी निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करते समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में किन्हीं उम्मेदवारों ने बराबर-बराबर मत प्राप्त किये हैं और उनमें से किसी एक पक्ष में एक मत के बढ़ जाने से वह व्यक्ति निर्वाचित घोषित किये जाने का अधिकारी हो जायगा, तो—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रिटर्निंग अफसर द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहां तक वह उक्त उम्मेदवारों के मध्य उपर्युक्त प्रश्न को निर्धारित करता है, आवेदन के प्रयोजनों के लिये भी प्रभावी होगा; और

(ख) जहां तक उक्त निर्णय उपर्युक्त प्रश्न को निर्धारित न करता हो जिला जज उन उम्मेदवारों के बीच लाटरी द्वारा निर्णय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानो जिस उम्मेदवार के पक्ष में लाटरी निकले उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६९ से ७३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७४

डिस्ट्रिक्ट जज की आज्ञा के विरुद्ध अपील।

७४—(१) डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा धारा ६९ अथवा ७० के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा के विरुद्ध आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील हो सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाईकोर्ट उपर्युक्त तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय

कि अपीलकर्त्ता पर्याप्त कारण वश इस अवधि के भीतर अपील नहीं प्रस्तुत कर सका।

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन अपील प्रस्तुत करे अपील के स्मृति-पत्र के साथ सरकारी खजाने की ऐसी रसीद नत्थी करेगा जो यह प्रकट करती हो कि उसके द्वारा किसी सरकारी खजाने अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया में हाई कोर्ट के नाम अपील के वाद-व्यय की प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रुपये की धनराशि जमा की गई है।

(३) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये हाईकोर्ट को इस अध्याय के अधीन अपील के सम्बन्ध में वही अधिकार, क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार होंगे तथा वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, मानों कि वह अपील उसके स्थानिक दीवानी अपील सम्बन्धी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित किसी दीवानी न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से प्रोद्भूत अपील हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील दो जजों से अनधिक जजों की बेंच द्वारा सुनी जायगी।

(४) प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से निर्मित की जायगी और यह प्रयास किया जायगा कि हाईकोर्ट में अपील का स्मृति-पत्र प्रस्तुत किये जाने के तीन महीने के भीतर अपील अन्तिम रूप से समाप्त हो जाय।

(५) निबंधक, उच्च न्यायालय, अपील पर दी गई हाई कोर्ट न्यायालय की आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ भेजेगी।

अपील पर हाई कोर्ट द्वारा दी गई आज्ञा की एक प्रति रजिस्ट्रार हाई-कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को भेजी जायगी।

(६) जब धारा ६९ के खंड (ख) के अधीन आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील की जाय तो हाई कोर्ट पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर उस आज्ञा की कार्यान्विति स्थगित कर सकता है, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो तथा ऐसी दशा में यह समझा जायगा कि धारा ७६ के अधीन आज्ञा कभी प्रभावी नहीं हुई तथा जब तक अपील खारिज न कर दी जाय, आज्ञा प्रभावशील न हो सकेगी।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७४ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "भीतर" के पश्चात् शब्द "हाई कोर्ट को" रख दिये जायं तथा उपखंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(५) हाई कोर्ट का निबन्धक अपील पर दी गई हाई कोर्ट की आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ भेजेगा।"

इसके द्वारा रजिस्ट्री से नकल मांगने की व्यवस्था की गई है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा— श्रीमन्, यह भी मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७४ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "भीतर" के पश्चात् शब्द "हाई कोर्ट को" रख दिये जायं, तथा

उपखंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(५) हाई कोर्ट का निबन्धक अपील पर दी गई हाई कोर्ट की आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ भेजेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
९ सितम्बर, १९५८।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६६ पर)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाजारों में मई और जुलाई, १९५८ माह की चीनी के प्रति सेर फुटकर भाव

बाजार	मई, १९५८ रु० नये पैसे	जुलाई, १९५८ रु० नये पैसे
१—देहरादून	९४	९४
२—सहारनपुर	९०	९५
३—मेरठ	९३	९५
४—आगरा	९३	९८
५—अलीगढ़	९५	९५
६—मथुरा	९३	९५
७—मुरादाबाद	९२	९६
८—बरेली	९२	९५
९—शाहजहांपुर	९४	९६
१०—फ़ैजाबाद	९०	९५
११—लखनऊ	९१	९५
१२—कानपुर	९३	९५
१३—फ़र्रुखाबाद	९९	९८
१४—इलाहाबाद	१.००	१.००
१५—झांसी	९७	९८
१६—जौनपुर	९२	९६
१७—मिर्जापुर	९४	९३
१८—गोरखपुर	९३	९४
१९—वाराणसी	९२	९५

उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाजारों में मई और जुलाई, १९५८ माह की सरसों तेल के प्रति मन थोक भाव

१—हापुड़	६५.००	७०.००
२—अलीगढ़	७२.२५	७१.५०
३—आगरा	७२,००	७२.६३
४—हाथरस	६५.२५	७०.९४
५—मथुरा	६०.००	६९.००
६—कोसीकलां	६४.५०	६९.००
७—चंदौसी	६४.००	७१.५०
८—रामपुर	७५.००	७७.५०
९—पीलीभीत	७१.००	७७.००
१०—हरदोई	६६.२५	७०.००
११—कानपुर	७१.००	७७.००
१२—इटावा	६४.५०	७२.५०
१३—औरइया	६६.२५	७२.७५

बाजार	मई, १९५८ रु० नये पैसे	जुलाई, १९५८ रु० नये पैसे
१४—इलाहाबाद	६८.००	७४.००
१५—झांसी	७२.००	७२.५०
१६—बहराइच	६४.००	६८.८८
१७—मिर्जापुर	६८.५०	७०.६३
१८—वाराणसी	६३.५०	७४.७५

उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाजारों में मई और जुलाई, १९५८ माह की खांडसारी के प्रति थोक भाव

१—देहरादून	२९.००	३४.००
२—सहारनपुर	३४.५०	३६.५०
३—मुज्जफरनगर	३३.७५	३५.८८
४—अलीगढ़	२९.००	३३.५०
५—हाथरस	२९.०६	३०.५६
६—लखनऊ	३२.००	३४.००
७—चंदौसी	३१.००	३६.००
८—बरेली	३२.००	३७.००
९—पीलीभीत	३०.००	३३.२५
१०—हरदोई	३०.५०	३३.७५
११—मुरादाबाद	३२.५०	३४.६२
१२—कानपुर	३०.००	३१.००
१३—इटावा	३२.५०	३४.००
१४—फर्रुखाबाद	२९.००	३२.५०
१५—वाराणसी	३०.००	३२.००
१६—आजमगढ़	३२.२५	३४.१३
१७—बस्ती	३१.००	३१.५०

उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाजारों में मई और जुलाई, १९५८ माह की घी और वनस्पति (डालडा) के थोक भाव

बाजार	घी का भाव प्रति मन		वनस्पति (डालडा) १० पौंड का भाव	
	मई, १९५८ रु० नये पैसे	जुलाई, १९५८ रु० नये पैसे	मई, १९५८ रु० नये पैसे	जुलाई, १९५८ रु० नये पैसे
१—गोरखपुर ..	१९०.००	२००.००	१३.००	१३.३१
२—गोंडा ..	१६०.००	१७०.००	१२.५२	१३.०२
३—बहराइच ..	१७०.२५	१७२.३१	१२.७३	१३.१८
४—बाराबंकी ..	१७५.००	१७८.००	१३.१२	१३.००
५—लखनऊ ..	१८५.००	२००.००	१२.४५	१२.७७
६—चंदौसी ..	१८२.००	१९८.००	१२.६९	१३.००
७—कानपुर ..	१९५.००	२१०.००	.. ..	.. ..
८—इटावा ..	२००.००	२०७.००	१२.७५	१२.७५
९—खुरजा ..	१९५.००	२००.००	..	..
१०—हाथरस ..	२०६.००	२१९.००	१२.५५	१२.८६
११—मेरठ ..	२१२.००	२२०.००	१२.६४	१२.८०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७० पर)

लखनऊ नगर के मुहल्लों की सूची जहां सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयी हैं

१—अकबरी दरवाजा
२—गोल दरवाजा
३—अशरफाबाद
४—खुनखुन जी रोड
५—सब्जी मंडी
६—पुराना हैदरगंज
७—दौलतगंज
८—लाजपतनगर
९—सराय माली खां
१०—करमगंज
११—महबूबगंज
१२—भोला नाथ का कुंआ
१३—हुसेनाबाद
१४—मुफ्तीगंज
१५—तोप दरवाजा
१६—ठाकुरगंज
१७—चौपटियां
१८—डालीगंज गोकरननाथ पार्क के करीब
१९—माहनगर
२०—निशातगंज रेलवे क्रासिंग की ओर
२१—निशातगंज पेपर मिल की ओर
२२—नया हैदराबाद
२३—मदेहगंज
२४—मीठीकचरी, डालीगंज
२५—डालीगंज बाजार
२६—मुकारिम नगर
२७—निशातगंज एस० पी० सी० ए० अस्पताल के पास ।
२८—चांदगंज (अलीगंज)
२९—आलमबाग तालकटोरा रोड
३०—आलमबाग रिफ्यूजी मार्केट
३१—फतेह अली का तालाब
३२—अदरज नगर
३३—सिंगार नगर
३४—बाबली बाजार
३५—सआदतगंज खास
३६—मंसूर नगर
३७—पुल गुलाम हुसैन
३८—देहली दरवाजा
३९—पुराना चबूतरा
४०—आलमनगर
४१—तोपखाना बजार
४२—बी० सी० बाजार
४३—लकड़ी मोहाल
४४—मखनिया मोहाल
४५—नेहरू रोड (सदर)
४६—तकिया गनेशगंज
४७—महेश प्रसाद स्ट्रीट
४८—गंगा प्रसाद रोड
४९—गोलागंज
५०—मशकगंज
५१—खयालीगंज
५२—धानमंडी दुर्विजयगंज
५३—चिक मंडी
५४—रिवर बैंक कालोनी
५५—छाछी कुंआ
५६—वजीरगंज
५७—दुर्विजयगंज
५८—तहड़ी बाजार (नाला फतेहगंज)
५९—बारूदखाना
६०—लालबाग
६१—कन्धारी बाजार
६२—नजरबाग
६३—आर्य समाज रोड
६४—हीवेट रोड
६५—माडल हाउस प्रायमरी स्कूल के पास
६६—घसियारी मंडी
६७—कैसरबाग मंडी
६८—लाटूशरोड टेकनिकल स्कूल के पास
६९—मकबूलगंज
७०—मछली मुहाल
७१—नाका हिंडोला
७२—हीवेट रोड तथा गुरू गोविन्द सिंह क्रासिंग
७३—कसाई बाड़ा चौराहा लाटूश राड
७४—अमीनाबाद
७५—गड़बड़झाला पार्क
७६—नया गांव
७७—कैंट रोड उदयगंज
७८—पुराना किला

७९—हैबलक रोड
८०—हुसेनगंज
८१—लालकुंआ
८२—छित्वापुर
८३—नवल किशोर रोड
८४—नरही बाजार
८५—मिलिंगटोनिया रेवन्यू रोड
८६—लाजपत राय मार्ग
८७—मुन्नेलाल कागजी बिल्डिंग, चारबाग
८८—नयी बस्ती
८९—साउथ एवन्यू रोड
९०—मार्टिन पुरवा
९१—हुसेनगंज बाजार
९२—पानदरीबा
९३—मिल रोड मव्वैया
९४—बिरहाना
९५—राजा बाजार क्रासिंग
९६—वाटर वर्क्स रोड
९७—आर्य नगर
९८—बाग मोलवी अनवर
९९—ताल कटोरा रोड गवनमेंट प्रेस के समीप ।
१००—ड्योढ़ी आगामीर
१०१—कुन्डरी रकाबगंज
१०२—एशबाग का फाटक
१०३—भदेंवा
१०४—टूरियागंज
१०५—नखास क्रासिंग
१०६—विक्टोरिया स्ट्रीट
१०७—सब्जी मंडी विक्टोरिया स्ट्रीट
१०८—नादान महल रोड
१०९—राजेन्द्र नगर
११०—नेहरू क्रासिंग

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७३ पर)

उन समस्याओं की सूची जिन पर अन्वेषण परीक्षण किए गए—

१—पुलों की नींव पर निरीक्षण—८ पुलों पर जिनका निर्माण हो रहा है भूगर्भ सम्बन्धी निरीक्षण किया गया और उचित सुझाव दिये गए।

२—मोरम (मोटी बालू) की जगह स्थानीय (महीन बालू) प्रयोग पर अन्वेषण किए गए तथा किए जा रहे हैं।

३—सड़क पर प्रयोग में लाये जाने वाले पत्थर, ईंट की रोड़ी व कंकड़ की जांच करना व उनके प्रयोग के विषय में गुणों की सीमा निर्धारित करने पर परीक्षण किए जा रहे हैं।

४—तारकोल व डामर में पानी मिल जाने से उसके झागों को रोकने का उपाय निकाला गया।

५—पानी की उपस्थिति में सड़क पर तारकोल व डामर का प्रयोग करने की विधि पर परीक्षण।

६—सड़क बनाने के लिये अधिक शक्तिशाली ईटों का उत्पादन करने पर तथा उनके प्रयोग पर कार्य किया गया। इस पर एक लेख भारतीय सड़क कांग्रेस में भेजा जा रहा है।

७—मिट्टी को दृढ़ बना कर उसका प्रयोग सड़कों के बनाने में किया गया है। यह कार्य अभी-हरौनी सड़क पर हुआ है और उस पर मिट्टी का अधिकतर प्रयोग किया गया है। इस सड़क पर और प्रयोग किये जा रहे हैं।

८—कम व्यय में एक छोटा मकान सरोजनी नगर में बनाया गया है जिसमें कच्ची ईंटों पर पानी में न गिरने वाला लेप का प्रयोग किया है तथा अन्य प्रयोग भी किये हैं।

९—कंकड़ के चूने की परीक्षा करने के लिये विशेष ढंग प्रयोग में लाए गए ताकि चूने के गुणों की परीक्षा शीघ्र हो सके।

१०—कंकरीट व ईंटों के लिन्टल पर बिना तोड़े परीक्षण किये जा रहे हैं व उनके गुणों के साथ-साथ ऐसे लवण जो कि हानिकर हैं, के प्रभाव पर प्रयोग हो रहे हैं।

११—पुलों के निर्माण में कंकरीट को बनाने में लायी जानेवाली वस्तुओं के अनुपात का पता लगाने पर प्रयोग किए गये ताकि अच्छी व सस्ती कंक्रीट प्राप्त हो सके।

१२—नीव में जो कंक्रीट प्रयुक्त होती है उसके गुणों पर परीक्षण किये जा रहे हैं तथा किए जा चुके हैं।

१३—पहाड़ी क्षेत्रों में शेल को फूंक कर चूने में मिलाकर उसकी शक्ति बढ़ाने पर प्रयोग किए हैं तथा किए जा रहे हैं।

१४—मार्ल मिट्टी से अच्छा चूना बनाने पर प्रयोग किए जा रहे हैं।

१५—ईंटों की सुर्खी पर प्रयोग किए गए जिससे पता चला कि पीसी द्वितीय श्रेणी की ईंटों की सुरखी कहीं कहीं अधिक शक्ति प्रदान करती है।

१६—ईंटों के मट्टों को लगाने के लिये कई स्थानों की मिट्टी पर प्रयोग किए तथा उनकी उपयुक्तता का आलेख रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

१७—कच्चे भवनों की रक्षा के लिये मिट्टी के ऐसे लेपों के निर्माण पर प्रयोग किए जिससे लेप वर्षा में न घुल सके तथा न गिर सके। ऐसे कुछ लेप तैयार किए गए तथा उनका दीवालों पर प्रयोग भी हुआ।

१८—कई बड़े भवनों की नीवों का निरीक्षण किया गया तथा मिट्टी कितना भार सहन सकती है, पर प्रयोग हुए।

१९—सड़कों पर जिसके कुछ भाग बैठ गए व सड़क खराब हो गई है पर परीक्षण किए तथा उनको ठीक करने के उपाय बताए गए।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७४ पर)

सन्	कर निर्धारण	छूट	वसूली	अवशेष
	रु०	रु०	रु०	रु०
१९५३–५४	९७,६७,९२७	२,०४,३११	४३,८७,२४३	५१,७६,३७३
१९५४–५५	१,००,७६,६३७	१,२३,६९२	४३,२६,६६२	५६,२६,२८३
१९५५–५६	८०,२४,७७८	८०,६७७	३३,१५,०३०	४६,२९,०७१
१९५६–५७	६९,४५,७५१	३२,९४०	२१,१६,१७८	४७,९६,६३३
१९५७–५८	७७,६६,६४९	३४,३४२	२०,४५,२३९	५६,८७,०७८
योग ..	४,२५,८१,७५२	४,७५,९६२	१,६१,९०,३५२	२,५९,१५,४३८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १६६ एल० ए०—१९५८–८४० ।